बृहस्पतिवार,
२६ नवंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

वृहस्पतिवार, २६ नवम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

पुस्तकों का त्रि-शुल्क वितरण

*३१८. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारत की सामाजिक तथा बुनियादी शिक्षा संस्थाओं में पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के लिये एक योजना तैयार की है ?

(ख) यदि हां, तो उक्त वितरण के लिये पुस्तकों का अनुमानित मूल्य क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) भारत सरकार वर्ष १९४९-५० से सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी साहित्य प्रकाशित कर रही है । यह साहित्य राज्य सरकारों को उनकी सामाजिक तथा बुनियादी शिक्षा सस्थाओं में निःशुल्क वितरणार्थ भेजा जा रहा है ।

(ख) अब तक इस प्रयोजनार्थ २,७५,००० रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या भारत सरकार ने सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी साहित्य

के लिये एक निश्चित योजना तैयार की है और क्या वह उक्त साहित्य का वितरण योजनाबद्ध आधार पर कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : भारत सरकार द्वारा सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी साहित्य के लोकप्रिय बनाये जाने के सम्बन्ध में कितनी ही योजनायें बनाई गई हैं और बनाई जा रही हैं । जैसा कि माननीय सदस्य भी जानते होंगे, हमने अब तक १५८ साहित्य प्रकाशित किये हैं और राज्य सरकारों में वितरित किये हैं । राज्य सरकारों को [सामाजिक शिक्षा सम्बन्धी उपयुक्त साहित्य] निकालने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये यह विचार किया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा अपनी प्रादेशिक भाषा में निकाले जाने वाले ऐसे साहित्य पर उसका जो खर्चा हो उसका ५० प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार उठाये । एक और योजना भी है जो कि अब सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय व सामुदायिक परियोजना प्रशासक के परामर्श से तैयार की जा रही है । यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लोक साहित्य के प्रकाशन के सम्बन्ध में है ।

डा० राम सुभग सिंह : प्रश्न बुनियादी शिक्षा के बारे में भी है । क्या देश की बुनियादी शिक्षा संस्थाओं के बारे में भी कुछ किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : ये संस्थायें राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं। हमने

उन्हें अपनी योजना भेजी [है और हम उन्हें इस सम्बन्ध में भी परामर्श दे रहे हैं कि बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं की क्रियान्विति में जिन साधारण वस्तुओं तथा उपकरणों की सहायता मिल सकती है उनका निर्माण कैसे हो ।

श्री के० के० बसु : क्या यह कार्य विशेष संस्थाओं द्वारा किया जाता है या विभाग द्वारा ?

श्री के० डी० मालवीय : एक विशेष संस्था है जो इस काम को कर रही है ।

श्री टी० ए० चेट्टियार : ऐसी कितनी पुस्तकें बांटी गई हैं और किस भाषा की ?

श्री के० डी० मालवीय : अब तक १५८ पैम्पलैट बांटे गये हैं और कुछ और शीघ्र ही निकलने वाले हैं। आशा है कि राज्य सरकारें उनके अनुसार कार्य हाथ में ले लेंगी ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : किस भाषा में ?

श्री के० डी० मालवीय : हिन्दी में ।

एम्पलायमेंट एक्सचेंज

*३१९. **सेठ गोविन्द दास** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे [कि क्या एम्पलायमेंट एक्सचेंजों में नौकरी] दिलाने के मामले में कुछ विशेष वर्ग को प्राथिमिकता दी जाती है ?

(ख) क्या इन वर्गों में भूतपूर्व भारतीय भारतीय रियासतों के छंटनी किये गये तथा अवधि से पूर्व सेवा निवृत्त किये गये व्यक्ति भी सम्मिलित हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां। एम्पलायमेंट एक्सचेंज नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों के विचारार्थ उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची प्रेषित करते समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्रम का अनुसरण करते हैं ।

(ख) भूतपूर्व देशी राजाओं द्वारा ऐसी सेवाओं पर रखे हुए व्यक्ति, जो एकीकरण के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा ले ली गई हैं, अब भारत सरकार के अधीन आ गये हैं । उक्त एकीकरण के समय उन में से जिन व्यक्तियों को फालतू समझा गया, उन्हें पुनः रखे जाने के प्रयोजनों के लिये प्राथमिकता दी गई है । प्राथमिकता मद्रास सरकार के उन कर्मचारियों को भी दी गई है जो आन्ध्र राज्य बनाने से फालतू हो गये थे । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के निकाले गये या निकाले जाने वाले कर्मचारियों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इन लोगों का सम्बन्ध है जो कि भिन्न भिन्न रियासतों से अलग किये गये थे, क्या कोई सरकार के पास इस प्रकार के अंक उपलब्ध हैं कि जिससे यह मालूम हो सके कि इनमें कितनी संख्या अब तक नौकरी में ली जा सकी है ?

श्री दातार : ठीक ठीक संख्या तो विदित नहीं है, परन्तु यथासम्भव अधिक से अधिक लोगों को नौकरी देने का प्रयत्न किया गया है ?

श्री के० के० बसु : क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी विभाग विशेष से निकाल दिया गया हो, पुनः नौकरी देते समय अधिमान दिया जाता है, या उसे एम्पलायमेंट एक्सचेंज की मार्फ़त आवेदन करना पड़ता है ?

श्री दातार : उसे प्राथमिकता के क्रम में अधिमान मिलता है । उसे आवेदन करना होता है और फिर उसका नाम पंजीबद्ध कर लिया जाता है और फिर उम्मीदवारों की सूची में शामिल कर लिया जाता है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या पंजाब सरकार के अलावा किसी अन्य राज्य सरकार ने भी केन्द्रीय सरकार से अपने खुद के एम्पलायमेंट एक्सचेंज खोलने की अनुमति मांगी है ?

श्री दातार : इस समय सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार हो रहा है और श्री बी० शिवा राव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त कर दी गई है जो कि इस सम्बन्ध में जांच करेगी कि केन्द्रीय एक्सचेंज तथा राज्य एक्सचेंज किस किस सीमा तक रहने चाहियें ।

ऐन्टी-बायोटिक्स का उत्पादन

*३२० . **डा० रामा राव :** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वैज्ञानिक तथा अनुसंधान बोर्ड ने यह सिफारिश की थी कि ऐन्टी-बायोटिक्स के देशी वस्तुओं से उत्पादन के लिये भरसक प्रयत्न किये जायें ?

(ख) इस निश्चय के बाद इसके अनुसंधान तथा निर्माण के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) ऐंटी-बायोटिक्स सम्बन्धी अनुसंधान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में केन्द्रीय भेषज अनुसंधान संस्था, लखनऊ, में तथा विश्वविद्यालयों व अनुसंधान संस्थाओं में किया जा रहा है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड की सिफारिश सरकारी विभागों तथा अन्य अनुसंधान संस्थाओं की सूचना में ला दी गयी हैं ।

डा० रामा राव : सरकार ज्ञात ऐन्टी-बायोटिक्स के निर्माण के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह प्रश्न वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में किये जाने वाले अनुसंधान के सम्बन्ध में है ।

डा० रामा राव : अनुसंधान के अतिरिक्त भी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो ज्ञात हैं और जिनका निर्माण देश के लिये आवश्यक है । सरकार ऐसी ज्ञात ऐन्टी-बायोटिक्स के निर्माण के लिये क्या कानून उठा रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह प्रश्न तो उत्पादन मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

श्री सारंगधर दास : केन्द्रीय भेषज अनुसंधान संस्था में कितने ऐन्टी-बायोटिक्स सम्बन्धी अनुसंधान पूरे हो चुके हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न कार्य किये जाते हैं । जहां तक केन्द्रीय भेषज अनुसंधान संस्था, लखनऊ का सम्बन्ध है, यह ऐन्टी-बायोटिक्स के कई पहलुओं की जांच कर रही है, जैसे कि कई भेषजीय पौधों की जांच करना और कुछ अन्य बायो-कैमिकल पदार्थ व भेषजियों का, प्रयोगशाला के जीव-जन्तुओं पर प्रयोग करके, प्रभाव जानना ।

बुनियादी शिक्षा

*३२६. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा-विकास की पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में, प्रत्येक राज्य के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में सब स्तरों पर बुनियादी शिक्षा देने का एक सुगठित कार्यक्रम बनाने की योजना वर्ष १९५२–५३ में किस सीमा तक क्रियान्वित की गई ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३७]

श्री एस० एन० मिश्र : कितने राज्यों ने इस प्रयोजन के लिये दिये गये केन्द्रीय सहायक अनुदान का उपयोग किया ?

श्री के० डी० मालवीय : उनकी संख्या बहुत अधिक है; लगभग सभी राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त की है, परन्तु अभी हमें उनसे प्रगति-रिपोर्टें नहीं मिली हैं।

श्री एन० एम० लिंगम : इस बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी योजना के देश में लागू किये जाने के मार्ग में क्या कठिनाई है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुख्य कारण वित्तीय संकट है ?

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सही है कि बेसिक स्कूलों से निकलने वाले लड़कों को और आगे पढ़ने के लिए इस वक्त कोई सहायता नहीं मिल रही है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद): नहीं, हमारे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं आयी है।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या केन्द्र तथा राज्यों के बीच मतभेद बुनियादी शिक्षा की मंद प्रगति का मुख्य कारण है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह मुख्य कारण नहीं है।

श्री मुनिस्वामी : बुनियादी शिक्षा की नयी योजना पहले से चली आ रही योजना से किस प्रकार भिन्न है ?

श्री के० डी० मालवीय : भिन्न भिन्न राज्यों में बुनियादी शिक्षा की वर्तमान प्रणाली में थोड़ा थोड़ा अन्तर रहा है। अतएव भारत सरकार ने प्रणाली का प्रभावीकरण करने तथा राज्यों को एकरूप प्रणाली बनाने के लिये परामर्श देने का प्रस्ताव किया है।

ब्रिटेन के फर्स्ट सी लार्ड का आगमन

*३२७. **श्री अमजद अली** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने किन कारणों से ब्रिटेन के 'फर्स्ट सी लार्ड' को नवम्बर, १९५३ में भारतीय नौ सेना के भारत स्थित समस्त स्थापनाओं का दौरा करने के लिए निमंत्रण दिया था ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : चूंकि 'फर्स्ट सी लार्ड' पहले ही पूर्व के दौरे पर थे, इसलिए हम ने यह समझा कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर, जिनका सम्बन्ध कि हमारे प्रतिस्थापन कार्यक्रम तथा टैक्नीकल उपकरण से है, उनके साथ मशवरा करना तथा उनकी राय जानना उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए हमने अपने हित में उसे भारत आने का निमंत्रण देने का निश्चय किया।

श्री अमजद अली : क्या वह अपने 'फ्लैगशिप' में आये ?

श्री त्यागी : मुझे इसकी कोई सूचना नहीं।

श्री जे० एस० सिंह : क्या सरकार को 'फर्स्ट सी लार्ड' से इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है कि उन्होंने हमारी भारतीय नौ सेना तथा भारतीय बेड़े का क्या कुछ देखा ?

श्री त्यागी : हमें उन से एक सविस्तार रिपोर्ट प्राप्त होने की आशा है। जब वह यहां से रवाना हुए तो उन्होंने प्रारम्भिक रूप से एक रिपोर्ट भेजी। वह नौ सैनिकों की फुर्ती, उनके उत्साह तथा उनकी कार्य-क्षमता से प्रभावित हुए हैं। यही उनकी प्रथम प्रतिक्रिया है।

श्री टी० के० चौधरी : क्या भारत सरकार का ध्यान 'फर्स्ट सी लार्ड' के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि नौ-सेना के भारतीयकरण की गति बहुत ही सुस्त है जो कि एक संतोषजनक बात है, तथा क्या मैं इस सम्बन्ध में भारत सरकार के विचार जान सकता हूं ?

श्री त्यागी : मेरे विचार में उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा । उन्होंने कहा था कि "यह संतोषजनक है" ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या उनके इस दौरे के सम्बन्ध में भारत सरकार को भी खर्चा उठाना पड़ा है ?

श्री त्यागी : कोई खर्चा नहीं ।

श्री जे० एस० सिंह : रक्षा संगठन मंत्री को अपनी पुष्पांजलि पेश करने के अलावा क्या 'फर्स्ट सी लार्ड' ने टैक्नीकल पहलुओं के सम्बन्ध में भी कोई रिपोर्ट दी जिस के लिए कि उन्हें निमंत्रण दिया गया था ?

श्री त्यागी : मुझे उन्हें ट्रेनिंग केन्द्र दिखाने थे जो कि उन्होंने भलीभांति देखे तथा मुझे आशा है कि वह इस सम्बन्ध में अपनी एक सविस्तार रिपोर्ट भेज देंगे । जहां तक टैक्नीकल पहलुओं का सम्बन्ध है, हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई सविस्तार रिपोर्ट नहीं कि भारत में ट्रेनिंग कार्यक्रम के सम्बन्ध में हम क्या अग्रेतर कार्यवाही कर सकते हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

*३२८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में अपनी कोई परियोजना अन्तिम रूप से तैयार की है ; तथा

(ख) यदि की है, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख). आशा है कि विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग की स्थापना के सम्बन्ध में आवश्यक विधान संसद के अगले सत्र में पुरःस्थापित किया जायेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो कि नियुक्त किया गया है, एक अन्तर्कालीन आयोग है ।

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, श्रीमान् ।

श्री डी० सी० शर्मा : यह अन्तर्कालीन आयोग कब तक काम करता रहेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : यह उस समय तक काम करता रहेगा जब तक कि नया आयोग, जिसे कि इस सदन की स्वीकृति प्राप्त होगी, काम करना आरम्भ करेगा ।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : मैं जरा साफ कर दूं । पिछले बरस एक कमीशन एक रिजलूशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाने के लिए गवर्नमेंट ने मंजूर किया था । उस वक्त गवर्नमेंट के सामने यह बात थी कि चार सैंट्रल यूनिवर्सिटियों के लिये कमेटी बनाई जाये । इसके बाद वह कार्रवाई वहीं [मुलत्वी हो गई । अब यह तै हुआ है कि] एक ऐसा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाना चाहिये जिसका ताल्लुक मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटीयों से हो । इस के लिये बिल तैयार है । क्योंकि इसके पेश करने में कुछ वक्त लगेगा, इसलिये मुनासिब समझा गया कि पिछले वर्ष के रिजलूशन की बिना पर कमीशन अभी बना दिया जाय । वह काम शुरू कर दे । जब बिल यहां

मंजूर हो जायेगा तो इस में और मेम्बर बढ़ा दिये जायेंगे ।

श्री मेघनाद साहा : श्रीमान्, सभापति के अलावा इस में कितने पूर्णकालीन सदस्य होंगे ?

मौलाना आजाद : चेयरमैन तथा सेक्रेटरी ।

श्री मेघनाद साहा : श्रीमान्, क्या चेयरमैन एक पूर्णकालीन सदस्य होगा अथवा अंशकालीन ?

मौलाना आजाद : नहीं पार्ट-टाइम नहीं । चेयरमैन पूरा वक्त देगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जब भारत के सभी विश्व-विद्यालयों का कार्य-भार सम्भालेगा तो इसे कितना अनुदान दिया जायगा ?

मौलाना आजाद : इसका अभी फैसला करना मुश्किल है । लेकिन पांच बरस के प्लानिंग में अभी चार करोड़ रुपये की रकम यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए रखी गई है ।

यूनिस्को छात्रवृत्तियां

*३३०. **चौ० रघुवीर सिंह** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि यूनिस्को ने १९५३ में भारतीय छात्रों को तीन छात्रवृत्तियां दी ?

(ख) यदि दीं, तो कितने छात्रों ने इन छात्रवृत्तियों के लिए प्रार्थना की ?

(ग) उन्हें किस आधार पर चुन लिया गया ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) यूनिस्को ने १९५३ म भारतीय छात्रों को कोई छात्रवृत्तियां नहीं दीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

आई० ए० एस० परीक्षा

*३३१. **श्री राधा रमण** : (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वर्तमान आई० ए० एस० परीक्षा उसी आधार पर ली जाती है जिस पर कि ब्रिटिश शासन में आई० सी० एस० परीक्षा ली जाती थी ?

(ख) इस परीक्षा पर प्रतिवर्ष लगभग कितना रुपया खर्चा करना पड़ता है ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) वर्तमान भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा उसी प्रकार की लाइनों पर ली जाती है जिस पर कि भूतपूर्व भारतीय असैनिक सेवा (आई० सी० एस०) परीक्षा ली जाती थी ।

(ख) परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार खर्चा भी बदलता रहता है । १९५०-१९५१ था १९५२ के लिए यह खर्चा, क्रमशः ८५,००० रुपये, १,१५,००० रुपये तथा १,३२,००० रुपये था ।

श्री राधा रमण : क्या यह परीक्षा दिल्ली के अलावा कहीं और भी ली जाती है ।

श्री दातार : यह कई स्थानों पर ली जाती है ?

श्री राधा रमण : किन किन स्थानों पर ली जाती है ?

श्री दातार : यह लंदन समेत १२, अथवा १३ जगहों पर ली जाती है । लंदन के सम्बन्ध में मैं पिछले ही दिन एक प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं ।

श्री राधा रमण : वर्ष १९५२–५३ में इस परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवार शामिल हुये थे ?

श्री दातार : वर्ष १९५२ के लिए ४,१५४ उम्मीदवार शामिल हुये थे ।

श्री राधा रमण : इन में से कितने उम्मीदवार पास हुये तथा उन में से कितने सरकारी नौकरी में लगाए गए ?

श्री दातार : यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री के० के० बसु : लंदन में जिन उम्मीदवारों की परीक्षा ली गई उनकी संख्या क्या थी तथा इस पर कितना खर्चा हुआ ?

श्री दातार : कोई खर्चा नहीं हुआ । इन की संख्या केवल आठ थी, जैसे कि मैं ने पिछले दिन निवेदन किया :

नव-साक्षर व्यक्ति

*३३२. **श्री राधा रमण :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में नव-साक्षर व्यक्तियों की ताज़ा संख्या क्या है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि इन नव-साक्षर व्यक्तियों के लिए कुछ नया साहित्य तैयार किया जा रहा है ?

(ग) यह साहित्य किस की देख रेख में तथा किस के द्वारा तैयार किया जा रहा है ?

(घ) इस नये साहित्य पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

(ङ) क्या किसी अन्य देश द्वारा भी किसी प्रकार की आर्थिक सहायता आदि दी जा रही है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) १९४७–५२ की कालावधि में भारत में २४,५९,२०० व्यस्कों को साक्षर बना लिया गया ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकारों तथा भारत सरकार द्वारा । भारत सरकार इदारा तालीमो'एं– तरक्की, जामिया मिलया दिल्ली द्वारा समाज शिक्षा साहित्य प्रकाशित करती है ।

(घ) राज्य सरकारों के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं । सरकार ने इस समय तक २,७५,००० रुपये खर्च किये हैं ।

(ङ) जी नहीं ।

श्री राधा रमण : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि किन किन भारतीय राज्यों में नव-साक्षरों की ट्रेनिंग के लिए इस समय व्यवस्था विद्यमान है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास सभी राज्यों की सूची नहीं, परन्तु मेरे पास कुछ राज्यों के आंकड़े हैं जो कि यह दिखाते हैं कि कितने व्यस्क साक्षर बना लिए गए हैं । मेरे पास यह आंकड़े हैं, परन्तु यह एक बहुत ही लम्बी सूची है ।

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : लम्बी लिस्ट है ।

श्री राधा रमण : क्या सरकार इस वर्ष में यह परियोजना दूसरे राज्यों तक विस्तारित करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार का यह इरादा है कि उन सभी राज्यों को सहायता दी जाये जो कि इन परि-योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहते हों ।

डा० रामसुभग सिंह : ये नीयोलिटरेट्स जो तैयार किये जाते हैं, इसमें इस शिक्षा के जरिये क्या कोई नवीनता आती है और जो किताबें तैयार की जाती हैं, उन में भी क्या और किताबों की अपेक्षा कोई नवीनता होती है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं समझता हूं कि इस प्रकार की शिक्षा से अडल्ट्स में एक जागरण होता है और उनका ज्ञान बढ़ता है ।

श्री तिम्मय्या : क्या सरकार के लिए यह सम्भव है कि वह इस बात के लिए अलग रिकार्ड रखे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों में कितने नव-साक्षर व्यक्ति बनते जाते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे खेद है कि यह सम्भव नहीं हो सकेगा ।

पुनर्संस्थापना विभाग रक्षा मंत्रालय

*३३४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) योजना आयोग की राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथाग्राम्य स्वास्थ्य कार्यक्रम में सहायतार्थ पूर्व-सैनिकों को सम्बद्ध करने में रक्षा मंत्रालय के पुनर्संस्थापन विभाग ने कहां तक प्रगति की है ;

(ख) इन पूर्व-सैनिकों को सर्वोत्तम प्रकार से किस तरह प्रयुक्त किया जा सकता है; और

(ग) कितने पूर्व-सैनिक डाक्टरों, सफाई इंस्पैक्टरों तथा कंपाउन्डरों के रूप में सेवायुक्त कर लिए गए हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) रक्षा मंत्रोलय के पुनर्संस्थापन विभाग ने सामुदायिक परियोजना प्रशासन के जरिए राज्य सरकारों को ऐसे व्यक्तियों के नाम भेजे हैं जो राष्ट्रीय विस्तार से की विभिन्न शाखाओं में काम करने के लिए उपयुक्त होंगे ।

(ख) पूर्व-सैनिकों को परियोजना अधिकारियों, विस्तार अधिकारियों, ग्राम सेवकों, सहकारी इंस्पेक्टरों, डाक्टरों, पशु चिकित्सकों, कम्पाउन्डरों, सफाई इंस्पेक्टरों, इंजीनियरों, सामाजिक शिक्षा संगठकों, मिकेनिकों, ड्राइवरों, स्टोरकीपरों, क्लर्कों तथा चपरासियों के काम में उपयुक्त रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है ।

(ग) तीन पूर्व-सैनिक चुने गए हैं भोपाल तथा विलासपुर सरकारों द्वारा क्रमश: दो को सफाई इंस्पेक्टर तथा एक को डाक्टर के रूप में ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि डाक्टरों का कितना वेतन निर्धारित किया गया है ?

सरदार मजीठिया : डाक्टर का वेतन ३०० रु० प्रति मास निर्धारित किया गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि नियुक्त किए गए व्यक्ति के वेतन निर्धारित करने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसे पहले कितना वेतन मिल रहा था ?

सरदार मजीठिया : वेतन वह होता है जो राष्ट्रीय विस्तार योजना में निर्धारित किया होता है और यह उपलब्ध वित्त पर निर्भर है ।

श्री भक्त दर्शन : अभी हाल में भारतीय सेना के बहुत से सैनिकों को रिजर्व में भेजा गया है; क्या उन्हें भी नेशनल एक्सटेंशन सर्विस में एम्पलायमेंट दिलाने की इस तरह की कोई सुविधा दी जा रही है ?

सरदार मजीठिया : विभिन्न राज्यों के पास लगभग १,४९५ अर्जियां हैं जिन पर विचार करना है । जहां तक रिजर्व व्यक्तियों का प्रश्न है, वे उसमें हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं । मेरे पास पृथक-पृथक आंकड़े नहीं हैं ।

इटालियन मिशनरीज़

*३३५. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **गृह कार्य** मंत्री १ सितम्बर, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ९१६ के उत्तर को निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पोर्ट कोचीन में दो इटालियन मिशनरियों द्वारा कथित भारत विरोधी प्रोपोगंडा के सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री दातार) : मद्रास सरकार से कुछ और पूछताछ की गई थी । वहां से प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का ध्यान भारत सरकार के दृष्टिकोण के प्रति प्रेस की आलोचना की ओर आकर्षित किया गया है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): किस प्रकार की आलोचना मैं ठीक समझा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह प्रश्न बहुत अस्पष्ट सा प्रतीत होता है । अखबारों में किस चीज के बारे में आलोचना ?

श्री मुनिस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि पादरियों के विषय में भारत सरकार का जो दृष्टिकोण है उसके सम्बन्ध में अखबारों द्वारा की गई कुछ आलोचना की ओर क्या सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ?

डा० काटजू : भारत में सहस्त्रों अखबार निकलते हैं और ये सहस्त्रों अखबार एकदम परस्पर विरोधी दृष्टिकोण व्यक्त करते हैं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार को यह विदित है कि आसाम के उत्तर-पूर्वी भाग में भी भारत विरोधी प्रोपोगंडा किया जा रहा है ?

डा० काटजू : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी कठिनाई महसूस करेंगे । दक्षिण में पोर्ट कोचीन के बारे में प्रश्न पूछा गया था और आसाम के उत्तर-पूर्वी भाग के बारे में पूछा जा रहा है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मद्रास सरकार से पूछने के अतिरिक्त क्या सरकार ने इटालियन मिशनरियों से भी पूछा है और उसे इन मिशनरियों से अपनी स्थिति स्पष्ट करने इस प्रकार का क्या कोई प्रतिनिधान प्राप्त हुआ है कि ये आरोप एकदम निराधार झूठ तथा ईर्ष्या-प्रेरित हैं और कुछ साम्यवादियों द्वारा व्यक्तिगत वैर के कारण लगाए गए हैं ?

डा० काटजू : मुझे मद्रास सरकार में पूर्ण भरोसा है और जब हम किसी राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट मांगते हैं तो हम समझते हैं कि वह राज्य पूरी छान बीन के पश्चात् ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा तथा प्रभावित व्यक्तियों को भी इस बात का पूरा अवसर देगा कि उन्हें क्या कहना है ।

नेशनल केडेट कोर्स

*३३५. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि नेशनल केडेट कोर्स की केन्द्रीय मंत्रणा समिति की एक बैठक सितम्बर १९५३ में नई दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन किन विषयों पर विचार विमर्श हुआ ?

(ग) शैक्षिक संस्थाओं में नेशनल केडेट कोर्स के विस्तार का कार्यक्रम कहां तक संतोषजनक साबित हुआ है ?

(घ) क्या यह सच है कि उक्त बैठक में इन सुझावों पर भी विचार किया गया था कि केडेटों के प्रशिक्षण में ग्लाइडिंग भी शामिल किया जाए ।

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) जी हां। १६ सितम्बर, १९५३ को बैठक हुई थी ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ग) सन् १९५३-५४ में नेशनल केडेट कोर्स में किए जाने वाले विस्तार का कार्यक्रम तथा अब तक की गई प्रगति दर्शाते हुए एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है । यह योजाना शैक्षिक संस्थाओं में लाभप्रद साबित हुई है और इसका विस्तार वित्त उपलब्धता द्वारा सीमित है ।

(घ) जी हां । सीनियर डिवीजन (एयर विंग) में ग्लाइडर प्रशिक्षण शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया ।

[ख) और (ग) के लिये देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८]

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह सच है कि बम्बई में नेशनल केडेट कोर्स के जूनियर डिवीजन को बन्द करने का विचार है और यदि हां तो इसके कारण?

श्री सतीश चन्द्र : माननीय सदस्य को शायद विदित होगा कि नेशनल केडेट कोर्स का व्यय केन्द्र तथा राज्य सरकारें मिलकर वहन करती हैं । प्रारम्भ में बम्बई सरकार ने ही जूनियर डिवीजन समाप्त करने का निर्णय किया क्योंकि वह उस पर होने वाले खर्चे का अपना भाग देने को तैयार नहीं थी । मामले पर नेशनल केडेट कोर्स की केन्द्रीय मंत्रणा समिति द्वारा विचार किया गया । बाद में बम्बई सरकार ने अपनी योजना में संशोधन कर दिया और प्रस्ताव रखा कि वह अपने भाग का एक तिहाई देने को तैयार है बशर्ते कि शेष दो-तिहाई स्वयं स्कूलों तथा केडेटों द्वारा वहन किया जाय । किन्तु अब फिर उसने हमें सूचित किया है कि इस प्रस्ताव पर शैक्षिक संस्थायें सहमत नहीं हैं और इसलिये उसने इसे बिलकुल ही समाप्त कर देने का निर्णय किया है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या केडेटों को उस समय कोई पारिश्रमिक दिया जाता है जब कि वे कैम्पों में होते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : कैम्प का खर्चा नशनल केडेट कोर्स के आय व्ययक में से किया जाता है । और कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता कम्प में रहने और खाने का खर्च उपरोक्त आयव्ययक में से होता है ।

श्री जयपाल सिंह : केडेटों के प्रशिक्षण में ग्लाइडिंग को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में, क्या मैं जान सकता हूं कि ग्लाइडिंग केवल वर्तमान ग्लाइडिंग केन्द्रों में ही दिया जायेगा अथवा समस्त भारत में ? यदि यह प्रशिक्षण वर्तमान ग्लाइडिंग क्षेत्रों के बाहर भी दिया जायेगा, तो उन स्थानों के नाम ?

श्री सतीश चन्द्र : विचार यह है कि नेशनल केडेट कोर्स के एयर विंग की सभी यूनिटों में ग्लाइडिंग विषय शामिल किया जाये ।

श्री नैरो : क्या इस समिति ने सेकेंडरी शिक्षा समिति की इस सिफारिश पर भी विचार किया था कि नेशनल केडेट कोर्स का सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिये ?

श्री सतीश चन्द्र : मुझे इस सिफारिश के सम्बन्ध में कुछ नहीं मालूम । किन्तु

यह योजना एक समिति की सिफारिश के अनुसार प्रारम्भ की गई थी जो कि नेशनल केडेट कोर्स विधेयक को इस सदन के सम्मुख पेश करने से पूर्व भारत सरकार ने पंडित कुंजरू की अध्यक्षता में नियुक्त की थी ।

विद्यार्थियों तथा युवक संगठनों को वित्तीय सहायता

*३३७. **श्री दाभी** : क्या **शिक्षा** मंत्री ४ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये प्रश्न संख्या १०२० के उत्तर को निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पंच वर्षीय योजना में विभिन्न विद्यार्थियों तथा अन्य युवक संगठनों को सहायता देने के लिये जो एक करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है उसके सम्बन्ध में क्या कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कार्यक्रम क्या है ; और

(ग) भारत में कौन कौन से संगठनों को यह सहायता दी जायेगी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) . पंचवर्षीय योजना में उपबन्धित एक करोड़ रुपये में से २० लाख रु० की लागत की एक योजना चालू वर्ष के लिये इस मंत्रालय ने युवक कल्याण तथा वर्क्स कैम्पों की एक योजना तैयार की है यह योजना राज्य सरकारों तथा विश्व विद्यालयों के उप-कुलपतियों द्वारा कार्यान्वित की जायेगी ।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि किसी संगठन को इस सहायता का पात्र बनने के लिये कोई शर्तें निर्धारित हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : अनुदान विश्वविद्यालयों को दिया जाता है जो कि इस योजना को कार्यान्वित करते हैं ।

श्री दाभी : योजना के कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

श्री के० डी० मालवीय : योजना के भाग के रूप में दो कैम्प संगठित किये गये थे, एक महाबलेश्वर में और दूसरा श्रीनगर में ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : विश्वविद्यालय प्राधिकारी इन कैम्पों का परिचालन करेंगे ।

योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को आत्म-निर्भरता तथा व्यक्तित्व-विकास के सम्बन्ध में प्रशिक्षित करना पड़ता है ।

राज्यों के पुनर्गठन के लिये उच्च शक्ति प्राप्त आयोग

*३३८. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के पुनर्गठन के लिये एक उच्च शक्ति-प्राप्त आयोग बैठाने का कुछ प्रस्ताव है ; तथा

(ख) यदि है तो उस आयोग के कब तक बैठने की सम्भावना है ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) हां ।

(ख) बहुत संभव है कि आयोग इस वर्ष के अन्त तक बन जाये । मैं प्रधान मंत्री द्वारा ६ अगस्त, १९५३ को इस सदन में दिय गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या उच्च शक्ति प्राप्त आयोग बनने के बाद कोई भाषा सम्बन्धी जनगणना होगी और क्या किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों का, जहां यह जनगणना होगी, कोई चुनाव किया गया है

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : किसी प्रकार की जनगणना का कोई प्रश्न नहीं है। क्योंकि, आयोग अनेक बातों पर ध्यान देगा यद्यपि उनमें एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात भाषा होगी, पर अन्य बातें भी हैं। उपलब्ध आंकड़ों को ले लिया जायेगा। कहीं भी जनगणना करने का कोई भी प्रश्न नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि क्या यह सच है कि बिहार तथा बंगाल की सीमा पर हुई जनगणना से बिहार और बंगाल दोनों सरकारें असन्तुष्ट हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ से अब हम तर्क रख रहे हैं।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं ठोस शब्दों में जान सकता हूं कि इस उच्च आयोग को क्या शक्ति प्राप्त होगी और "उच्च शक्ति" शब्द का क्या अर्थ है ?

अध्यक्ष महोदय : वह सुविदित है।

श्री गाडगिल : क्या यह कहना ठीक है कि राज्यों के पुनर्गठन का सारा प्रश्न इस आयोग का विषय होगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां।

श्री मुनिस्वामी : क्या उच्च शक्ति प्राप्त आयोग द्वारा किये जाने वाले निर्णय अंतिम होंगे, या मंत्रि परिषद उन पर पुनर्विचार करगी ?

श्री जवाहरलाल नहरू : वे अन्तिम कैसे हो सकते हैं : मंत्रि परिषद् को छोड़ कर इस संसद तक को उन पर विचार करना होगा।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री द्वारा बार-बार दिये गये दो प्रकार के वक्तव्यों में अर्थात् उच्च शक्ति प्राप्त आयोग या सीमा आयोग के बीच ऐसा कुछ अंतर है, जो इस विसंवाद का कारण हो ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे दोनों के बीच कोई अंतर नहीं दीखता। पर माननीय सहयोगी गृह मंत्री के निकट खेद-प्रकाश करते हुए मैं बता दूं कि मैं इसे सीमा आयोग नहीं कहना चाहूंगा वह ठीक व्याख्या नहीं बल्कि अस्पष्ट व्याख्या है ---मैं इसे "राज्यों के पुनर्गठन सम्बन्धी आयोग" कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

आगरा छावनी

*३४१. **सेठ अचल सिंह** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा छावनी क्षेत्र में संकरी तथा तंग सड़कों के दोनों ओर के दूकानदारों को हटाने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि आगरा छावनी बोर्ड के पास पैसे की कमी होने के कारण नालियों, सड़कों, रोशनी और पानी आदि की व्यवस्था सुचारु और पर्याप्त रूप में नहीं हो पाती है ?

(ग) यदि विदित है, तो सरकार उनको ठीक करने के लिये क्या पग उठाना चाहती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : सरकार छावनी बोर्ड तथा सम्बन्धित सैन्य भूसंपत्ति (एस्टेट) पदाधिकारी को पहले ही निर्देश दे चुकी है कि आगरा छावनी के दूकानदा रों को किसी उपयुक्त दूसरे उपयुक्त स्थान पर ले जाने के लिये उचित कार्यवाही करे।

(ख) हां।

(ग) आगरा छावनी बोर्ड की वित्त-व्यवस्था में हाल में पर्याप्त सुधार होता दिखाई दे रहा है, फलस्वरूप प्रतिवर्ष सड़कों, नालियों, रोशनी और पानी के सुधार पर

निम्न रूप में अधिकाधिक व्यय हो रहा है :

१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४ (अब तक)
रु० ५,२७०	रु० ६०,०००	रु० ७७,०००

बोर्ड को एक सहायता अनुदान देने की बात भी चल रही है, जो अन्य बातों के साथ नालियों, सड़कों आदि पर व्यय होगी ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि तमाम पग उठाये जाने पर भी दूकानदार हट नहीं रहे हैं, तो ऐसी सूरत में सरकार अब क्या पग उठाना चाहती है ?

सरदार मजीठिया : जैसा मैंने बताया, हम छावनी-बोर्ड तथा सैन्य भूसंपत्ति पदाधिकारी के पास निर्देश भेज चुके हैं । यदि वे खाली नहीं करेंगे, तो आवश्यक पग उठाने पड़ेंगे ।

सेठ अचल सिंह : क्या इतनी आर्थिक सहायता देने के बाद भी छावनी-बोर्ड की जो सड़कें चुंगी से मिली हुई ह, वे बहुत खराब हालत में हैं ?

सरदार मजीठिया : श्रीमान् यह ठीक ह और इसी लिये उनको सहायता अनुदान दिया जा रहा है । मैं बता दूं कि वह ३,९२,००० रुपये के आस-पास होगा ।

विदेश विनिमय

*३४२. **डा० एम० एम० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे कि देशी नरेशों को गत तीन वर्ष में विदेश यात्रा के लिये विदेशी विनिमय की सुलभ तथा दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों के लिये पृथक-पृथक कितनी राशियां उन्मुक्त की गई थी ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : उन्मुक्त राशियां निम्न प्रकार से हैं :

१९५१		१९५२		१९५३ (अद्यतन)	
सुलभ	दुर्लभ	सुलभ	दुर्लभ	सुलभ	दुर्लभ
४८,४५० पौंड	५००० डालर	४४,६३५ पौंड	५००० डालर	४७,६०० पौंड	कुछ नहीं

डा० एम० एम० दास : : मैं जान सकता हूं कि क्या देशी नरेशों को रक्षित बैंक द्वारा उनकी विदेश-यात्रा के लिये आवश्यक विदेशी विनिमय की उन्मुक्ति के विषय में कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं ?

श्री एम० सी० शाह : उनको कोई विशिष्ट विशेषाधिकार नहीं मिले हुए हैं। पर चूंकि सम्मिलन के समय उनको वचन दिया गया था, अतः उनकी सुविधा का ध्यान रखा जाता है, और कुछ अतिरिक्त विनिमय-सुविधायें प्रदान की जाती हैं ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं उन विशेष कारणों को जान सकता हूं, जो विदेशी विनिमय की उपयुक्ति के समय ध्यान में रखे जाते हैं ?

श्री एम० सी० शाह : मैं ने कहा कि सम्मिलन से पूर्व उन्हे जो सुविधायें प्राप्त थीं उनको ध्यान में रखा जाता है । साथ ही सभी मामलों का निदश राज्य मन्त्रालय को किया जाता है और राज्य मंत्रालय के अनुरोध पर हम कुछ अधिक दे देते हैं ।

डा० एम० एम० दास : म जान सकता हूं कि क्या विगत एक वर्ष में किसी देशी नरेश के विदेशी विनिमय सम्बन्धी किसी आवेदन को अस्वीकार किया गया है या अपेक्षित राशि में कोई कटौती की गई है ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास यह जानकारी नहीं है । मेरे पास दिये गये विदेशी विनिमय की जानकारी है ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार दी गई राशियों में से विदेशी नरेशों ने कितना अनुपात स्वास्थ्य के आधार पर विदेशी यात्रा में व्यय किया था और कितना सैर के आधार पर ?

श्री एम० सी० शाह : आधार मिश्रित है । कभी कभी स्वास्थ्य के आधार और सैर दोनों ही के मिले जुले आधार पर विदेशी विनिमय दिया जाता है । वस्तुत: यदि हम इस पर ध्यान दें, तो शायद नरेशों को सामान्य सुविधा से दूनी सुविधा मिलती है । यदि आप आंकड़े चाहें, तो मैं आप को वे सब आंकड़े भी बता सकता हूं ।

आयकर तथा अतिरिक्त आयकर

*३४३. **डा० एम० एम० दास :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने अब तक विदेशी राज्यों को मिलने वाली आय कर तथा अतिरिक्त आयकर सम्बन्धी विमुक्ति १ अप्रल, १९५३ से वापस ले ली है ; तथा

(ख) क्या यह सच है कि नरेशों द्वारा सम्मिलन के समय भारत सरकार के साथ किये गये सम्मिलन-समझौते में ऐसी कोई विमुक्ति नहीं दी गई थी ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) :

(क) भारत सरकार शासक नरेशों और प्रमुखों को कार्यपालिका के आदेश के अन्तर्गत अतिरिक्त आयकर के भुगतान से अब तक मिलने वाली विमुक्ति को वापस लेना चाहती है, और जो १ अप्रैल, १९५३ और उसके बाद होने वाली आय के विषय में वापस ली जायगी यह मंतव्य शासकों को अधिसूचित कर दिया गया है और उनमें से कुछ के आभ्यावेदन आए हैं।

(ख) मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य शासकों द्वारा निष्पादित प्रसंविदा और विलयन-समझौतों का निर्देश कर रहे हैं। इन कागजों मे १५ अगस्त, १९४७ से पूर्व शासकों को मिलने वाली सुविधाओं को जारी रखने का उपबन्ध है । सम्बन्धित विमुक्ति कार्यपालिका के आदेश के अधीन दी गई थी और इसे वापस लिया जा सकता था तथा इसमें कोई वैध बंधन न था ।

डा० एम० एम० दास : क्या शासकों द्वारा किये गये अभ्यावेदनों के विषय में सरकार किसी निर्णय पर पहुंची है ?

श्री एम० सी० शाह : अभ्यावेदन विचाराधीन हैं ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि शासकों से आयकर या अतिरिक्त आयकर के रूप में लगभग कितनी राशि एकत्र की जायेगी ?

श्री एम० सी० शाह : वे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । हमें वे आंकड़े एकत्र करने होंगे ।

श्री जी० एस० सिंह : मैं जान सकता हूं कि भूतपूर्व शासकों के आयकर विषयक विमुक्ति के ये आंकड़े आयकर विभाग द्वारा पकड़ी गई गुप्त आय की तुलना में कैसे हैं ?

श्री एम० सी० शाह : इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है ।

डा० एम० एम० दास : क्या इन शासकों को मिलने वाली निजी थैली कर योग्य आय में ली जायेगी ?

श्री एम० सी० शाह : निजी थैलियां ? नहीं । वे प्रसंविदाओं के अधीन पहले से ही बहिर्गत हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं .....

अध्यक्ष महोदय : हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं ।

नेल्लोर और चित्तूर के उत्पाद-कर कार्यालय

*३४४. **श्री नानादास :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेल्लोर और चित्तूर के उत्पाद-कर कार्यालय को हैदराबाद के केन्द्रीय उत्पाद-कर समाहर्त्तालय (कलैक्टोरेट) के नियंत्रण में कर देने का कोई विचार है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो किस तारीख से ?

वित्त मन्त्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी हां। नेल्लोर और चित्तूर के उत्पाद-कर कार्यालय को केन्द्रीय उत्पाद-कर समाहर्ता, हैदराबाद के नियंत्रण में कर देने के प्रस्ताव पर सक्रिय विचार हो रहा है ।

(ख) जब कुछ प्रशासन सम्बन्धी प्रबन्ध तथा औपचारिकतायें पूरी हो जायेंगी, जिनमें लगभग दो महीनें से अधिक समय नहीं लगेगा, इस कार्यालय का उनके अधीन स्थानान्तरण कर दिया जायगा ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि हैदरा बाद समाहर्त्तालय के नियंत्रण के अंतर्गत सर्किल कार्यालयों की संख्या कितनी है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री नानादास : क्या यह सत्य नहीं है कि हैदराबाद समाहर्त्तालय के नियंत्रण के अन्तर्गत बहुत बड़ा क्षेत्र है जिससे कि वहां अच्छी प्रकार से तथा प्रभावोत्पादक नियंत्रण नहीं हो सकता ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो अपने मत का विषय है । मैं समझता हूं कि इस प्रश्न के लिये अनुमति नहीं दी जा सकती ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का नेल्लोर और चित्तूर को हैदराबाद डिवीजन में मिला देने के बाद इसको दो भागों में विभक्त करने का विचार है ?

श्री सी० डी० देशमुख : इन दोनों कार्यालयों के स्थानांतरण के सम्बन्ध में अधिकारियों की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद इस मामले पर विचार किया जायेगा ?

श्री एम० डी० रामस्वामी : म जान सकता हूं कि इस प्रस्तावित स्थानांतरण के कारण क्या हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : आंध्र राज्य बन जाने के कारण इन परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है ।

कृत्रिम चावल

*३४५. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री ५ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३१ के दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करगे कि कृत्रिम चावल उत्पादन सम्बन्धी योजना किस अवस्था में है ?

(ख) कृत्रिम चावल के उत्पादन की योजना पर सरकार ने अब तक कितना खर्च किया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी०मालवीय) : (क) कृत्रिम चावल के उत्पादन के सम्बन्ध में अनुसन्धान जारी है ।

(ख) लगभग १३,००० रुपये ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि मैसूर के एक विशेषज्ञ ने यह घोषणा की है कि आरटीफिशियल राइस का अन्वेषण जो हुआ है वह बेकार साबित हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैसूर के इन्स्टीट्यूशन में अन्वेषण हुआ है, आरटीफिशियल राइस के सम्बन्ध में, वह संतोषजनक रीति से पूरा हो चुका है। लेकिन मास स्केल प्रोडक्शन करने के पहले यह ज़रूरी है कि छोटे पैमाने पर उसको बनाया जाये और जब उसकी इकानमी मालूम हो जायेगी तभी बड़े पैमाने पर बनाया जायगा।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि संसार में और भी कहीं इस प्रकार का ऐक्सपैरीमेंट हुआ है या केवल हिन्दुस्तान में ही हो रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। यह प्रश्न ठीक नहीं है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या यह सत्य है कि कृत्रिम चावल बनाने के हेतु मशीन खरीदने के लिये एक विशेषज्ञ विदेश गया है ? यदि ऐसा है, तो क्या उसे वह मशीन मिल गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस कृत्रिम चावल के बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिये उपयुक्त मशीन प्राप्त करने का प्रश्न संतोषजनक रीति से हल हो गया है। किन्तु जैसा कि मैंने कहा, इसका बड़ी मात्रा में उत्पादन करने से पूर्व पहिले इसका थोड़ी मात्रा में उत्पादन करना आवश्यक समझा गया है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् इस प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री आर० एन० एस० देव। अनुपस्थित हैं।

श्री पी० सुब्बा राव : श्री आर० एन० एस० देव ने अपना प्रश्न करने का अधिकार मुझे दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : सभी उपस्थित प्रश्नकर्ताओं के बाद।

माध्यमिक (सैकेंडरी) शिक्षा आयोग

*३४९. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग पर कितना खर्च हुआ है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : १९५२-५३ में आयोग पर ८१,९२५ रुपये ३ आने ९ पाई खर्च हुये और १९५३-५४ में अब तक ५२,२१६ रुपये ६ आने खर्च हुये।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि इस आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं और सरकार ने कौन कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

मिनिस्टर आफ एजूकेशन एण्ड नेचूरल रिसोर्सेज एण्ड साइंटिफिक रिसर्च (मौलाना आज़ाद) : नहीं, एक कमेटी बिठाई गई है जो इन तमाम रिकमन्डेशनन्स को देख रही है। जनवरी में वह अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि इस बात को मालूम करने के लिये एक दूसरी समिति नियुक्त की गई है कि इस आयोग की सिफारिशों को सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार लागू किया जा सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय : इनको लागू करने के मामले में, जैसा कि माननीय मंत्री ने अभी बताया, एक समिति नियुक्त की गई है : यह केवल सिफारिशों को लागू करने के प्रश्न की जांच करने के सम्बन्ध में नियुक्त की गई है। सरकार ने सामान्य रूप से इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

श्री एन० एम० लिंगम : इन सिफारिशों को लागू करने से पूर्व सरकार कितनी और समितियां नियुक्त करना चाहती है ?

श्री के० डी० मालवीय : जितनी आवश्यक समझी जायेंगी ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न आयोगों द्वारा जांच करने के बाद, आयोग की सिपारिशों को लागू करने का प्रश्न केन्द्र तथा राज्य में मतभेद होने के कारण या वित्तीय आधार पर खत्म हो जायगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न इस समय कल्पनात्मक है । अब हम श्री एस० एन० दास का प्रश्न लेंगे ।

छपाई टैक्नोलाजी का स्कूल

*३१४. **श्री एस० एन० दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपाई टैक्नोलौजी के स्कूल की स्थापना के बारे में छपाई उद्योग तथा राज्य सरकारों से बातचीत आरम्भ कर दी गई है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इस योजना की नवीनतम स्थिति क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) तथा (ख) । जी हां । छपाई उद्योग के साथ बातचीत में प्रगति हो रही है । राज्य सरकारों के साथ बातचीत शीघ्र आरम्भ की जायगी ।

श्री राधारमण : मैं जान सकता हूं कि इस बातचीत के कितने समय में समाप्त हो जाने की सम्भावना है और यह योजना कब तैयार हो जायगी ?

श्री के० डी० मालवीय : अखिल भारतीय टैक्निकल शिक्षा परिषद् ने, इसके द्वारा नियुक्त की गई समिति ने जितनी सिपारिशें की थी उन सबकी फरवरी, १९५३ में जांच की और इसने अब उन्हें स्वीकार कर लिया है । उन सिपारिशों के परिणाम स्वरूप सरकार छपाई उद्योग से बातचीत कर रही है । जब छपाई उद्योग अपने विशिष्ट प्रस्ताव हमें दे देगा, राज्य सरकारों से भी उसी समय परामर्श किया जायेगा ।

श्री राधारमण : मैं जान सकता हूं कि जहां यह केन्द्र स्थापित किया जायगा, क्या सरकार ने वह स्थान पहिले से ही निश्चित कर दिया है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस योजना में सामान्य रूप से प्रादेशिक केन्द्रों के स्थापित करने की बात दी हुई है और परिषद् की सिपारिशों के अनुसार ऐसे केन्द्रों के लिये चार महाखण्डों का प्रस्ताव किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षण तथा अनुसन्धान के लिये एक और केन्द्रीय संस्था स्थापित करने का विचार किया जा रहा है ।

श्री राधारमण : मैं जान सकता हूं कि प्रत्येक स्कूल में कितने अधिकतम विद्यार्थियों को लिये जाने का विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह विस्तार का मामला है । जब राज्य सरकारें अपनी अनुमति दे देंगी तभी इन मामलों को तय किया जा सकता है ।

राज्यों को अनुदान

*३१५. **श्री एस० एन० दास की ओर से श्री राधा रमण** : (क) दैवी विपत्तियों के निवारण के लिये विभिन्न राज्यों को इस योजना में उपबन्धित १५ करोड़ की निधि में से अब तक कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ख) प्रत्येक राज्य को पृथक् पृथक् दी गई राशि कितनी है ;

(ग) चालू वर्ष में विभिन्न राज्यो ने किस प्रकार की मांगें की और कितनी राशियां मांगी ; तथा

(घ) किस हद तक ये मांगें पूरी कर दी गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (घ) तक । १५ करोड़ रुपयों के उपबन्ध का सम्बन्ध तो योजना के गत तीन वर्षों से है जो कि चालू वर्ष से आरम्भ होती है । एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३९**]

पंडित डी० एन० तिवारी: मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्र इन योजनाओं को स्वयं सीधे ही प्राप्त करता है अथवा कोई ऐसी प्रबन्ध व्यवस्था है जो लोगों से योजनाओं को सीधे ही प्राप्त करती है ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी नहीं । आवेदन पत्र राज्य सरकारों से प्राप्त होते हैं ।

बीमा समवाय

***३१६. श्री राधारमण (श्री एस० एन० दास की ओर से)** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीमा समवायों द्वारा पालन कराये जाने के लिये बनाये गये सदा चार नियमों के प्रशासन के लिये क्या कोई पृथक् शासन तंत्र स्थापित किया गया है और वह कार्य कर रहा है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : जी हां, जहां तक सामान्य बीमा व्यवसाय सम्बन्धी सदाचार नियमों के प्रशासन का सम्बन्ध है ।

श्री राधारमण : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को विदित है कि बीमा समवायों द्वारा पालन किये जाने वाले सदाचार नियमों का अभी तक पालन नहीं किया जा रहा है ?

श्री एम० सी० शाह : इसे केवल गत जुलाई में ही लागू किया गया है । अभी से यह कहना कि उसका पालन नहीं किया जा रहा है समय से बहुत पहले की बात है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को योजना कार्यान्वित करने के लिये इन बीमा समवायों की रक्षित निधियों को ले लेने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न किस प्रकार उत्पन्न होता है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : प्रश्न कार्यान्वित के सम्बन्ध में है ।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न सदाचार नियमों को कार्यान्वित करने वाले शासनतंत्र के सम्बन्ध में है । उस का उस प्रश्न से जिसे माननीय सदस्य ने पूछा है कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री के० के० बसु : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इन नियमों को विदेशी सार्थों के कर्मचारियों पर, जो भारतीय नागरिक नहीं हैं तथा इन सार्थों के भारतीय नागरिकों पर, लागू किया गया है

श्री एम० सी० शाह : यह सदाचार नियम बीमा समवायों द्वारा बनाई गई कुछ नीतियों पर ही लागू होंगे । दुराचार को रोकने के लिये यह निश्चित किया गया है कि जहां तक उन बीमा समवायों का सम्बन्ध है कुछ सदाचार नियम बनाये जाने चाहिये वह नियम सभी समवायों पर लागू होंगे, और यह ऐच्छिक आधार पर हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि यह नियम भारतीयों तथा अभारतीयों के मध्य कोई विभेद करते हैं ?

श्री एम० सी० शाह : यह बीमा समवायों के सम्बन्ध में है, नागरिकों के सम्बन्ध में—भारतीय नागरिकों अथवा अन्य देशीय नागरिकों के सम्बन्ध में नहीं है । सदाचार

नियम उन सभी बीमा समवायों पर लागू होंगे जो कि भारतीय बीमा संस्था के सदस्य हैं ।

तम्बाकू उत्पादक

*३४६. **श्री पी० सुब्बा राव (श्री आर० एन० एस० देव की ओर से)** : क्या **वित्त** मंत्री १० अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३४६ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर को निर्दिष्ट करके यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तम्बाकू उत्पादकों पर नियंत्रण रखने की प्रणाली से ग्राम अधिकारियों का प्रस्तावित परिमेल करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; तथा

(ख) वह शर्तें जिनके अनुसार निजी तथा स्थानीय खपत के लिये तम्बाकू की खेती करने वाले व्यक्तियों को आबकारी शुल्क में छूट दी जाती है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) प्रश्न में उल्लिखित प्रणाली को १ अक्तूबर, १९५३ से एक परीक्षात्मक योजना की भांति उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, मुज़फ्फर नगर, आगरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, मथुरा तथा देहरादून के जिलों में चालू किया गया है ।

(ख) केन्द्रीय आबकारी नियमों के नियम २० के अनुसार उत्पादक तथा उसके परिवार के सदस्यों के निजी उपयोग के लिये पैदा किये तम्बाकू पर शुल्क में छूट दी गई है । यह छूट कुछ सीमा तक ही दी गई है जिनको जनता की तम्बाकू पीने की आदत के अनुसार प्रादेशिक आधार पर निश्चित किया गया है । व्यापक प्रशासनिक विचारों के अनुसार सरकार ने कार्य पालिका निर्देश के द्वारा कम उत्पादन वाले क्षेत्रों, जैसे पहाड़ी जंगलों तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों, में विशिष्ट रूप से स्थानीय अथवा व्यक्तिगत उपयोग में लाये जाने के लिये, कुछ उपयुक्त संरक्षणों सहित, पैदा किये गये तम्बाकू को केन्द्रीय आबकारी नियंत्रण तथा शुल्क से छूट दे दी है ।

श्री पी० सुब्बाराव : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में जिस छूट का निर्देश है क्या वह समस्त भारत पर लागू होती है अथवा किन्ही राज्य विशेषों पर ही ?

श्री सी० डी० देशमख : जहां भी परिस्थितियां बाध्य करती हैं यह छूट दी जाती है ।

श्री सी० डी० देशपांडे : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि तम्बाकू पर आबकारी शुल्क लगाये जाने के परिणाम स्वरूप भारत के किन्ही प्रदेशों में तम्बाकू की कृषि का क्षेत्रफल कम हो गया है ? इस सम्बन्ध में मैं मध्य प्रदेश के बुल्डाना जिले का निर्देश कर दूं ।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे बुल्डाना जिले के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं है, परन्तु समष्टि रूप से यह विश्वास कर लेने के, कि इस के परिणामस्वरूप तम्बाकू की कृषि का क्षेत्रफल कम हो गया है, कोई कारण नहीं है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : क्या सरकार जांच कर के सदन को सूचित करेगी ?

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से प्रश्न सूची समाप्त हो गई है ।

श्री के० के० बसु : आप प्रश्न संख्या ३४७ को प्रस्तुत कर सकते हैं, श्रीमान् । अभी पांच मिनट शेष हैं । श्री रेड्डी अभी आये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

खेल

*३४७. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खेल संस्थाओ को इस वर्ष कितनी राशि अनुदान के रूप में दी गई ?

(ख) किस किस संस्था को यह अनुदान दिये गये हैं ?

(ग) प्रत्येक को कितनी कितनी राशि मिली ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) ३५,००० रुपये ।

(ख) तथा (ग) (१) हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती, १०,००० रुपये ;

(२) अखिल भारतीय नारी हाकी एसोशियेशन,, नागपुर, (मध्य प्रदेश), १५,००० रुपये ;

(३) अखिल भारतीय लान टेनिस एसोसिएशन, कलकत्ता, १०,००० रुपये ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : श्रीमान में जान सकता हूं कि यह अनुदान एतदर्थ आधार पर दिये गये या कि इन के लिये बजट में कोई उपबन्ध है ?

श्री के० डी० मालवीय : पूर्णत : एतदर्थ आधार पर, श्री विश्वनाथ रेड्डी : में जान सकता हूं कि क्या ऐसा कोई संगठन या बोर्ड है जो सरकार को इस बात की मंत्रणा दे कि किस खेल संस्था को यह अनुदान दिये जाने चाहिये ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार को इन अनुदानों के वितरण के विषय में मंत्रणा देने के लिये कोई विशेष बोर्ड नहीं है ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान् मै जान सकता हूं कि अनुदान दिये जाने के लिये संस्थाओं का चुनाव किस आधार पर किया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय: विभिन्न संस्थाओं से प्रार्थना पत्र प्राप्त होते हैं और फिर उनमें से चुनाव किया जाता है । हमारे मंत्रणा दाता की मंत्रणा को भी विचार में रखा जाता है ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि क्या फुटबाल, क्रिकेट तथा अन्य किसी खेल संस्था से भी प्रार्थना पत्र आये थे ? यदि हां, तो उनका क्या बना ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री नटशन : क्या मद्रास के किसी खेल संस्था को भी कुछ अनुदान दिया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सूची समाप्त हो गई ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ई० एम० ई० स्टेशन वर्कशाप

*३१७. **सरदार हुक्म सिंह :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ई० एम० ई० स्टेशन वर्कशाप में नौकर रखे गये गैरल डाकू कर्मचारियों को वही प्रारम्भिक वेतन दिया जा रहा है जिस पर उनको नौकरी में लगाया गया था और उनके वेतन में कोई वार्षिक बढ़ौती अथवा वेतन वर्ग में कोई वृद्धि नहीं की जाती ?

(ख) क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों को कोई भत्ता नहीं दिया जाता है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (ख) नहीं श्रीमान् । उनको युद्ध काल में यह बढ़ौतिया दी गई :

	प्रति मास
मूल वेतन में बढौती	. २ रुपये
युद्ध सेवा बढ़ौतीं	. ६ रुपये
स्थगित वेतन .	. १ रुपया

(ग) हां, श्रीमान् ।

पूर्वनिर्मित कांक्रीट के तख्ते

*३२१. **श्री पुन्नूस** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्व-निर्मित कांक्रीट के तख्तों के उत्पादन निमित्त एक यंत्र रुढ़की में स्थापित किया गया अथवा किया जाना है ?

(ख) यह यंत्र कहां से और कितने मूल्य पर आयात किया जा रहा है ?

(ग) इस यंत्र से कितना उत्पादन होगा ?

(घ) इस के उत्पाद किन प्रयोजनों के लिये तत्काल ही उपयोग में लाये जायेंगे ?

. शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद): (क) से (घ) तक । प्रस्थापना वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के विचाराधीन है ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा सम्पत्ति ग्रहण

*३२२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सरकारी कर्मचारियों द्वारा सम्पत्ति ग्रहण के संबंध में सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में उपबंध लागू करने के लिये सरकार द्वारा की गई यदि कोई कार्यवाही हो तो बताने की कृपा करेंगे ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): विद्यमान नियम केवल अचल सम्पत्ति में लागू होते हैं तथा केवल इसकी आवश्यकता है कि सरकारी कर्मचारी को क्रय अथवा भेंट स्वरूप अचल सम्पत्ति ग्रहण करने से पूर्व उचित अधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये । नियमानुसार यह भी आवश्यक है कि सेवा में आते समय तथा बाद के अवसरों पर, जब कभी नवीन सम्पत्ति ग्रहण की जाती है, तो सरकारी कर्मचारी, उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित संबंधियों द्वारा प्राप्त की गई अचल सम्पत्ति के लिये सरकार के पास घोषणा करवा दी जानी चाहिये । प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सम्पत्ति के संबंध में उस से होने वाले सामयिक लाभों का विवरण जमा करने का प्रश्न भी सरकार के सम्मुख पूर्ण रूपेण विचाराधीन है । योजना आयोग का सुझाव कि चल सम्पत्तियों के वार्षिक लाभों का विवरण भी मंगाया जाना चाहिये, इस पर भी उसकी भी सब गुत्थियों सहित परीक्षा की जा रही है ।

संघ लोक सेवा आयोग

*३२३. **श्री वी० पी० नायर:** (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन सदन पटल पर कब रखा गया था ?

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है, जिनमें संघ लोक सेवा आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे जाने से अब तक, नियुक्तियां उसके द्वारा न होकर अन्य उपायों से की गई हैं ?

(ग) क्या सरकार सदन पटल पर १,००० रु० से अधिक वेतन वाली नियुक्तियों की सूची निम्न विस्तारों सहित रखेगी : (१) पदाधिकारी का नाम (२) पद जिस पर अब उनकी नियुक्ति की गई है, (३) वर्तमान पद पर चुनाव होने से पूर्व यदि किसी

पद पर वह थे तो यह पद तथा मिलने वाला वेतन, (४) आयु तथा (५) वर्तमान कुल वेतन तथा भत्ते आदि ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) (क) संघ लोक सेवा आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन सदन पटल पर ११ अक्तूबर, १९५१ को रखा गया था।

(ख) तथा (ग). तत्काल सूचना उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य सम्भवत: उन नियुक्तियों के विषय में जानना चाहते हैं जो आयोग के परामर्श बिना की गई हैं यद्यपि विद्यमान नियमों के अनुसार ऐसे परामर्श की आवश्यकता थी। यह सूचना सम्भवत: आयोग के वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के प्रतिवेदनों में शीघ्र ही प्राप्त होगी तथा जिसको सरकार चालू अधिवेशन में सदन पटल पर रखने की आशा करती है। माननीय सदस्य तब यह विचार कर सकते हैं कि वह क्या इसके आगे कुछ जानना चाहते हैं। यदि ऐसा होगा, तो प्रसन्नतापूर्वक वह सूचना दी जायगी।

फोर्ड फाऊन्डेशन

*३२४. **श्री पुन्नूस** : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को फोर्ड फाऊन्डेशन, अमरीका ने अपने कार्य के कुछ अंगों में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया है ?

(ख) आमंत्रण उनके पास पहुंचने से पूर्व क्या सरकार से परामर्श लिया गया था ?

(ग) सरकार के पास इस कार्य के लिये उनको मुक्त कर देने के क्या कारण थे ?

(घ) इस काल का उनका कुल वतन क्या होगा तथा उसका भुगतान कौन करेगा?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) उस समय के अतिरिक्त सचिव को शिक्षा प्रसार की तिथि में से अमरीका की प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा की कुछ समस्याओं पर परामर्श के लिये आमंत्रित किया गया था।

(ख) नहीं।

(ग) उनको अमरीका की प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा की कुछ समस्याओं पर परामर्श के लिये शिक्षा प्रसार की निधि का आमंत्रण स्वीकार करने के लिये अनुमति दे दी गई थी क्यों भारत सरकार को अमरीका से विभिन्न मामलों में टेक्निकल सहायता मिल चुकी है तथा उसने उस देश के लिये समान सहायता की प्रार्थना को स्वीकार करना उपयुक्त समझा।

(घ) उनको १६ सितम्बर १९५३ से ५० दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था। भारत सरकार का दायित्व उनको अवकाश काल के लिये मिलने वाले अवकाश वेतन तक ही समित है।

बंगाल की खाड़ी का वायु-चुम्बकीय पर्यवेक्षण

*३२५. **श्री पुन्नूस** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी द्वारा किया गया पश्चिमी बंगाल की खाड़ी का वायु चुम्बकीय पर्यवेक्षण का परिणाम अब उपलब्ध है; तथा

(ख) प्राप्त आंकड़ों के आधार पर क्या सम्भावनाएं की जा सकती हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद): (क) तथा (ख). स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी ने पश्चिमी बंगाल के उपजाऊ भू खण्ड के वायु चुम्बकीय पर्यवेक्षण द्वारा एकत्रित किये आंकड़े सरकार के पयवेक्षण

के पश्चात् दे दिये हैं। इन आंकड़ों से अनुकूल परणिामों की सम्भावना प्रकट होती है यह विस्तृत जांच-पड़ताल का प्रथम भाग है, इससे पूर्व कि अधिकार के साथ कुछ कहा जा सके कि इसका कोई निश्चित परिणाम निकलेगा, भूमि का और अधिक पर्यवेक्षण कार्य तथा तेल के लिये बोरिंग कराना आवश्यक होगा। स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी के इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिये प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

राष्ट्रीय अन्वेषण विकास निगम

*३२९. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने योजना आयोग के भारत के राष्ट्रीय अन्वेषण विकास निगम की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करना आरम्भ कर दिया है ?

(ख) सरकार उसको किस प्रकार कार्यान्वित करना चाहती है ?

शिक्षा व प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) भारत के राष्ट्रीय अन्वेषण विकास निगम की स्थापना भारतीय समवाय अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व में एक निजी लिमिटेड कम्पनी के रूप में की जा रही है।

जम्मू तथा काश्मीर के भूतपूर्व कमचारी

*३३३. **श्री अजित सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर में भूतपूर्व कर्मचारियों के कष्टों की जांच करने के लिये किसी तथ्य-निर्धारण समिति की स्थापना की गई है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) अब तक प्राप्त हुए परिणाम सदन पटल पर रखे गए विवरण में दिये गए हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०]**.

संघ लोक सेवा आयोग

*३३९. **श्री अजित सिंह :** (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के लिये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत कर दिया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार सदन पटल पर उन प्रतिवेदनों की प्रतिलिपियां रखने का विचार कर रही है, जिनमें उन आवश्यक ज्ञापनों की व्याख्या करते हुए यदि कुछ कारण हों तो वे भी दिये होंगे जिनमें आयोग की सम्मति नहीं स्वीकार की गई थी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) आयोग से यह ज्ञात हुआ है कि अगले दो सप्ताहों के अन्दर सरकार के पास उसका प्रतिवेदन पहुंचने वाला है। सरकार को भी स्वभावत: प्रतिवेदन का अध्ययन करने तथा आवश्यक ज्ञापनों को तैयार करने के लिये कुछ समय की आवश्यकता पड़ेगी। प्रतिवेदनों तथा ज्ञापनों को चालू अधिवेशन में ही सदन पटल पर रखने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा।

काश्मीर के लिये सहायता

*३४०. **श्री माधव रेड्डी :** क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर सरकार को इसके विषय की तिथि से

सितम्बर १९५३ तक अनुदानों और ऋणों के रूप में पृथक पृथक कुल कितनी आर्थिक सहायता दी गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० कटजू): अनुदानों के रूप में जम्मू तथा काश्मीर राज्य सरकार को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है ।

सितम्बर १९५३ तक ६७०·५५ लाख रुपये का राशि ऋण के रूप में उस सरकार को दी गई थी । इसके अतिरिक्त मार्च १९५३ तक ५२१ लाख रुपये की राशि "काश्मीर के सहायता" के अधीन दी गई, तथा ३४९ लाख रुपये का खर्च राज्य क्षेत्र के बीच पड़ने वाली जम्मू-पठानकोट रोड के भाग का निर्माण तथा मरम्मत करने पर हो गया । काश्मीर के लिये सहायता के अधीन दी गई राशि को आया अनुदान के रूप में माना जायगा इस प्रश्न का निर्णय बाद में जम्मू तथा कश्मीर सरकार के साथ किया जायेगा ।

पुस्तक कोटला जांच समिति

*३४८. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पैप्सू की पिछली सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी, जो पुस्तक घोटाला जांच समिति के नाम से विख्यात थी, जिसके सभापति उस समय की विधान सभा के सदस्य सरदार फतेह सिंह थे ;

(ख) क्या उस समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और रिपोर्ट भी तैयार कर ली थी, परन्तु जब सभापति की मृत्यु हुई उस पर उनके हस्ताक्षर नहीं हुये थे ;

(ग) क्या राष्ट्रपति के शासन में कोई नवीन सभापति नियुक्त किया गया था ;

(घ) यदि ऐसी बात है, तो उसके लिये कितना वेतन निश्चित किया गया ; और

(ङ) क्या रिपोर्ट अब तैयार है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी हां ।

(ख) नहीं, जब सभापति की मृत्यु हुई तो समिति ने रिपोर्ट तैयार नहीं की थी ।

(ग) हां ।

(घ) पांच हजार रुपये का इकट्ठा मान वेतन ।

(ङ) लगभग एक महीने के अन्दर रिपोर्ट तैयार हो जाने की आशा है ।

सम्पदा शुल्क

१८१. **श्री के० सुब्रह्मण्यम् :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ के बीच सम्पदा शुल्क के कारण अनुमानित राजस्व; और

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना कालावधि के बीच सम्पदा शुल्क से होने वाली अनुमानित आय ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) १९५३-५४ में सम्पदा शुल्क से अनुमानित राजस्व बहुत कम होगा । सम्पदा शुल्क अधिनियम १५ अक्तूबर, १९५३ से लागू हुआ है, और उन सब मृत्यु पर लागू होगा, जो उस दिन या उसके बाद घटित होंगीं । क्योंकि मृत्युलेख कार्याधिकारी अथवा दूसरे मृत्यु लेखा रखने वाले व्यक्तियों को मृत्यु की तिथि से छः महीने के अन्दर विवरणिका भेजनी होती है, इस लिये जहां तक उनसम्पदाओं का सम्बन्ध है, जिन पर शुल्क लगने वाला है वर्ष की समाप्ति से पहले निर्धारण कार्य पूर्ण होना संभव नहीं है ।

(ख) पंचवर्षीय योजना की कालावधि के बीच सम्पदा शुल्क से आने वाले राजस्व का अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि यह बहुत से अनिश्चियात्मक

तत्वो पर आधारित है, अर्थात धनवान व्यक्तियों की मृत्यु, और उन के द्वारा छोड़ी गई सम्पदाओं का मूल्य । इस समय केवल इतना ही कहा जा सकता है कि इस शुल्क से मिलने वाला राजस्व राज्यों की विकास परियोजनाओं की सहायता करने के लिये अपर्याप्त नहीं होगा ।

राष्ट्रीय आय

१८२. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५०-५१ में राष्ट्रीय आय; और

(ख) १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में राष्ट्रीय आय ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) तथा (ख) जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई ।

कपड़े पर उत्पाद शुल्क

१८३. **डा० अमीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में कपड़े पर कुल कितना वार्षिक उत्पाद शुल्क प्राप्त किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : पिछले तीन वर्षों में कपड़े पर प्राप्त की गई कुल वार्षिक उत्पाद शुल्क की राशि इस प्रकार है :–

१९५०-५१	१९५१-५२	१९५२-५३
रुपये	रुपयें	रुपये
८,४५,८३,०००	१६,२२,३२,	१३,२०,९४,०००

भारत में पब्लिक स्कूल

१८४. **श्री एन० एम० लिंगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले वर्ष भारत वर्ष में प्रत्येक पब्लिक स्कूल के लिये सरकार ने कितना अनुदान मंजूर किया है ; और

(ख) चालू वर्ष के बीच प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या ?

शिक्षा, प्राकृतिक, संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद)

(क) तथा (ख) विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४१**]

राष्ट्रीय आय समिति

१८५. **श्री एस० एन० दास** क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आय समिति के अन्तिम प्रतिवेदन की तय्यारी में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

(ख) इस समिति की कितनी बैठकें १९५२- तथा १९५३ में हो चुकी हैं ?

(ग) इस समिति के कुछ सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया है या सब सदस्य अभी तक बने हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमख) : (क) इस प्रतिवेदन का विषय इतना पेचीदा है कि अक्सर प्रतिवेदन तैयार करने के पूर्व सदस्यों में परस्पर वैयक्तिक विचार-विमर्श करना आवश्यक हो जाता है । इस समिति सदस्यों के अत्यधिक व्यस्त होने के कारण बैठकों का प्रबन्ध करने में काफी समय लग जाता है ।

(ख) १९५२ में सात बार तथा १९५३ में पांच बार इस समिति की बैठकें हुई थीं ।

(ग) समिति के किसी भी सदस्य ने त्याग पत्र नहीं दिया है ।

राष्ट्रपति के सामने रखे जाने वाले वार्षिक प्रतिवेदन

१८६. **श्री एस० एन० दास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १६ सितम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३२० के दिये

गये उत्तर की ओर निर्देश करेंगे तथा बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति को, कितने कितने समय में वार्षिक प्रतिवेदन भेजना आवश्यक होता है ?

(ख) संघ लोक सेवा आयोग तथा तत्सम्बन्धी राज्यपाल राज्यप्रमुख ने १९५२ के प्रतिवेदन किस तारीख़ को भेजे हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) मैं अपने मंत्रालय से सम्बन्ध रखने वाली अपेक्षित सूचना का एक प्रतिवेदन सदन पटल पर रख रहा हूं। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२**]

बहिरेपन की विशेषज्ञ समिति

१८७. श्री एस० एन० दास : क्या **शिक्षा** मंत्री ५ मार्च १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ के दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करेंगे तथा बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बहिरे पेन की विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार कर लिया है ?

(ख) यदि हां तो अब तक क्या निर्णय किये गये हैं ?

शिक्षा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख). अभी यह विषय विचाराधीन है ।

सामाजिक कल्याण संस्थायें

१८८. श्री दाभी : क्या **शिक्षा** मंत्री १ सितम्बर, १९५३ को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ९१३ के दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करेंगे तथा बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश के अनेक ऐच्छिक सामाजिक संगठनों का कार्यक्रम तय्यार हो गया है ?

(ख) यदि नहीं तो इस कार्य की उन्नति किस अवस्था तक हो चुकी है ?

शिक्षा, **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :** (क) तथा (ख) इस मण्डल ने, अनेक कार्य क्षेत्रों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये, कार्यक्रम बनाने तथा उन पर विचार करने के लिये, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की तीन सलाहकार समितियां बना दी हैं। इन समितियों ने विभिन्न राज्यों का दौरा आरम्भ कर दिया है तथा उनके प्रतिवेदन की राह देखी जा रही है। उचित प्रार्थियों को अनुदान दिये जाने के प्रश्न पर भी इस मण्डल द्वारा विचार किया जा रहा है ।

अनाधिकृत अयात-कर्ता

१८९. श्री हेडा : क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) १९५२-५३ में तथा १ अप्रैल १९५३ और ३० सितम्बर १९५३ के बीच में, अर्थात १९५३-१९५४ के पूर्वार्ध में, शुल्क अधिकारियों द्वारा अनधिकृत आयात करने के लिये जब्त की जाने वाली सम्पत्तियों का मूल्य कितना है ?

(ख) इसी काल में इन अनधिकृत आयात-कर्ताओं पर आ रोपित किये जाने वाले जुर्माने कितने हैं ?

(ग) क्या सभी जुर्माने वसूल कर लिये गये थे ?

(घ) उनके विरूद्ध चलाये जाने वाले फौजदारी मुकदमों की संख्या कितनी थी तथा उनका परिणाम क्या हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) :

(क) १९५२-५३ में लगभग १,९५,९३,३०० रुपये के मूल्य की सम्पत्ति तथा १९५३-५४ के पूर्वाध में लगभग १,३५,६७,९४० रुपये की सम्पत्ति सारे देश में शुल्क अधिकारियों द्वारा ज़ब्त की गई ।

(ख) १९५२-५३ तथा १९५३-५४ के पूर्वाध में अपराधियों पर आरोपित किये जाने वाले जुर्माने २४,११,३८० रुपये के लगभग) तथा २,६६,३६० रुपये के थे ।

(ग) नहीं श्रीमान्, अब तक वसूल की गई कुल धन राशि आनुक्रमिक रुपये ४,८०,४६० रुपये तथा १,०७,२९० रुपये (लगभग) है । जो धन राशि अभी तक वसूल नहीं हुई है उसको वसूल करने के उपाय किये जा रहे हैं ।

(घ) १९५२-५३ में तथा १९५३-५४ के पूर्वाध में, आनुक्रमिक रूप से ; १६३ मामलों में तथा ११० मामलों में, मुकदमें चलाये गये । इन मुकदमों के परिणामों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

बेसिक स्कूल

१९१. पंडित डी० एन० तिवारी : क्या **शिक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में विभिन्न राज्यों में चलाये जाने वाले बेसिक स्कूलों (प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनो प्रकार के) की संख्या कितनी थी ?

शिक्षा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : १९५२-५३ में विभिन्न राज्यों में चलाये जाने वाले बेसिक स्कूलों की संख्या के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

नौसेना के नाविकों का राशन

१९२. श्री नानादास : क्या **शिक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौसेना के नाविकों के राशन की स्केल पिछले अवसर पर कब निर्धारित की गई थी ?

(ख) क्या उस स्केल के पुनर्विलोकन करने का तथा नौसेना कर्मचारियों के खाद्य के राशनों में मसालों की अधिक मात्रा सम्मिलित करने का कोई विचार है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :

(क) अक्तूबर १९५३ ।

(ख) नही श्रीमान् । मसालों की जो साधारण मात्रा अभी दी जा रही है वहां सन्तोषजनक विचार की जाती है ।

धार की भोजशाला

१९३. श्री वी० जी० देशपांडे : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि मध्य-भारत स्थित धार की प्राचीन भोजशाला का प्रयोग मसजिद के रूप में किया जा रहा है ?

(ख) क्या सरकार इसको रोकने के प्रयत्न करने का विचार कर रही है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) :

(क) हां ।

(ख) नहीं । क्योंकि जब पुरातत्व विभाग द्वारा उस पर अधिकार किया गया था तो उसका प्रयोग मसजिद के रूप में किया जा रहा था और यह विभाग सुस्थित प्रथा तथा प्रमाणित अधिकारों में विघ्न नहीं डालता है ।

टिक्काली के भूतपूर्व राजाका ट्रस्ट

१९४. श्री आर० एन० एस० देव : क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि जिला श्री काकुलम् (आंध्रराज्य) स्थिति टेक्काली के भूतपूर्व राजा लक्ष्मी नारायण हरिचन्दन जगद्दब ने मार्च १९४८ में पंजीभूत की जाने वाली वसीयत के अनुसार केन्द्रीय सरकार को अपनी रियासत का ट्रस्टी नियुक्त किया है ?

(ख) सरकार ने उस वसीयत को कार्यान्वित करने के लिये क्या उपाय किया है?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) :

(क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार को भूतपूर्व राजा साहब के वकील के पास से इस वसीयत के सम्बन्ध में हाल ही में एक सूचना प्राप्त हुई है और चूंकि कथित वसीयत बंध ऋणभार से मुक्त नहीं है इस लिये केन्द्रीय सरकार इस विषय पर उक्त वकील से पत्र व्यवहार कर रही है ।

बृहस्पतिवार,
२६ नवंबर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

पांचवा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

वृहस्पतिवार, २६ नवम्बर, १९५३

सदन की बैठक डेढ़ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

२.२५ म० प०

सदन का कार्यक्रम

कार्य के लिए समय निर्धारण

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि सदन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक १९ नवम्बर को हुई थी और उसने चालू सत्र के लिये सरकारी विधेयकों और अन्य कार्य के लिये समय निश्चित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उपसमिति नियुक्त की थी। उपसमिति की बैठक २३ नवम्बर को हुई और उसने एक रिपोर्ट पेश की। सदन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक २४ नवम्बर, १९५३ को फिर हुई और उसमें उपसमिति की २३ नवम्बर १९५३ की रिपोर्ट पर विचार किया गया।

समिति की एक विशेष बैठक २५ नवम्बर, १९५३ को, अर्थात् कल, फिर हुई जिसमें उसने विभिन्न विधेयकों तथा अन्य कार्य के लिये निम्न समय-सूची निश्चित की।

विधेयक का नाम	निर्धारित समय
१. औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक	१ दिन (केवल खंड बाकी रहेंगे)
२. प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन विधेयक	१½ घंटा
३. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक	२ घंटे
४. मनीपुर न्यायालय शुल्क (संशोधन तथा मान्यीकरण) विधेयक	२ घंटे
५. टेलीग्राफ तार (अवैध कब्जा) विधेयक	
६. भारतीय एकस्व तथा रूपांकन (संशोधन) विधेयक	
७. रिजर्व बैंक औफ इंडिया (संशोधन तथा प्रकीरण उपबन्ध) विधेयक	
८. बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक	१½ दिन

[अध्यक्ष महोदय]

९. त्रावनकोर कोचीन उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक १०. कलकत्ता उच्च न्यायालय (क्षेत्राधिकार का विस्तार) विधेयक ११. पशु आयात (संशोधन) विधेयक १२. निरसन तथा संशोधन विधेयक	२½ दिन
१३. विशेष विवाद विधेयक, १९५२	२ दिन, परन्तु यदि आवश्यक हुआ तो इस समय में एक दिन की वृद्धि और की जा सकती है ।

जहां तक दो तटकर विधेयकों का सम्बन्ध है, समिति ने सुझाव दिया था कि दोनों विधेयकों के लिये तीन दिन रख दिये जायें, परन्तु समय अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि एक विधेयक तब तक पुरःस्थापित नहीं किया गया था।

समिति ने निम्न मदों के लिये भी समय निर्धारित किया है जिन पर कि चालू सत्र में विचार किया जायेगा ।

१. विदेशी नीति	१ दिन
२. निवारक निरोध अधिनियम सम्बन्धी संकल्प	२ दिन
३. अनुसूचित जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट	१ दिन

ये वे सिफारिशें हैं जो सदन कार्य मंत्रणा समिति ने सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए की हैं। मुझे आशा है कि सदन का प्रत्येक सदस्य इस समय सूची के अनुसार कार्य किये जाने में सहयोग देगा ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं समझता हूं कि यह समय सूची वर्तमान सत्र के सम्पूर्ण शेष भाग के सम्बन्ध में है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि कुछ समय और मिला तो कुछ और विधेयक भी ले लिये जायेंगे ।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा निवेदन यह है कि कुछ समय जन प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक के लिये भी रखा जाये अन्यथा अब तक का सब परिश्रम व्यर्थ जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : चीज़ यह है कि प्रवर समिति की रिपोर्ट अभी सदन में पेश नहीं हुई है । जब तक रिपोर्ट सदन के सामने न आ जाये और जब तक सब जरूरी और महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार न हो जाये, तब तक ऐसा करना मुश्किल होगा ।

श्री एस० एस० मोरे : मेरा कहना यह है कि सदन कार्य मंत्रणा समिति ने समय निर्धारण इस प्रकार किया है कि हम वस्तुतः वाद विवाद करने के अधिकार से वंचित हो रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : पहले विधेयकों पर एक एक करके विचार आरम्भ होने दीजिये, फिर यदि कोई शिकायत हो तो सदन निश्चिय ही उस पर पुनः विचार करने को तैयार होगा ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्): मुझे यह सुझाव देना है कि यह समय सूची संसदीय बुलेटिन में छाप दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कर दिया जायेगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गावां): मैं सदन कार्य मंत्रणा समिति से और आप से यह निवेदन करूंगा कि इस विधेयक—को

मेरा अभिप्राय जन प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक से है प्राथमिकता—दी जाने के प्रश्न पर विचार किया जाये क्योंकि पेप्सू और त्रावनकोर-कोचीन में चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मेरा ख्याल ठीक है, तो किसी प्रश्न के उत्तर में या किसी वाद विवाद के दौरान में यह बताया गया था कि वे चुनाव इतनी जल्दी नहीं हो रहे हैं।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): चुनाव फरवरी या मार्च के मध्य में होंगे ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरू) : क्या अनुसूचित जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये एक दिन और नहीं बढ़ाया जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय: समिति ने सिफारिश खूब सोच विचार कर ही की है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्योंकि अभी कई दिन खाली हैं, अतः इस जन प्रतिनिधान विधेयक को उन दिनों में से किसी दिन ले लिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा उस समय विचार किया जायगा जब कि यह विधेयक उसके सामने पेश होगा, इसके पहले नहीं ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जन प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक के बारे में मैं कुछ कह दूं । सरकार भी इस विधेयक को पारित करने के लिये उतनी ही उत्सुक है । वस्तुतः निर्वाचन आयुक्त को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वह यह जानना चाहते हैं कि उन्हें आगे कार्यवाही पुराने कानून के अधीन करनी है या नये बनने वाले कानून के अधीन। उन्हें यह नहीं पता कि यह विधेयक कब पारित होगा, इसलिये वह आगे कोई कार्यवाही भी नहीं कर सकते।

दूसरी कठिनाई यह हो सकती है—हो सकता है कि यहां मैं गलती पर हूं। प्रवर समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं जिनसे चुनाव के पहले की अवधि और बढ़ गई है । यह भी एक कठिनाई है । यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यह विधेयक पारित होगा या नहीं जिससे कि उसके अनुसार ही आगे कार्यवाही की जा सके । कोई निश्चय न होने की दशा में तो निर्वाचन आयुक्त और सरकार दोनों को ही कठिनाई होगी ।

अध्यक्ष महोदय : २४ दिसम्बर हमने अन्तिम दिन निश्चय किया है । इस बीच हमने.....

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं तो सदन के सामने कुछ जानकारी रख रहा हूं । आपने जो कुछ कहा उसे मैं सरकार की ओर से पूरी तरह मानता हूं । मैं समझता हूं कि चार या पांच दिन अभी छूटे हुए हैं, वे इस विधेयक के लिये काम में लाये जा सकते हैं ।

डा० लंका सुन्दरम् : वास्तव में प्रश्न यह है कि सरकार ने अभी तक उसे प्राथमिकता दी जाने के प्रश्न पर अपनी राय जाहिर नहीं की है ।

अध्यक्ष महोदय : सदन कार्य मंत्रणा समिति इस विषय पर पुनर्विचार कर सकती है। परन्तु, तब तक हम इसी कार्यक्रम का अनुसरण करेंगे ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय सम्बन्धी छठा प्रतिवदन

श्री एम० ए० आय्यंगार (तिरुपति): मैं प्राक्कलन समिति का खाद्य तथा कृषि

[श्री एम० ए० अय्यंगार]

मंत्रालय सम्बन्धी छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

मुस्लिमवक्फ़ विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति की अवधि बढ़ाना

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि भारत में मुस्लिम वक्फों के अधिकार अच्छे संचालन तथा प्रशासन और मुतावलियों द्वारा किये जाने वाले उनके प्रबन्धों की देखरेख का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट की प्रस्तुति की अवधि अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ़ा दी जाये" ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हाबर) : अवधि बढ़ाने की प्रार्थना चौथी या पांचवी बार की जा रही है । क्या हम इसके कारण जान सकते हैं ?

श्री बिस्वास : कारण यह है । वस्तुतः प्रवर समिति की कई बैठकें हुई थीं ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम) : परन्तु कारण पूरा नहीं हुआ ।

श्री बिस्वास : पहली दो बैठकों में तो कोरम नहीं था । बाद की बैठकों में कोरम था, परन्तु उसके कार्य में दीवाली की छुटियों के कारण तथा जन प्रतिनिधान (संशोधन) विधेयक पर विचार किये जाने के कारण बाधा पहुंची थी इसलिये यह विलम्ब हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन यह समझे कि अवधि बढ़ाने की मांग अब और नहीं की जायेगी ?

श्री बिस्वास : हमारा इरादा तो यही है ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ ।

धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन उस विधेयक पर आगे विचार करेगा जिसमें ऐसी धोतियों पर अतिरिक्त उत्पादन कर लगाने तथा वसूल करने का उपबन्ध है जो मिलें निर्धारित अभ्यंश से अधिक बनायें ।

पंडित डी० एन० तिवारी (सारन दक्षिण) : श्रीमान्, मेरी कठिनाई यह है कि मंत्री जी राष्ट्रभाषा को जिसमें कि मैं बोलने का विचार रखता हूं, नहीं समझते हैं ।

श्री के० के० बसु : यदि वह समझ भी जायें तो भी मामला सुधर नहीं जायगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : चन्द मिनटों में यह विधेयक पास हो जायेगा और कानून बन जायेगा । लेकिन शायद सब लोगों ने इसके फार-रीचिंग ऐफेक्ट्स पर गौर नहीं किया है । इस का असर कितनी दूर तक जायेगा और लोगों को कैसे ऐफेक्ट करेगा इस पर शायद मिनिस्टर साहब ने काफी गौर नहीं किया है या फिर किसी चकमें में पड़ गये हैं ।

इस बिल ने जितना इस तरफ के लोगों को उद्वेलित किया है उतना शायद किसी दूसरे बिल ने नहीं किया था । लोगों को आशा थी कि गवर्नमेन्ट ऐसी नीति बरतेगी जिसमें हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिलेगा और इस बिना पर उन लोगों को खुशी हुई थी कि कम से कम, देर कर के सही, आनरेबल मिनिस्टर ने ४० परसेन्ट धोतियों के लिए हैंडलूम्स को छूट दी थी । लेकिन मैं देखता हूं कि एक हाथ से जिस छूट को दिया गया था और दूसरे हाथ से उसको ले लिया जा रहा है । यदि बिल के प्रिएम्बल को देखा जाये तो उसमें क्यों यह बिल आया गया लिखा हुआ है:

"to provide for the levy and collection of an additional excise duty on dhoties issued out of mills in excess of the quota fixed for the purpose."

["इस उद्देश्य के लिए निश्चित कोटे से अधिक धोतियों पर अतिरिक्त उत्पादन का कर लगाने तथा उसे वसूल करने का उपबन्ध रखने के लिए"] इसलिए नहीं आया कि जो कानून बनाया गया, जो आर्डर उन्होंने पास किया सको सारेउ देश में मान्यता मिले या मिल वाले उसको मानें। लेकिन यह इसलिये आया कि चूंकि उन लोगों ने इस कानून को नहीं माना, उन की बातों को नहीं माना तो उस पर कैसे परदा डाला जाय, किस तरह से उन के गुनाहों को छिपाया जाय। इसलिये यह बिल आया है। कहा जाता है कि जो पहले का एसेन्शल सप्लाइज ऐक्ट है उसके पेनैल्टी क्लाज पर इस बिल का असर नहीं होता है। पेनैल्टी क्लाज में यह था :

"(a) he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine,

(b) any property in respect of which the order has been contravened or such part thereof as to the court may seem fit shall be forfeited to the Government."

["(क) उसे तीन वर्ष तक के कैद तथा जुर्माने की सजा दी जा सकती है;

(ख) कोई भी सम्पत्ति जिस के सम्बन्ध में कि आदेश का उल्लंघन किया गया हो, अथवा उसका कोई भाग जो कि न्यायालय द्वारा उचित समझा जायगा सरकार द्वारा जब्त किया जायेगा।"]

मैं जानना चाहूंगा कि इस कानून को उदूल हुक्मों के लिये क्या कार्रवाही की गई। चूंकि मिल वालों का एक बहुत बड़ा संगठन है और उनकी पहुंच सेक्रेटेरियट के बड़े बड़े हुक्कामों तक है और वह किसी भी ऐसे कानून को, जो कि उनकी पसन्द का न हो, सर्कमवेन्ट कर के कैसे फेल करा देते हैं, कैसे उसके असर को दूर किया जाता है, इसको अच्छी तरह जानते हैं, इसलिये हमारे आनरेबुल मिनिस्टर साहब भी उनके चकमे में आ गये। उन्होंने यह नहीं सोचा.....

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह) : वह आपकी बात नहीं समझ रहे हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह छप के आ जायगा।

पंडित डी० एन० तिवारी : यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और न वह इसे सीखने का प्रयत्न करेंगे। (अन्तर्बाधा) मैं कह रहा था कि कानून को किस तरह से बेकार बनाया जाता है इसको मिल वाले खूब अच्छी तरह से जानते हैं। यह कभी नहीं देखा गया है कि यह सरमायेदार लोग मानवता बरतने पर रिऐक्ट अच्छी तरह से करते हों। उन के ऊपर जब पाबन्दी रहेगी, उन पर जब कड़ाई की जायेगी तभी वह सीधे रह सकते हैं अन्यथा सौजन्यता का जवाब वह दुष्टता से ही देते हैं। वह इसका तरीका अच्छी तरह से जानते हैं कि कानूनों को सर्कमवेन्ट कर के कैसे उसको बेकार कर दिया जाय। मैं नहीं समझता कि क्यों गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने भी इस कानून को ला कर यह साबित किया है कि उनके अन्दर इतनी शक्ति नहीं है कि वह इस कानून को लागू करा सकें। हमें बहुत

[पंडित डी० एन० तिवारी]

अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट इस बिल के इस असर पर निगाह नहीं करती। अभी कानून बना और उसके बनाने पर उसका यह विचार था कि वह हैंडलूम इंडस्ट्री को मदद करेगी। पर मिल मालिक तो यह चाहते हैं कि हैंडलूम इंडस्ट्री को फेल कराया जाय। इस पर गवर्नमेंट का क्या रुख होना चाहिये इसी को उन्होंने समझा नहीं है। सब से बड़ी बात तो यह थी.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा वह पहले ही कहा जा चुका है, मैं निवेदन करता हूं कि वह अपनी टिप्पणी तीसरे वाचन तक ही सीमित रखें।

पंडित डी० एन० तिवारी : सब से बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्रियल पालिसी या टेक्स्टाइल पालिसी को कैसे शुद्ध किया जाय कि हमारे गृह उद्योगों को फायदा हो। यह पालिसी बराबर ल्यूक वार्म रही है। गांधी जी का ध्येय था कि हिन्दुस्तान में कम से कम कपड़े की व्यवस्था ऐसी कर दी जाय जिसमें कपड़ा मिल में नहीं बल्कि खादी या हैंडलूम इंडस्ट्री में तैयार होने लगे। उनका सपना था कि सारा भारतवर्ष खादीमय हो जाये। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरफ क्या कदम बढ़ाया गया है? अब तक कौन सी ऐसी कार्रवाई की गई कि इस ध्येय की प्राप्ति हो सके। इस गवर्नमेन्ट को भी आफिस में आये हुए १८ महीने हो गये। १८ महीने का समय कम नहीं है। अगर हमारे मिनिस्टर साहब समझते कि कुछ टैक्स लगा कर कुछ रुपया वसूल कर के हैंडलूम इंडस्ट्री को दे दिया जाय, कुछ पैसा उन को मिल जाय और उनकी सहायता हो जायगी तो मैं कहना चाहता हूं कि कुछ चांदी के टुकड़ों से कोई इंडस्ट्री बढ़ती नहीं है। जब तक कि कोई इन्टेग्रेटेड पालिसी, कोई स्कीम देशव्यापी रूप में न हो, तब तक कोई इंडस्ट्री बढ़ नहीं सकती और हैंडलूम इंडस्ट्री तो मिलों के कम्पिटीशन में कभी नहीं टिक सकती यदि उनका संरक्षण न हो। उसका एक ही इलाज है कि कुछ कपड़े के किस्म रिजर्व कर दिये जाते जो मिल वाले न बना सकते और यहां के कुछ सदस्यों ने इसी वजह से इस हाउस में एक रिजोल्यूशन दिया था कि धोती का फुल कोटा रिजर्व कर दिया जाय। लेकिन वह रिजोल्यूशन हाउस में आ न सका। फिर भी हम लोग खुश थे कि कम से कम ४० परसेंट तो रिजर्व किया गया। मैं मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि वह एक देशव्यापी नीति ऐसी निर्धारित करें जिससे कि हैंडलूम और खद्दर को प्रोत्साहन मिल सके।

एक बात कही गयी वह समझ में नहीं आयी। कुछ बंगाल के सदस्यों ने और हमारे आनरेबिल मिनिस्टर ने भी कहा कि बंगाल में कुछ ऐसी मिलें हैं जिनकी हालत अच्छी नहीं है और वह रिफ्यूजीज़ की मिल्स हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी मदद करने का यही तरीका है कि उनको यह छूट दे दी जाय कि कानून तोड़ा करें और हमारी बातों को न मानें? क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है कि उन को मदद दी जा सके। आप उनको रुपया दें या कर्ज दें और इस तरह उनको मदद करके आगे बढ़ावें। कोई भी आदमी जो मदद के लायक़ हो उसको मदद देनी ही चाहिए लेकिन इस तरह से नहीं कि कानून शिकनी करा कर उसको मदद दी जाय। तो यह दलील, कि कुछ मिलें अभी अच्छी हालत में नहीं हैं, टिकती नहीं हैं। एक बात और है। कनज्यूमर्स का बहुत नाम लिया गया कि यह सस्ती कनज्यूमर्स पर बहुत असर डालेगी। मैं एक दो उदाहरण देकर बतलाऊंगा कि क्या कभी कनज्यूमर्स का भी ख्याल किया जाता है? जब १९०६ में स्वदेशी का आन्दोलन चला और उसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था तो यही

मिल वाले हिन्दुस्तान के लोगों की भावनाओं का फायदा उठा कर ३०० और ४०० परसेंट नफा उठाते थे। जब गांधी जी के इनसिसटेंस पर १९४८ में डिकंट्रोल किया गया तो, जैसा कि इस हाउस में कहा गया है, इन्हीं लोगों ने कपड़े का दाम बढ़ा कर २०० करोड़ रुपया अपनी अपनी जेबों में रखा। उस वक्त इनको कनज्यूमर्स की कोई परवाह नहीं थी। आज उनको कनज्यूमर्स की बहुत परवाह हो गयी है। इस देश की कोई भी इंडस्ट्रीज़ कपड़ा इंडस्ट्री या दूसरी कोई भी इंडस्ट्री, बिना प्रोटेक्शन से नहीं बढ़ी। जब काफी प्रोटेक्शन मिलता है और बाहर से आने वाली चीजों पर काफी कर लगाया जाता है तभी यहां की इंडस्ट्री बढ़ती है। आप शूगर इंडस्ट्री को ले लीजिये, कपड़े को ले लीजिये या और कोई इंडस्ट्री को ले लीजिये। ये सब प्रोटेक्शन से ही बढ़ी हैं। पर उस वक्त कनज्यूमर्स का ध्यान नहीं रहता है लेकिन जब देश में हैंडलूम इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कुछ बात करते हैं या कुछ कार्रवाई करते हैं तो कनज्यूमर्स की बात आ जाती है। मैं कहूंगा कि कनज्यूमर्स को यह ज्यादा पसन्द होगा कि यह इंडस्ट्री उनके गांवों में हो और काम करने वाले लोग जो कि शहरों में जाकर अपना स्वास्थ्य और चरित्र खराब करते हैं वह अपने घरों में रह कर काम करें और इस तरह से गांव भी हरे भरे हो जायेंगे। इसलिए मैं माननीय मिनिस्टर से अपील करूंगा कि कम से कम इस बिल को तो वह वापस ले लें और कोई दूसरा बिल लायें कि जिससे हैंडलूम वालों को फायदा हो। इसको वापस लेने से लोगों को फायदा होगा।

एक माननीय सदस्य : इसको वापस लेने से कैसे फायदा होगा ?

पं० डी० एन० तिवारी। यह आपने अच्छा याद दिलाया। अभी जो कानून है उसके अनुसार ४० परसेंट की छूट मिली हुई है। इससे आप वह छूट ले रहे हैं। इसमें एक क्लाज़ है कि लोग ज्यादा बनावें तो ज्यादा पैसा दे दिया करें। तो जब पैसे की ही बात है तो हैंडलूम इंडस्ट्री को कैसे फायदा हो जायगा ? इसमें जो धोती का डेफीनीशन दिया गया है उसमें कहा गया है कि उसकी किनारी रंगदार हो। लेकिन सब लोग जानते है कि बहुत सी ऐसी धोतियां होती हैं जो कि बिना किनारी की होती हैं या सफेद किनारी की होती हैं, जिनमें कोई रंग नहीं रहता है। अभी जो ४० परसेंट बचा हुआ है और जिस की छूट अभी दी जा रही है उसी ४० परसेंट को मिल वाले सादी धोती के रूप में बनावेंगे और वह कपड़ा देहातों में बिकेगा और इसमें कोई भी रुकावट नहीं हो सकती। इस के अलावा इसमें यह भी क्लाज है कि अगर वह ज्यादा धोतियां बना लें तो उनको ऐडीशनल एक्साइज़ देना होगा। लेकिन अगर मिल वाले सफेद किनारी की धोती बनावेंगे तो वह उससे भी बच जायेंगे क्योंकि वह कपड़ा धोती की डेफीनीशन में नहीं आता है। आप देहातों में जाइये वहा लोग मारकीन की धोती पहनते हैं क्योंकि वह मज़बूत होती है। उसमें कोई किनारी नहीं रहती है। तो उस पर जो धोती की डफीनीशन यहां पर की गयी है वह लागू नहीं होती है। फिर मिल वाले हैं हर मौके पर फायदा उठाना जानते हैं वह इससे भी फायदा उठावेंगे और ४० परसेंट धोती बिना किनारी के बनावेंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि इससे हैंडलूम इंडस्सट्री को कोई फायदा नहीं होगा। इससे तो लोगों पर कुछ अधिक कर लग जायगा। और इससे दाम ज्यादा बढ़ जायगा। इसलिए मैं अपील करूंगा कि इस हाउस के सब सदस्यों के विरोध को देखते हुए माननीय मंत्री जी इस बिल को वापस ले लें और दूसरा कोई बिल लावें जिसमें कम से कम जो ४० परसेंट दिया गया है वह हैंडलूम के लिए अक्षुण्ण

[पं० डी० एन० तिवारी]

रहे और उनके बनाये हुए कानून की उपेक्षा न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य याद रखेंगे कि अभी अभी अध्यक्ष महोदय ने सलाहकार समिति का निर्णय पढ़ कर सुनाया है। ४ बज कर १५ मिनट पर इस विषय पर चर्चा समाप्त होगी तथा प्रत्येक माननीय सदस्य पांच पांच मिनट के लिए बोलेगा। बाबू रामनारायण सिंह।

बाबू रामनारायण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं इस आज्ञा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आज्ञा नहीं, सलाह है।

बाबू रामनारायण सिंह : अभी इस विधेयक के सम्बन्ध में जितनी बातें हुई और जितना वाद विवाद हुआ उसके लिए मैं इस सारी सभा को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। मैंने देखा कि प्राय: सभी लोगों ने दलबन्दी के दलदल से मुक्त होकर अपने हृदय की बातें रखी हैं। लेकिन आश्चर्य तो उस वक्त होता है जब हम यह देखते हैं कि उसके बाद भी यह विधेयक पास होने जा रहा है और हो कर ही रहेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का अर्थ प्राय: सभी लोगों ने किया है और बहुत कुछ उन्होंने ठीक कहा है। उसको मैं और साफ किये देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का यह अर्थ है कि मिल मालिक सरकार के हुक्म को नहीं मानते हैं। इसका सीधा अर्थ यही है कि मिल मालिक सरकार को कुछ नहीं समझते हैं और सरकार का हुक्म नहीं मानते हैं और इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि मिल मालिकों को सज़ा देने के लिए सरकार के पास कोई शस्त्र नहीं है।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल, पश्चिम कटक) : करना नहीं चाहते हैं।

बाबू रामनारायण सिंह : यानी आप मज़े में कह सकते हैं कि मिल मालिकों के साथ व्यवहार करने में इस सरकार ने अपने को बिल्कुल नपुंसक सिद्ध किया है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, ज़रूरत यह थी कि यदि सरकार को लज्जा होती तो वह यहां से हट जाती और इन ट्रेज़री बैंचेज़ पर मिल मालिकों को लाकर बिठा देती। अगर इस सरकार को अक्ल, ईमानदारी और लज्जा होती तो वह यहां से हट जाती और मिल मालिक इस देश के मालिक हो जाते।

एक माननीय सदस्य : आप सरकार बनायेंगे ?

बाबू रामनारायण सिंह : नहीं, वह अभी मेरा अख्तियार नहीं है, वह तो मिल मालिकों का है। मैं मिल मालिक होता तो वहां जाकर बैठ सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का एक दूसरा अभिप्राय भी हो सकता है और वह क्या कि अगर कोई चोर चोरी करे तो सरकार कहेगी कि चोरी कर सकते हो, लेकिन चोरी के मामले में एक हिस्सा सरकार को दे देना। मिल मालिकों को हुक्म हुआ कि इतने तक तुम बना सकते हो, अधिक नहीं, लेकिन उन लोगों ने हुक्म को नहीं माना, अधिक बना लिया। इस पर सरकार का कहना है कि कोई हर्ज नहीं, बनावो, क़ानून तोड़ा तो तोड़ा, लेकिन कुछ हिस्सा दे दो। उपाध्यक्ष महोदय, यह देश का दुर्भाग्य है कि यहां की सरकार इस तरह से चल रही है। जितने लोग यहां बोलते गये वह सब ठीक बोलते गये। यह ठीक ही है कि जितने भी विषय संसार में हैं, वह यहां आवेंगे तो उन के दो पक्ष तो रहेंगे ही। अभी प्रश्न यहां पर यह है कि खाद्य के सम्बन्ध

में देश की क्या नीति हो सकती है और उसी के साथ साथ वस्त्र के सम्बन्ध में क्या नीति हो सकती है। इस वस्त्र के बारे में महात्मा गांधी ने बहुत कुछ कहा है। आप उसे जानते हैं, सारा देश जानता है, और जिनके हाथ में दुर्भाग्यवश अधिकार चला आया है वे लोग भी जानते हैं। महात्मा जी की नीति थी, और वही वास्तविक नीति हो सकती है, कि कारखानों के ज़रिए अगर वस्त्र बनता है तो उस से बहुत बहुत बुराइयां होती हैं। अभी लोगों ने कहा कि बेकारी बढ़ती है। यह जितने तरह के कारखाने हमारे देश में खुले हैं, उनसे शायद कुछ लोगों को जो कि पूंजीपति हैं उनको तो लाभ हुआ है, लेकिन हमारे देश में जो बेकारी हुई है वह मिलों और कारखानों के खुलने से हुई है। वस्त्र के सम्बन्ध में सरकार की नीति यही होनी चाहिये थी कि जिसके ज़रिए से देश को रोज़गार मिले, कपड़ा बने। कोई खादी के लिये कहते हैं, कोई हाथ से बुने सूत की खादी के लिए भी कहते हैं, जो हो, वह बने। लेकिन यह सारे देश में बने, सब जगह बने।

इसी सम्बन्ध में बोलते हुए हमारे ठाकुर-दास जी ने बहुत सुन्दर कहा था। लेकिन एक बात उन्होंने कही जिसे मैं ठीक नहीं समझता। जब मैंने कहा था कि स्पिनिंग से भी लोगों को रोज़गार मिलता है। उसका उन्होंने खंडन मंडन करके कहा था कि शायद स्पिनिंग रैम्यूनैरेटिव नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, हर एक को जानना चाहिये कि जहां पर दो, तीन, चार रोज़गार होते हैं वहां पर आप बहस कर सकते हैं कि रैम्यूनैरेटिव है या अनरैम्यूनैरेटिव है, उससे लाभ होगा या नहीं होगा। लेकिन जहां पर कोई रोज़गार है ही नहीं, वहां यह सवाल पैदा नहीं होता। मैं कहता हूं कि आप जहां जहां खादी का काम हो रहा है वहां जा कर आप देखिये। आपको मालूम होगा कि लोग सुखी हैं, उनको रोज़गार मिला है। खादी के सम्बन्ध में जो कताई का सवाल है, तो वह तो ऐसे लोग कातते हैं कि जिन को कोई रोज़गार नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनको कि कोई काम मिलता ही नहीं है। घर पर बैठे बैठे अपना वक्त बरबाद करते रहते हैं। उनको कुछ भी रोज़गार मिले तो वह लाभ की ही बात है, उस में रैम्यूनैरेटिव और अन-रैम्यूनैरेटिव का सवाल नहीं है। साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कह दूं कि जहां अच्छे सूत कातने वाले पांच छः घंटे अच्छी तरह काम करें तो डेढ़ दो रुपया रोज वह कमा सकते हैं।

तो मैं अब अधिक नहीं कहना चाहता, आपने घंटी बजा दी है। लेकिन यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ अक्ल होनी चाहिये, कुछ ईमानदारी से काम करना चाहिये, जिससे लोगों को कुछ रोज़गार मिले। अभी तो पूंजीपतियों को जो पहले ही से मोटे हैं और मोटा किया जा रहा है। उससे देश को बरबादी है और सरकार अपने को भी इससे बरबाद कर रही है। जैसा और भाइयों ने कहा है अच्छा तो यह हो कि मंत्री महोदय इस बिल को वापस ले लें। नहीं तो मैं तो कहता हूं कि इस पर वोटिंग हो और जितने लोग यहां हैं, सब दल के जितने सदस्य हैं, वे इस पर वोट करें और बिल को हटा दें। सरकार भले ही नपुंसक हो गयी लेकिन यह लोक सभा नपुंसक नहीं है, इस बिल को नामंजूर कर के लोक-सभा को यह साबित कर देना चाहिये।

श्री सा० डो० शर्मा (होशियारपुर) श्रीमन्, इस विधेयक का विरोध करने के सम्बन्ध में जितना मतैक्य रहा है, उतना मैंने कभी भी किसी विधेयक के सम्बन्ध में यहां नहीं देखा है। प्रत्येक दृष्टिकोण से एक दुर्विचारित विधेयक है। इससे किसी का भी

[श्री डी० सी० शर्मा]

भला नहीं होगा। प्रश्न यह है कि क्या इससे वह संकट टल जायगा जिसका कि वस्त्र उद्योग इस समय सामना कर रहा है। क्या इसमें देश के भावों तथा भावनाओं को ध्यान में रखा गया है? क्या इसमें उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखा गया है? मेरे विचार में इन में से कोई भी बात इस विधेयक में नहीं है। इससे उपभोक्ताओं के हितों को ठेस पहुंचेगी तथा उन पर अधिक बोझ पड़ेगा। मिल मालिकों पर इस अतिरिक्त कर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह इससे बच निकलने का कोई न कोई उपाय ढूंढ ही निकालेंगे। मेरे विचार में इससे वह उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा जिसके लिए कि इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है, इसका संशोधन करने के लिए माननीय सदस्यों ने जो भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे, उन्हें रद्द करके मंत्री जी ने बड़ी अनुदारता दिखाई है। कुछ ऐसे संशोधन थे जिन्हें कि वह आसानी से स्वीकार करके विधेयक में सुधार कर सकते थे। 'धोती' की जो परिभाषा दी गई है, वह निरर्थक है। हमारे राज्य में विधवाओं तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा जो धोतियां पहनी जाती हैं उनका किनारा रंगीन नहीं होता है। मंत्री जी ने हमारी इस आपत्ति को अनियमित ठहराया तथा इससे शरारत करने वालों को शरारत करने की छुट्टी मिल जायगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के विधेयक से बुनकरों को भी कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। इससे उन्हें हानि ही पहुंचेगी क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि धोतियों के नाम पर अब कोई भी चीज़ बाजार में आ सकती है तथा इसका बुरा प्रभाव हथकर्घा उद्योग पर पड़ेगा।

इस विधेयक को और अधिक व्यापक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। इस समय हमारे सामने समस्या यह है कि हथकर्घा उद्योग तथा मिल उद्योग के क्षेत्र अलग अलग रूप से निश्चित किये जायें। हो सकता है कि मंत्री जी ने सद्भावना से इस विधेयक को प्रस्तुत किया हो, परन्तु मुझे यह कहते हुये खेद होता है कि इससे वह उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा जिसके लिए कि इसे प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इसे पास नहीं किया जाना चाहिये।

श्री जांगड़े (बिलासपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि माननीय मंत्री महोदय ने सब सदस्यों द्वारा इस बिल का विरोध किये जाने पर भी उनकी एक रत्ती भर भी बात को नहीं माना और उन्होंने धोती में सफ़ेद किनारी के सम्बन्ध में या दुहरे सूत लगाने के सम्बन्ध में जो संशोधन आया था उस को भी स्वीकार नहीं किया। उस विधेयक में लोगों की राय थी कि पैनाल्टी क्लाज़ या दंड की धारा होनी चाहिये, इस बात को भी उन्होंने नहीं माना, क्योंकि साठ परसेंट कंसेशन हम उसको दे रहे हैं, उसके उपरान्त हम परमिसिबल कोटा का साढ़े बारह परसेंट, पच्चीस परसेंट या पचास परसेंट तक हम उनको कंसेशन दे रहे हैं। क्या मैं यह समझूं कि आप जो अतिरिक्त ऐक्साइज़ ड्यूटी लगा रहे हैं, वह केवल अतिरिक्त कोटा के बाद उत्पादित किये जाने वाले कपड़ों पर लगायी जायगी या साठ प्रतिशत के अन्दर जो पैदा किया जाने वाला कपड़ा है उस पर भी वह लादी जायगी? इसका खुलासा मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं, क्योंकि मुझे शक है कि जो अतिरिक्त कर साठ प्रतिशत के ऊपर लगाया जा रहा है, उसका बोझ साठ प्रतिशत के अन्दर पैदा किये जाने वाले कपड़े पर लादा जायगा और नतीजा यह होगा कि हमारे किसानों और ग़रीब कंज़यूमर्स को जो उस कपड़े को पहनेंगे, उनको उसका भार

सहना पड़ेगा और हम लोगों को गांवों में सबकी भर्त्सना सहनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाना है और उन में काम करना और रहना है, हां गवर्नमेन्ट भले ही इस भर्त्सना को सुनने से बच जाय, उसको तो इलेक्शन के समय ही सब कुछ सुनना और सहना पड़ता है।

कपड़ों की क़ीमत और कंट्रोल के सम्बन्ध में मैं आपको बतलाऊं कि जब कपड़े पर कंट्रोल था तो होता तो यह था कि कई कपड़े छूट पर दे दिये जाते थे, आम तौर पर रद्दी कपड़ों को छूट पर दिया जाता था। अच्छा कपड़ा जो छट के लिये दिया जाता था उसको भी कंट्रोल में शामिल किया जाता था। आज कपड़े पर कंट्रोल नहीं है, तो आठ आने जो अतिरिक्त कर लगता है, या दो आने या छः आने लगता है, साढ़े बारह परसेंट या पच्चीस परसेंट, दो आने चार्ज करेंगे, चार आने चार्ज करेंगे या छः आने, कोई पैमाइश नहीं है, क्योंकि कंट्रोल न होने के कारण वे लोग एक रुपया, डेढ़ रुपया तक हमारे कंज़्यूमर्स से हड़प सकते हैं। आप कहते हैं कि कई मिलों में कार्य शक्ति बढ़ गयी या घट गयी, उसके अनुरूप हमने इस क़ानून को बनाया है।

आज जो हैंडलूम वर्कर्स की, करघे पर कपड़ा बुनने वालों की कार्य शक्ति घट गयी, उनका व्यापार और रोज़गार धीमा और मंदा हो गया, इसलिए उसकी धीमी चाल को बढ़ाने के लिये, उनकी कार्य शक्ति को बढ़ाने के लिये या कपड़े के उत्पादन को बढ़ाने के लिये आप कौन से कार्य कर रहे हैं, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस विषय में वह क्या प्रमाण और आश्वासन जनता को देना चाहते हैं? कपड़े की कमी के समय हर एक तरफ़ से आवाज़ आती थी कि अधिक धोती पैदा कीजिये, लेकिन किसी मिल वाले ने अधिक धोतियां पैदा नहीं कीं, धोती के पहिनने वाले केवल हमारे देश के ही लोग हैं, मुश्किल से विदेश में धोती पहिनने वाले दो या तीन चार लाख होंगे, उन दिनों में जब बहुत तंगी थी मिल वालों ने पर्याप्त मात्रा में धोतियां तैयार नहीं कीं, लेकिन आज क्या कारण है जो वह अधिक धोती तैयार करने पर मजबूर हो रहे हैं, उन दिनों में हमने उनसे अधिक धोती तैयार करने को कहा लेकिन उन्होंने तैयार नहीं कीं, फिर आज क्या कारण है जो वह अधिक धोती तयार करने पर तुले हुए हैं? कारण यह दिखायी देता है कि ओवर प्रोडक्शन हो गया है और मुनाफ़ा हो रहा है, कपड़ा मिल के मालिकों को डर है कि कहीं वह दिन न आ जाय कि हैंडलूम इंडस्ट्री तरक्की और प्रास्पर कर जाय और उनके दिन लद जायं, इसलिए सरकार के पास मिन्नत करते हैं कि यह क़ानून बदला जाय और दुर्भाग्य की बात यह है कि करोड़ों लोगों की आवाज़ हमारे मंत्री महोदय के पास नहीं पहुंचती और उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती कि वह इस ओर ध्यान दें, लेकिन हमारे एक दो पूंजीपति भाई लोग मंत्री महोदय के पास पहुंच जाते हैं और मिन्नतें करके अपनी बात मनवा लेते हैं, इस बात का मुझे बहुत दुःख है। बस, इस समय में केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री भगवत झा (पूर्निया व सन्थाल परगना): माननीय मंत्री ने जिस भावना से तथा जिस उद्देश्य के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत किया है उसकी मैं सराहना करता हूं। माननीय मंत्री हथकर्घा बुनकरों को सहायता तथा प्रोत्साहन देना चाहते हैं, परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि हथकर्घा बुनकरों के लिए उन्होंने जो 'धोतियों का ४० प्रतिशत भाग रक्षित रखा है वह उन्हें कैसे इस अतिरिक्त कर द्वारा दिलायेंगे क्या यह अतिरिक्त उत्पादन कर लगा कर वह मिल मालिकों को ६० प्रतिशत से अधिक धोतियां तैयार करने से रोक सकते

[श्री भगवत झा]

हैं ? क्या मिल मालिकों के हाथ में यह बात नहीं है कि वह उस कपड़े अथवा धोतियों को कम दामों पर बेच दें जो कि वह ६० प्रतिशत से अधिक तैयार करेंगे ? इस तरह से वह कीमतें गिरा कर हथकर्घा बुनकर को हानि पहुंचा सकते हैं, इसके साथ ही कीमतें बढ़ जाने की भी आशंका है । सभी मित्र इस बात पर सहमत हैं कि इससे बुनकरों को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा ।

श्री बलवन्त सिंह महता (उदयपुर): उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने का इस समय अवसर दिया । मैं आरम्भ में ही कह दूं कि बिल जिस रूप में इस सदन में पास हो रहा है, इससे बिलकुल बुनकरों को राहत मिलने वाली नहीं है । यही एक ऐसा बिल यहां पर पेश हुआ है जिसमें सामुहिक रूप से इसके प्रति विरोध प्रकट किया जा रहा है, फिर भी यह पास किया जा रहा है । अगर जनता से इसके विषय में राय ली जाय, तो मैं समझता हूं कि एक भी बच्चा इसके पक्ष में नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोपा जा रहा है उन लोगों के नाम पर कि इस के द्वारा बुनकरों की सहायता की जा रही है, मैं आप से अपने प्रान्त के विषय में अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक राजस्थान का सवाल है, वह सारा का सारा प्रान्त धोती वाल प्रदेश है और उसमें करीब ९९ फी सदी लोग धोती पहनते हैं वहां की आबादी का ९० प्रतिशत लोग किसानी का काम करते हैं और वह बिना किनारे की धोती पहनते हैं । अब इस बिल के द्वारा क्या होगा, इस विधेयक के पास हो जाने से जितने भी बनकर हैं जो इस प्रकार की धोती वगैरह बनाया करते हैं, उन सबका धंधा नष्ट हो जायेगा । आज बुनकरों की हालत पहले से बहुत ही खराब है, और राजस्थान में बुनकर सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं, उनकी हालत पहले से ही खराब है और उस पर इस विधेयक के पास हो जाने से राजस्थान को एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है । राजस्थान की करीब डेढ़ करोड़ जनता में बुनकरों की बहुत बड़ी संख्या है । और मैं समझता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि मंत्री महोदय एक ऐसा बिल लावें जिससे वास्तव में बुनकरों की सहायता की जा सके और जिसके द्वारा हैंडलूम इंडस्ट्री और खादी उद्योग को प्रोत्साहन मिले । जब तक ऐसा बिल नहीं आयेगा तब तक हम न तो उन लोगों को राहत पहुंचा सकेंगे और न जो बेकारी बहुत विकराल रूप में फैली हुई है उसको ही दूर कर सकेंगे । मेरा विचार है कि अगर वे इस बिल को पास कराने पर उतारू ही हैं तो वे जल्दी से जल्दी एक बिल लायें जिस के द्वारा हम वास्तव में बुनकरों की सहायता कर सकें । सबसे अच्छा तो यह हो कि पहले ऐसे प्रतिबन्ध मिल वालों पर लगा दिये जायें कि वह सटेंन काउन्टस तक, एक खास तरह के आंक के सूत के उपर कपड़ा न बना सकें । जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक वास्तव में न हम उद्योग धंधों को फायदा पहुंचा सकेंगे और न लाखों आदमियों को राहत पहुंचा सकेंगे जिनको हम राहत पहुंचाना चाहते हैं ।

इस के अलावा मैं आपक द्वारा अपने कामर्स मिनिस्टर से यह भी दर्खास्त करना चाहता हूं कि अब तक हमारा जो काटेज इन्डस्ट्री, उद्योग धंधों का सामान है उसकी बिलकुल खपत नहीं हो रही और वह ढेरों पड़ा हुआ है, इसलिये स्थानीय और केन्द्रीय गवर्नमेंन्ट उस सामान को उठावें और उसको पूल करके, हैन्ड लूम के

बने हुए सामान और खादी के सामान को मिलों के कपड़े के साथ पूल करके हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट के मेम्बर्स हैं, लेजिस्लेचर्स के मेम्बर्स हैं, उन सबको वह कपड़ा राशन के रूप में बेचे। इससे मैं समझता हूं कि वास्तव में उन लोगों को लाभ होगा।

इतना ही कह कर मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

डा० एम० एम० दास : इस विधेयक के प्रथम वाचन के समय माननीय सदस्यों ने पश्चिमी बंगाल का बार बार उल्लेख किया, कुछेक ने आश्चर्य प्रकट किया कि बंगाल के एक प्रवक्ता ने किस तरह से एक ऐसे विधेयक का विरोध किया जिसका डद्देश्य कुटीर उद्योगों को लाभ पहुंचाना था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बंगाल अब वह बंगाल नहीं रहा है जिसका कि सदस्यगण को ज्ञान है। हमारा बंगाल असली बंगाल का केवल एक तिहाई भाग रह गया है जिसमें ३० लाख अभागे शरणार्थी रह रहे हैं। चारों ओर निराशा, बेकारी, गरीबी तथा भूख का दौरदौरा है। किन्तु इसके बावजूद एक बंगाली में आज भी देशभक्ति है तथा आत्म त्याग की भावना है। हमें वहां की कठिनाइयों को समझना चाहिए।

कई माननीय सदस्यों ने पूछा कि बंगाल की मिलों के विरुद्ध क्यों कोई कड़ी कार्यवाही नहीं की गई। कुछेक ने शिकायत की कि पश्चिमी बंगाल की सरकार मिलों की सहायता करती रही। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कलकत्ता तथा पश्चिमी बंगाल के अन्य कपड़ा बाजारों पर ज्यों ही यह निर्बन्धन लगाया गया त्यों ही धोतियों के मल्य ३० से ४० प्रति शत तक बढ़ गये। धोतियों का अभाव हो गया। बंगाल के लोगों को केन्द्रीय सरकार की अदूरदर्शिता पर दया आई क्योंकि यह कृत्रिम अभाव उस सरकार के आदेश के कारण हुई थी। जनता में निराशा और भी बढ़ गई तथा वह निरपेक्ष रूप से वस्तुस्थिति को देखने के लिये तैयार नहीं थी। पश्चिमी बंगाल सरकार जनता की नब्ज पहचान गई तथा उन्होंने देखा कि तूफान आने वाला है। उन्होंने केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिये प्रार्थना की तथा केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने उसके साथ उन मुसीबत की घड़ियों में सहानभूति दिखाई। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने वहां मिल के बने कपड़े के निर्यात पर भी अस्थाई रोक लगा दी।

मिलों के उत्पादन पर रोक लगाने का सुझाव सबसे पहले राजा जी ने दिया था। इस पर काफी मदभेद था, परन्तु इसे कार्य रूप दिया ही गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसी नीति जो कि एक राज्य की समस्याएं हल करने में सहायक होती है किन्तु जो दूसरों के लिये समस्यायें उत्पन्न करती हों, अपनाई नहीं जानी चाहिये।

श्री आर० डी० मिश्र (जिला बुलन्दशहर): अध्यक्ष महोदय, इस बिल को देख कर मुझे बड़ा अफसोस ही रहा है कि आज हमारे सामने इस किस्म का बिल हमारी कांग्रेस मिनिस्ट्री ला रही है। मैं ३३ साल से कांग्रेस में काम कर रहा हूं और कांग्रेस में रह कर हमारा सबसे बड़ा ध्येय यह रहा है कि हम इस देश के गरीबों को रोजगार दें। जुलाहे, कोरी आदि जो यहां पर कपड़ा बुनते हैं और जिनकी दस्तकारी नष्ट हो गई थी, उनकी दस्तकारी को जिन्दा करें। बराबर ३३ सालों से हम कोशिश करते रहे और हमको आशा थी कि जिस दिन स्वराज्य हो जायेगा और गवर्नमेंट हमार हाथ में आयेगी उसको लेकर हम इस कार्य को तरक्की दें सकेंगे।

[श्री आर० डी० मिश्र]

लेकिन आज मैं क्या देखता हूं कि जो फरायज एक गवर्नमेंट को करने चाहिएं वह यह गवर्नमेंट नहीं कर रही है। प्रजातंत्र के अन्दर प्रजा के नुमायदें जो अपने वजीर चुनते हैं उनका काम यह होता है कि वह किसी नीति का निश्चय करें और उसके बाद वह यह देखेंगे कि जो निश्चय उन्होंने किया है उसका पालन एग्जीक्यूटिव आफिसर्स करते हैं या नहीं। एग्जीक्यूटिव आफिसर्स से यह काम लेना है कि जो निश्चय मिनिस्टर लोग करें, जो कानून बनायें उस कानून को वह नेकनीयती के साथ पूरा करें और जो लोग उस कानून के खिलाफ जायं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। और अगर वह अफसर लोग अपने कर्त्तव्य में कोताही करते हैं तो मिनिस्ट्री का यह काम है कि यह देखें कि ऐसे अफसरों को मुहकमों से निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया जाय और उनसे कहा जाय कि तुमने अपने कांम को पूरा क्यों नहीं किया। हम यह देखते हैं कि हमारे मिनिस्टर साहब ने यह तै किया कि यहां पर ६० पर सेंट धोतियां मिलों से तैयार की जायें और ४० पर सेंट बुनकरों के लिए छोड़ दी जायेंगी। हमारे जो एग्जीक्यूटिव अफसरान हैं उन्होंने अपनी डयूटी पूरी नहीं की और उन्होंने यह नहीं देखा कि मिलें ६० पर सेंट से एक धोती भी ज्यादा न बनाने पावे और हमारे मिनिस्टर साहब ने भी यह नहीं देखा कि इन अफसरान ने अपनी ड्यूटी पूरी की या नहीं। तो उन अफसरान के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय हमारे मिनिस्टर साहब उल्टे एक बिल लाते हैं कि हमारे अफसरान ने हमारे हुक्म की तामील नहीं की और पूंजीपतियों ने भी हमारे हुक्म की तामील नहीं की इसलिये यह कानून पास किया जाय। आज जो हम लोग खद्दर पहनते हैं तो इसीलिये पहनते हैं कि हम यह दिखलाना चाहते हैं कि हम देशी रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे अफसर लोग खद्दर के सिद्धान्त को समझें। मैं जब से पार्लियामेंट में आया हूं तब से देख रहा हूं कि मिनिस्टर साहिबान और बहुत से मेम्बर साहिबान खद्दर पहनते हैं लेकिन हमारे अफसरान खद्दर नहीं पहनते हैं। उन पर हमार खद्दर धारण करने का कोई असर नहीं हुआ। जब अंग्रेजी जमाने में हम उनसे कहते थे कि आप खद्दर पहने तो वह कहते थे क्या करें नौकरी का मामला है, हम खद्दर कैसे पहन सकते हैं। अगर हम खद्दर पहनेंगे तो हमको निकाल दिया जायेगा। लेकिन अब हम समझते थे कि वह भी खद्दर पहनेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि इस पर दो मत हैं। कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि देशी रोजगार चले और गरीबों को रोजगार मिले लेकिन जो हमारे अफसर लोग हैं जो कि पश्चिमी शिक्षा पाये हुये हैं वह इसको पसन्द नहीं करते हैं। वह पूंजीपतियों के साथ हैं। मिनिस्टर साहब ने कानून बनाया कि ६० पर सेंट से ज्यादा धोती मिल वाले न बनावें लेकिन हमारे अफसरान ने मिल वालों को तरजीह दी, उनको बढ़ावा दिया कि वह जितना चाहें बनावें, कोई बात नहीं है, देखा जायेगा। जब बात आयेगी तो मिनिस्टर साहब से कह देंगे कि कानून बदल दिया जाये। इसलिये मिलों नें काफी धोतियां बना डालीं। अब यह कानून लाया जा रहा है कि चूंकि मिल वालों ने ज्यादा माल बना लिया है इसलिये उनसे कुछ पैसा ले लिया जाय अगर पैसे का ही ख्याल होता तो हम खद्दर क्यों पहनते। क्या हम सस्ती धोती नहीं पहन सकते थे। मैं देखता हूं कि जो गरीब लोग हैन्डलूम से गुजर करते थे उन जुलाहों के पास काम नहीं है। वह भूखे मर रहे हैं. कोई आम बेच रहा है, कोई गाजर बेच

रहा है । उनके पास रोजगार नहीं है । पहले उनको सूत नहीं मिलता था जब सूत की सुविधा हुई तो मिल मालिकों ने उनका अन्धाधुंध मुकाबला शुरू कर दिया । मिल मालिको नें जब यह देखा कि यह लोग धोती बनाने लगे हैं तो उनको डर हुआ । उन लोगों ने आपके अफसरों को अपनी तरफ मिला लिया और ज्यादा माल बना लिया । और इसलिये हैन्डलूम का काम नहीं चल सका । जब हमारे जमाने में ही यह काम नहीं चल सकता तो फिर कौनसा जमाना आवेगा जब कि यह हैन्डलूम का काम चल सकेगा । इस बिल से तो हम देख रहे है कि मिनिस्टर साहब अपने काम में फेल हुए हैं । और उनका एडमिनिस्ट्रेशन निकम्मा रहा है । कानून को नहीं माना गया । यह देखना गवर्नमट का काम है कि उसके हुक्म को माना जाए आखिर और गवर्नमेंट है किस वास्ते अगर वह अपना हुक्म न मनवा सके । क्या आज यह गवर्नमेंट अपने हुक्म को नहीं मनवा सकती ।

बाबू रामनारायण सिंह : ऐसी सरकार को निकाल दीजिये ।

श्री आर० डी० मिश्र म अर्ज़ करूंगा कि मेहरबानी करके इस निकम्मे बिल को वापस लीजिये और यह कोशिश कीजिये कि आपक हुक्म की पूरी पाबन्दी हो और जो पूंजीपति एक भी धोती ज्यादा बनावे उस को सजा दीजिये और उस पर जुर्माना कीजिये । उनकी धोतियों को जो ज्यादा बन गई हैं जब्त कर लीजिए और उनको बेच दीजिये । अगर आप ऐसा करेंगे तो आप की बात मानी जा सकती है । हम कांग्रेस वाले यहां क्यों आये हैं । क्या हम गवर्नमेंट में रहने के लिये आये हैं । हम देखते हैं कि यहां दिल्ली में गांधी टोपी को फूंका जाता है ऐसा किस तरह से होता है । यह गवर्नमेंट के अफसरों की वजह से होता है । पूंजीपतियों ने उनको अपनी तरफ कर लिया है । यह पूंजीपति नहीं चाहते कि खद्दर बने और हैन्डलूम का कपड़ा बने । यह लोग अफसरों को साथ ले कर गांधी टोपी कि मिट्टी पलीद करवाते हैं । दिल्ली शहर म यह हमारे ही सामने होता है । मैं चाहता हूं कि हुक्काम यह महसूस करें कि गांधी टोपी इस तरह न फूंकी जाये । यह इसलिये होता है कि अफसरान खुद खद्दर नहीं पहनते और उनका खद्दर हैन्डलूम में विश्वास नहीं है । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इस बिल को वापस लें । इसी के साथ मैं आप से यह अर्ज़ करूंगा कि आप के अफसर भी यह महसूस करें कि खद्दर और हैन्डलूम से गरीबों को रोजगार मिलता है और वह कालर टाई छोड़ कर खद्दर और हैन्डलूम का कपड़ा पहनें । जब वह ऐसा करेंगे तब उनको हैन्डलूम में यक़ीन हो जायेगा और वह चाहेंगे कि खद्दर और हैन्डलूम की तरक्की हो और तभी हम अपने हुक्म को पूंजीपतियों से मनवा सकते हैं । जिस दिन अफसर लोग अपनी पोशाक को बदल लेंगे उसी दिन हम हैन्डलूम और देशी रोजगार को तरक्की दे सकेंगे और आप देखेंगे कि दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होगी ।

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक): मुझे डर है कि इस विधेयक की कमियों को पूरा करने के लिये सरकार को एक दूसरा विधेयक लाना पड़ेगा । खंड २ के उपखंड (ख) में धोती की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि इस में "इसके बार्डरों पर रंगीन सूत शामिल है । इसका अर्थ यह होगा कि मिलें सफेद बार्डर की धोतियां उत्पादित करती रहेंगी जिन्हें वे थान कहेंगी । थानों को काट कर धोतियों के बराबर टुकड़े किये जा सकते हैं और बार्डर रंगा जा सकता है अथवा बाहरी बार्डर लगाया जा सकता

[श्री एस० सी० सामन्त]

है । सरकार हमारे हथकरघा मजदूरों को राहत देना चाहती है किन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह उन्हें कैसे राहत मिलेगी ।

धोतियों के कोटा में यह कटौती करने के बाद हथकरघों की मुख्य कठिनाई सूत मिलना रह जाती है । उन्हें पर्याप्त मात्रा में सूत नहीं मिल पाता । माननीय मंत्री जी नें अपने भाषण में बतलाया कि भारत के विभिन्न राज्यों में हथकरघों द्वारा विभिन्न वस्तुएं तैयार की जाती हैं । एक भाग में वे धोतियां और साड़ियां ही तैयार करते हैं, दूसरे में बहुत ही कम धोतियां और साड़ियां तैयार करते हैं । इसलिये धोतियों और साड़ियों पर प्रतिबन्ध लगाने के बजाय सरकार को चाहिए था कि हथ-करघों को पर्याप्त मात्रा में सूत उपलब्ध कराती इस से उन्हें लाभ होता । मेरा सुझाव है कि सरकार इन कपड़ा मिलों का राष्ट्री करण कर दे । यदि नहीं कर सकती तो उन्हें कताई मिलें बना दें तथा हथ करघों को सूत प्रदान करे जिससे वे धोतियां, साड़ियां तथा अन्य कपड़ा उत्पादित करें और ये गरीब जुलाहे अपना पेट भर सकें । सरकार मिलों पर प्रतिबन्ध लगाती है, किन्तु ये मिलें विभिन्न कानूनों से पार पाने का कोई न कोई तरीका निकाल ही लेती हैं । मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे कि इन मिलों को कताई मिलों में परिणत कर दे ।

श्री गिडवानी (थाना): सदन के किसी भी दल का कोई भी सदस्य इस विधेयक के पक्ष में नहीं बोला है । इस लिये यदि वाणिज्य मंत्री इसे आगे बढ़ायेंगे तो निश्चय ही यह प्रजातंत्र का हनन होगा । मेरे कांग्रेसी मित्रों ने भी इस विधेयक का बराबर विरोध किया है । फिर वे सरकार से---अपने दल से जाकर क्यों नहीं कहते कि इस विधेयक को वापस ले लो भाषणों में तो वे इसका विरोध करते हैं । किन्तु मतदान के समय वे इसके पक्ष में मत देगें । क्या यह अपनी आत्मा का हनन करना नहीं है ? प्रजातंत्र के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर, गांधी जी के नाम पर सरकार को यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए । वास्तविकता यह है कि माननीय वाणिज्य मंत्री पूंजीपतियों के साथी हैं । समय रहते इस स्थिति की पहचान कर सरकार के संचालकों में उचित और प्रभावशाली परिवर्तन किया जाये ।

श्री सारंगधर दास : मैं इस विधेयक का ज़ोरदार विरोध करता हूं । इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान जापान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे वस्त्र आयुक्त अभी जापान गए थे और बम्बई में एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां बड़े पैमाने के उद्योग छोटे पैमाने के उद्योगों के पूर्ण सहकार में काम करते हैं, दोनों पूर्ण देश प्रेम की भावना से परस्पर सहयोगपूर्वक कार्य करते है । श्रीमती अम्मू स्वामीनाधन ने भी अपने जापान के अनुभव बतलाते हुए यही बात कही । मेरा भी वहां चालीस वर्ष पूर्व का अनुभव यही है कि पूंजीपति मिल मालिक छोटे लोगों को यहां की तरह निगल जाना नहीं चाहते वरन् उनके साथ सहयोग करते हैं । यही जापान की औद्योगिक उन्नति का गुरु है । इसी सरकार के बूते पर जापान ने युद्ध के पूर्व सारे एशिया और अफ्रीका में अपनी धाक जमा ली थी । दुर्भाग्य से हमारे देश में वह देश प्रेम की भावना मौजूद नहीं है । मैं एक और दूसरे देश के विषय में जानता हूं जिसे मेरे माननीय मित्र पूंजी-

पति देश कहेंगे । उसकी तुलना में भी हमारे देश के पूंजीपति लोग बहुत स्वार्थी हैं और सब कुछ अपने ही लिए हड़प जाना चाहते हैं । वे कोई न कोई बात ऐसी कर देते हैं, अथवा अपने प्रभाव से करा लेते हैं, जिससे जो कुछ भी हो उन्हीं के पक्ष में हो । ये मिलें अपनी मूल पूंजी से भी कई गुना लाभ कमा चुकी हैं । अब सरकार को उन्हें लेकर स्वयं परिचालित करना चाहिए और इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि जापान जैसा देश प्रेम यहां भी प्रस्फुटित हो उठे । मिलों में केवल बारीक और अति बारीक कपड़ा ही उत्पादित किया जाए जो महज एक विशिष्ट वर्ग के लिए हो और जो निर्यात किया जाए । शेष कपड़ा हथ करघों के लिए छोड़ दिया जाए । केवल इसी प्रकार दोनों की लम्बे अरसे से चली आई प्रतियोगिता समाप्त हो सकती है ।

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह बड़ा साधारण विधेयक है । मैं सहमत हूं कि यह बड़ा साधारण है क्योंकि इसमें केवल यह है कि मिलों द्वारा ६० प्रतिशत से अधिक धोतियां उत्पादन किए जाने पर शुल्क लगाया जाए । इस दृष्टि से तो यह बड़ा सरल है । किन्तु, जैसा कि उद्देश्य तथा कारणों में लिखा गया है कि यह हथ करघा उद्योग को सहायता पहुंचाने के सिलसिले में ही है, तब तो इस दृष्टिकोण से यह बहुत ही निराशाजनक विधेयक है । इस विधेयक के लाने से हथ करघा उद्योग को दिए गए वचन पर पानी फिर जाता है । हमारे लिए केवल यही समस्या नहीं है कि हथ करघा उद्योग की वस्तुओं के लिए किस प्रकार बाजार ढूंढा जाए, वरन् यह भी कि उसे किस प्रकार पुनर्संगठित और सुव्यवस्थित किया जाए ।

यह उद्योग १ करोड़ से अधिक जुलाहों को काम दिला सकता है और यदि समुचित प्रकार से इसे संगठित तथा व्यवस्थित किया जाए तो ५ करोड़ व्यक्तियों का जीवन-यापन कर सकता है । असलियत यह है कि हमारे वाणिज्य मंत्री मिल उद्योग के प्रेमी तथा पूंजीपतियों के मित्र हैं वह कुटीर उद्योगों में विश्वास नहीं रखते । किन्तु मेरा इतना ही कहना है कि वह भले ही यह विश्वास न रक्खें, कांग्रेस तो इससे वचनबद्ध है । मूलतः जो यह निर्धारित किया गया था कि मिलें ६० प्रतिशत से अधिक धोतियां उत्पादित न करें, ठीक उसके प्रतिकूल यह विधेयक पड़ता है । मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि संसार में जितनी क्रान्तियां हुई हैं वे सब भूख के कारण ही हुई हैं । यदि इस देश में भी इसी प्रकार बेकारी, और परिणामतः भुखमरी को पनपने दिया गया, तो उसका इलाज नहीं किया गया, तो उसकी चट्टान से टकरा कर यह सरकार नष्ट हो जाएगी ।

श्री पोकर साहब (मलप्पुरम्) : सब से पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में यह प्रथा स्थापित कर दी जाए कि भाषण के अनुसार ही सदस्य अपना मत दें । जिस प्रकार के भाषण इस विधेयक के सम्बन्ध में यहां हुए हैं, उन्हें देखते हुए यह विधेयक पास हो ही नहीं सकता, यदि सब लोग अपना मत अपने भाषणों के अनुसार ही दें ।

जहां तक विधेयक का प्रश्न है, इससे न तो हथ करघा उद्योग को कोई लाभ पहुंचता है, नहीं उपभोक्ताओं को । यदि यह किसी के लिए लाभदायक है तो केवल मिल-मालिकों के लिए, यद्यपि इसमें उन पर कुछ शुल्क लगाने का उपबन्ध है ।

सरकार इस समस्या को गम्भीरतापूर्वक सुलझाती हुई नहीं प्रतीत होती । वह इस समस्या के साथ खिलवाड़ सा कर रही है । मिल बनाम हथ करघा उद्योग का प्रश्न अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है । हथ करघा उद्योग के लोग भूखों मर रहे हैं । मलाबार,

[श्री पोकर साहब]

कालीकट तथा अन्य स्थानों में उन्हें बेकारी की दशा में घूमते देख हृदय को गहरी चोट पहुंचती है ।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई रचनात्मक सुझाव प्राप्त नहीं हुए । मेरा कहना है कि मद्रास के मुख्य मंत्री, श्री राजगोपालाचार्य ने जो सुझाव दिया था उसे सरकार ने कार्यान्वित क्यों नहीं किया ? उस सुझाव की उसने पर्वाह नहीं की और अब कहा जाता है कि कोई रचनात्मक सुझाव नहीं मिला । यदि वास्तव में सरकार इस मामले को गम्भीरतापूर्वक हल करना चाहती है तो उसे एक ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे कि धोतियों और साड़ियों का उत्पादन मिलों में बन्द करके उसे हथ करघा उद्योग के लिए रिज़र्व कर दिया जाए । मैं इस विधेयक का तीव्र विरोध करता हूं ।

श्री वीर स्वामी (मयूरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : यह विधेयक, जो संसद् के एक अधिनियम द्वारा गत जनवरी में निश्चित किए गए अभ्यंश से अधिक धोतियां बनाने पर मिलों के ऊपर एक अतिरिक्त कर लगाने जा रहा है । हथ करघे के जुलाहों की अपेक्षित सहायता नहीं कर सकता । उसके लिए तो धोतियों और रंगीन तथा किनारी वाली साड़ियों का उत्पादन हथ करघा उद्योग के ऊपर ही छोड़ देना अधिक उचित होगा । राजाजी यही मांग करते रहे हैं । मद्रास और आन्ध्र में लाखों व्यक्ति इसी उद्योग पर आश्रित हैं । अकेले तामिलनाद में ही ३८ लाख व्यक्ति हथ करघा उद्योग में लगे हैं । पर गत चार वर्षों से वे बेकार हो रहे हैं, क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने दक्षिण के प्रति विशेष सहानुभूति नहीं दिखाई है । लोग दर दर भीख मांगते फिर रहे हैं । माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने भी, जो दक्षिण वासी होने के कारण उनकी दशा अच्छी तरह जानते हैं, इस विधेयक तथा पिछले विधेयक में मिल मालिकों का ही विशेष पक्ष लिया है । यदि वह जुलाहों का भला करना चाहते हैं, तो वे एक नया विधेयक बना कर धोतियों और साड़ियों का उत्पादन एकमात्र हथ करघा उद्योग के ही ऊपर छोड़ दें । मिल बारीक और बहुत बारीक कपड़ा उन रईसों के लिए बनाएं, जो अधिक दाम दे सकते हैं । निर्धनों के लिए सस्ता कपड़ा बनाना जुलाहों के ही ऊपर छोड़ दिया जाए । दक्षिण के जुलाहे सहायता मिलने पर सारी मांग पूरी कर सकते हैं । दक्षिण के माननीय सदस्यों को विदित है कि द्रविड़ संघ ने वहां दो वर्षों से मिल के बने कपड़े का बायकाट कर रखा है । यदि केन्द्रीय सरकार इस भांति दक्षिण की परेशानियों के प्रति उदासीन रही, तो दक्षिण को उत्तर से पृथक् करने की १५ वर्ष पुरानी मांग को बल मिलेगा और वही इसका निर्णय कर देगी ।

डा० रामाराव (काकीनाडा) : इस चर्चा से इतना तो स्पष्ट हो ही गया है कि माननीय सदस्यगण बेरोजगारी की इस विषम स्थिति के प्रति जागरूक हैं । माननीय मन्त्री भी परिस्थिति को समझते हैं, भले ही उसकी गम्भीरता का इतना आभास उनको न हो । पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमावरम् में एक व्यक्ति ने आत्म हत्या की थी और वह राजाजी के लिए एक पत्र छोड़ गया था कि चूंकि सरकार हथ करघा उद्योग की सहायता नहीं कर रही है इसीलिए वह आत्म हत्या कर रहा है ।

मुझे माननीय मंत्री की यह बात सुन कर बड़ा अचम्भा होता है कि हथ करघे के जुलाहे काम नहीं करना चाहते । उनका यह कथन अंशतः ठीक है कि वे पहले अभ्यंश-अनुज्ञापत्रों को बेच कर लाभ कमाया करते थे, पर जब वे प्रतिदिन निर्वाह योग्य मजूरी बिना पाए १०, १२ और १४ घंटे काम करते हैं, तो यह कहना उनके घावों पर नमक छिड़कना ही है ।

प्रसिद्ध कांग्रेसी पंडित सुन्दरलाल का भी कहना है कि जो उद्योग शताब्दियों से विदेशी शासन के धक्के सहते रहे उनके भी अब लुप्त हो जाने का खतरा है। माननीय मन्त्री को यह समझा देना असम्भव नहीं है कि जुलाहों में वर्षों से भुखमरी चल रही है और यह एक दारुण समस्या है। मिल मालिकों, मिल मज़दूरों, उपभोक्ताओं और जुलाहों के परस्पर विरोधी हित हैं और हमें समझौता खोजना होगा। हज़ारों लोग भूखों न मरें, इसके लिए कुछ व्यक्तियों को कुछ अधिक दाम चुकाने चाहियें। इन जुलाहों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। वे डाक्टरी परामर्श के लिए मेरे पास आते हैं और मैं उनको दूध, फल अंडों आदि अच्छे भोजन का परामर्श देता हूं, पर वे यह सब कहां से लाएं। उनको तो कांजी, तक नहीं मिलती।

अतएव मेरा सुझाव है कि धोतियों और किनारी दार साड़ियों का बनना हथ करघा उद्योग के ही लिए छोड़ दिया जाय। साथ ही उन्हें सस्ते भाव पर सूत भी दिया जाए। और सरकार अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हथ करघा उद्योग का माल खरीद कर के ही करे।

श्री धुलकर (जिला झांसी-दक्षिण) : श्रीमान्, मैं पांच मिनट से अधिक न लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : पांच मिनट से अधिक तो मैंने किसी को भी नहीं बोलने दिया। वैसे ही परामर्श-समिति के निर्णय के विपरीत मैंने तृतीय वाचन में इतने व्यक्तियों को बोलने दिया है। दूसरा विधेयक भी है। श्री राज भोज भी बोलना चाहते थे। पहले वे बोल लें।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर बहुत कुछ बोलना चाहता था, पर आज मैं अपने नोट नहीं लाया हूं। मैं कामर्स मिनिस्टर साहब से यह कहना चाहता हूं कि मैं जिस कांस्टीट्यूएंसी यानी शोलापुर से आता हूं वहां हैंडलूम से काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा रहते हैं। मुझे डर है कि इससे उनको कोई लाभ होगा या नहीं। यह जो धोती की सप्लाई का सवाल है इससे ब्लैक मार्केट करने वाले को बहुत फायदा होने वाला है। न मालूम गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। उसके दिमाग में कभी कुछ आता है और कभी कुछ आता है। हमको इस बात की ज्यादा से ज्यादा ज़रूरत है कि जो पैसा धोती के टैक्स से आवे उसका उपयोग हैंडलूम का काम करने वालों के लाभ के लिए किया जाय। बैकवर्ड क्लास के लोग जो कि वीवर हैं, मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट उनके लिए उस पैसे को खर्च करे। उनके लिए कोआपरेटिव सोसाइटियां बनावे और जो उनका कपड़ा तैयार हो उसका गवर्नमेंट शाप बना कर बेचना चाहिए। अस्पतालों में और मिलिटरी में हैंडलूम का कपड़ा काम में लाया जाय। जिस तरह गवर्नमेंट खादी के लिए कर रही है वैसे ही हैंडलूम के वास्ते करना चाहिए। जैसे कि यह कर दिया गया है कि जो खद्दर की टोपी पहनेगा वही कांग्रेस का मेम्बर होगा। वैसी ही कोई कंडीशन हमारे मिनिस्टर साहब हैंडलूम के कपड़े के लिए बना दें। मिनिस्टर महोदय मेरी बातों की ओर ध्यान दें। हमारे कामर्स मिनिस्टर साहब बातें कर रहे हैं उनको सुनने का टाइम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : सुन रहे हैं। उनके कान आपके साथ हैं।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं आपके जरिये मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास हैंडलूम के लिए कोई स्कीम है। मेरे ख्याल से तो उनके पास कोई स्कीम नहीं है। केवल उन्होंने एक छोटा सा बिल बना दिया है और इसके लिए उन्होंने

[श्री पी० एन० राजभोज]

कोई शक्ति खर्च नहीं की है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो हैंडलूम से काम करने वाले हैं उनको लाभ होना चाहिए। उनका माल अस्पतालों में मिलिटरी में और जैसा कि राशनिंग का कंट्रोल बना दिया था उसी प्रकार कंट्रोल बना कर खपाया जाय। यह किया जाय कि इतना इतना माल हैंडलूम का लेना होगा। ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक इन लोगों को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल सकती है। मैं तो समझता हूं कि जो खद्दर की टोपी पहनने वाले हैं उन पर टैक्स लगा दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि यह तो गवर्नमेंट की निशानी है। इन लोगों पर टैक्स लगाना चाहिए और जो हमारे हैंडलूम से काम करने वाले हैं इनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या खद्दर मिलों में बनता है ?

श्री पी० एन० राजभोज : खद्दर पर भी टैक्स लगाना चाहिए। इससे गवनमेंट को पैसा मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : वह भी तो हैंडलूम है।

श्री पी० एन० राजभोज : वह तो चरखा है। चरखे और हैंडलूम में बहुत फर्क है।

हैंडलूम इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उनके लिये ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, इसकी कोशिश करने के लिये गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नहीं है और वह कोई स्कीम बनाती भी नहीं है। मेरे ख्याल से यह जो बिल है, इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। इससे ब्लैक मारकेट करने वालों को फायदा होगा, मिल वालों को ज्यादा लाभ होगा। सात रुपये की धोती लेने को कोई जायगा तो दूसरे ब्लैक मारकेट वाले लोग साढ़े सात और आठ रुपया लेंगे। इसका नतीजा इस तरह ठीक नहीं निकलेगा। इसके लिये गवर्नमेंट को कोई ठोस स्कीम बनानी चाहिये जिससे कि जो ग़रीब मज़दूर काम करने वाले हैं उनके लिये जो बड़े बड़े मिल्स हैं उन में नौकरी मिल सके। इस के लिये सरकार को कोशिश करनी चाहिये। हैंडवीविंग ही नहीं, कोई न कोई स्कीम बनानी चाहिये और स्कीम बनाने के बाद ग़रीबों का फ़ायदा होना चाहिये यही मेरा कहना है।

अभी क्या हालत है कि शोलापुर में बहुत लोग बेकार हैं, उनको काम नहीं मिलता है धंधा नहीं मिलता है। गवर्नमेंट कहती है यार्न मिल जायगा, लेकिन वह मिलता नहीं है। उनकी हालत खराब हो रही है। तो इसके लिये गवर्नमेंट की यूनीफार्म पालिसी नहीं है। यह जो पांच सात मिनट का टाइम था उस में जो कुछ कहना था वह कह दिया। अब दूसरा टाइम आवेगा तो बात करूंगा। और हमने जो कहा है उसको हमारे कामर्स मिनिस्टर साहब अच्छी तरह से दिमाग़ में ला कर देखें और हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री के जो लोग उनके लिये अच्छी स्कीम बनावें जिससे उनका लाभ हो।

श्री धुलेकर : कुछ माननीय सदस्यों के कुछ तर्कों द्वारा उत्पन्न बातों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सभी वर्गों ने हथकरघा उद्योग के लिए आवश्यक बताते हुए इस विधेयक का समर्थन किया है और यह संरक्षण देकर ही किया जा सकता है। विरोधी दल ने राजाजी की इस बात का समर्थन किया है कि धोतियां बनाना हथकरघा उद्योग के ही ऊपर छोड़ दिया जाए। परन्तु यह एक दम कैसे हो सकता है ? पहले ६० प्रतिशत द्वारा आरम्भ किया जा रहा है। हथकरघा उद्योग इतनी धोतियां बनाए, फिर इसे बढ़ा कर ७५ प्रतिशत कर

दिया जाएगा। यदि कुछ मिल यह बात नहीं मानते कि वे धोतियों के विषय में अपने को कुछ प्रतिशतक तक सीमित रखें, तो सरकार क्या करे? कुछ लोग कहते हैं कि उनको जेल में डाल दिया जाए पर आप दंड विधान प्रक्रिया तो नहीं बना रहे हैं। यह सुझाया गया है कि गत वर्ष के मध्यमान के अनुसार मिलों के लिए एक अभ्यंश निश्चित कर दिया जाए, पर यह मध्यमान बिल्कुल अनिश्चित बात है। दूसरे उस सीमा से अधिक बनाने पर उन्हें जो दंड दिया जाए, उसका भी उपबंध होना चाहिए। कुछ सीमा तक उनके अपराध को क्षमा किया जाए और उससे आगे के लिए उनसे २ आना से ८ आना तक प्रति गज दंड के रूप में लिया जाए।

अनेक सदस्यों ने यह भी कहा है कि यह विधेयक मिल मालिकों का भला करता है, पर मुझे यह बात रंचमात्र भी नहीं दिखाई देती। मेरे विचार से तो यथासंभव सब कुछ किया जा रहा है।

मैं यह नहीं कहता कि सहकारी-संघ न बनाए जाएं, और न मन्त्री जी ही यह चाहते हैं। उसके लिए पूरी चेष्टा की जाए और साल छः महीने में ही पूरे देश में ऐसे सहकारी संघों की शृंखला खड़ी कर दी जाए, पर मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि चूंकि हथकरघा-उद्योग का इस रूप में विस्तार नहीं हुआ है अतः इस विधेयक को पारित ही न किया जाए।

इन शब्दों में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विचार था कि निःसंदेह अप्रासंगिक बातें करते हुए भी लगभग ५० मिनट का भाषण देकर मैंने इस विधेयक के विषय में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। पर मुझे यह देख कर खेद है कि मैं अपने आपको फिर भी स्पष्ट नहीं कर पाया। श्रीमान्, क्या मैं वह सब फिर बता दूं?

नवम्बर, १९५२ में हथकरघा उद्योग की सहायता के लिए और विशेषतः दक्षिण से आने वाली मांग के उत्तर में सरकार ने वस्त्र नियन्त्रण आदेश के अधीन प्राप्त शक्तियों के अधीन मिलों द्वारा धोतियों का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन काल के उत्पादन के ६० प्रतिशत तक सीमित कर दिया। यह आदेश व्यवहारतः जनवरी से चल रहा था। सब मिला कर परिणाम यह हुआ कि हमने धोतियों का उत्पादन ६० प्रतिशत तक परिसीमित कर दिया। यह २९,००० गांठें प्रतिमास हुआ, जो सर्वाधिक उत्पादन काल के उत्पादन के ६० प्रतिशत से कम और सामान्य काल के उत्पादन का लगभग ६४ प्रतिशत था। इसका फल यह हुआ कि मिल की धोतियों के दाम बढ़ गए। वे बहुत बारीक धोतियों के विषय में ४० प्रतिशत और बारीक और बीच की धोतियों के विषय में १५ से ३० प्रतिशत तक बढ़ गए। उत्पादन को नियंत्रित करने का अपेक्षित लक्ष्य बिन्दु भी यही था। यदि उत्पादन सीमित कर दिया जाता है, तो उस पदार्थ के दाम बढ़ जाते हैं। दाम बढ़ गए और उनके फलस्वरूप दक्षिण भारत के हथकरघा उद्योग को कुछ सीमा तक लाभ पहुंचा। यह कहा जा सकता है कि इससे हथकरघे के जुलाहों को उपेक्षित सन्तोष नहीं पहुंचा, पर जैसा मैंने कल कहा था मद्रास में धोतियों की खपत ८० प्रतिशत कम हो गई है, इसलिए यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उस सीमा तक उसे लाभ पहुंचा है। फिर उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में भी मिल की धोतियों के दाम बढ़ गए और चूंकि विविध राज्य सरकारों के सामने हथकरघे की धोतियों की समस्या इतनी विकट न थी, उन्होंने इधर विशेष ध्यान न दिया। उनके सामने हथकरघे के जुलाहों की समस्या थी

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

और वह तो सभी राज्यों में है, पर धोतियों और साड़ियों की बात वहां नहीं है, अतः बंगाल उड़ीसा, बिहार और यू० पी० को यह विधान पसन्द न आया और उन्होंने इसका विरोध किया--यह मैं ऐसी कोई गोपनीय बात प्रकट नहीं कर रहा हूं, जो प्रकट नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए अपवाद रखा जाए। पर जब हम इस बात में सहमत हो चुके हैं कि हथकरघा उद्योग का भला किया जाए--और जब यह देश एक है और हमें सारे देश के लिए विधान बनाना है--सरकार अपने विचारों पर अडिग रही। यू० पी० वासी मेरे इधर के माननीय मित्र, जो बड़े सरल और विनम्र व्यक्ति हैं, मुझ से नाराज हो गए। उन्होंने जो कुछ कहा, वह तो मेरी समझ में न आया पर मैंने देखा कि वह मुझ से विशेष नाराज थे, क्योंकि उनके विचार से यह विधान अप्रगतिशील था।

मैं हथकरघा उद्योग के जुलाहों की कठिनाइयों को जानता हूं। किन्तु इस मामले में मेरी अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं। कई सदस्य कहते हैं कि मैं बड़े उद्योगों का अधिक ध्यान रखता हूं और कुछ कहते हैं कि मैं छोटे छोटे उद्योगों का ध्यान ही नहीं रखता हूं। मेरी स्थिति बड़ी अजीब है। श्री सारंगधर दास ने बताया कि उड़ीसा में धोतियों के दाम ४० प्रतिशत बढ़ गये हैं। मैं मानता हूं कि वहां दाम बढ़ गये हैं क्योंकि हमने मिलों पर धोतियों के उत्पादन पर इसलिये प्रतिबन्ध लगाया था जिससे जुलाहे, जिनकी धोती उत्पादन लागत मिलों की अपेक्षा अधिक होती है, हथकरघों में बनी धोतियों को अधिक बेच सकें। बंगाल में भी यही समस्या है और वहां लोगों को धोतियों के लिये ३० से ४० प्रतिशत अधिक दाम देने पड़ते हैं। मद्रास में भी जुलाहों की दयनीय दशा है। ये समस्यायें हर राज्य में भिन्न भिन्न हैं। इसलिये हमने मिलों के उत्पदन पर प्रतिबन्ध लगाया और इस बात का उपबन्ध किया कि यदि मिलें अपने निर्धारित कोटे से अधिक धोतियां तैयार करें तो उस मात्रा के उत्पादन पर एक विशेष कर लगे। यह भी कहा गया है कि मिल मालिक उन्हें चोर बाजारी से बेचकर मुनाफा कर सकते हैं। यह बात ठीक नहीं है क्योंकि उन्हें उस मुनाफे का कुछ हिस्सा सरकार को देना होता है। कपड़ा नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत सरकार को ऐसे अधिकार अब भी प्राप्त हैं। सरकार ऐसे कार्यों के लिये मुकदमा चला सकती है। कपड़ा नियंत्रण आदेश द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार पर मैं उसे घटा कर ५० प्रतिशत कर सकता हूं। यदि उत्तर प्रदेश के मेरे माननीय मित्र इस प्रतिशतता को कम करना चाहते हैं तो वह वहां के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों को इस बात के लिये राजी कर लें तो मैं इसे घटा कर ५० प्रतिशत करने के लिये तैयार हूं। इस विधेयक के अन्तर्गत कार्य तो सब होगा जबकि मिलें धोतियों का उत्पादन ६० प्रतिशत से अधिक करेंगी। इस संबन्ध में मुझे और भी अधिकार प्राप्त हैं। यदि मिलें इस बात का पालन नहीं करेंगी तो मैं उन्हें रुई का देना बन्द कर सकता हूं। किन्तु इसका क्या परिणाम होगा? मैं एक उदाहरण देता हूं। इन्दौर की राजकुमार मिल ने किसी अन्य कारण से इस प्रतिबन्ध का पालन नहीं किया और मैंने उस मिल की रूई की सप्लाई रोक दी। इसका परिणाम यह हुआ कि वहां से २,५०० मजदूर निकाल दिये गये और मुझे मिल को रूई फिर देनी पड़ी। इससे तो मजदूरों को ही दंड मिलता है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या आप मिल मालिक या मैनेजर को दंड दे सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, मैं उन्हें दंड दे सकता हूं। आप कह सकते हैं कि इस विधेयक से जुलाहों को नवम्बर १९५२ के आदेश से अधिक लाभ नहीं हो सकता। यह बात ठीक है किन्तु इससे पूंजीपतियों को सहायता नहीं मिलेगी। यदि मिलें ६० प्रतिशत से अधिक धोतियां तैयार करेंगी तो उन्हें अर्थ दंड देना पड़ेगा। और यदि मिलें अर्थ दंड की सीमा से अधिक उत्पादन करेंगी तो मैं अन्य कार्य करूंगा। उनकी रुई की सप्लाई कम दी जायेगी और इसी प्रकार और भी कार्य मैं कर सकता हूं।

श्री केलप्पन : आप इतना अधिक शुल्क क्यों नहीं लगाते जिससे वे लोग उस मात्रा से अधिक उत्पादन न कर सकें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ऐसा कर तो सकता हूं किन्तु आप इस समस्या को केवल जुलाहों के दृष्टिकोण से देखते हैं। आप इस बात को नहीं समझते कि इसका अर्थ यह होगा कि आप उपभोक्ताओं को दंड देंगे। इस सम्बन्ध में श्री हीरेन मुकर्जी ने जो बात कही थी मैं उससे सहमत हूं। किन्तु सबसे बड़ी बात तो यह कि इसमें आर्थिक बातें बहुत भिन्न हैं और सब राज्यों की समस्यायें भिन्न भिन्न हैं। यदि माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में कोई मिथ्याधारणा हो तो मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस मामले में हम नवम्बर १९५२ के आदेश से कम काम नहीं कर रहे हैं बल्कि इससे तो इसमें और अधिक सहायता मिलेगी। यदि मैं यह देखूंगा कि स्थिति बिगड़ रही है तो मैं माननीय सदस्यों को इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि मुझे ऐसे और अधिकार प्राप्त हैं जिनके द्वारा मैं मिलों को इस बात के लिये बाध्य कर सकता हूं कि वे निर्धारित मात्रा से अधिक उत्पादन न करें। यदि इस कार्य के लिये मुझे और अधिकारों की आवश्यकता होगी तो मैं आपसे कहूंगा कि आप मुझे और अधिकार दें। किन्तु आप इस बारे में कोई मिथ्याधारणा न बनायें यद्यपि जुलाहों की हालत खराब है फिर भी इस में घबड़ाने की कोई बात नहीं। श्री केलप्पन कि यह बात ठीक नहीं है कि मैंने इस पर उचित दृष्टि से विचार नहीं किया है। मुझ पर इस प्रकार के आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं। मैं समझता हूं कि श्री केलप्पन कटु भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने बनस्पति के बारे में भी कुछ ऐसी बातें कहीं थी जैसे अन्य सदस्यों को देश से प्रेम ही न हो। ऐसी बातें कहने से देश भक्ति सिद्ध नहीं होती। इस बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। अन्त में मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं। आपको इस बारे में कोई संन्देह नहीं करना चाहिए। इस विधेयक द्वारा जुलाहों की हालत खराब नहीं होगी और हमें आशा है कि उसमें काफी सुधार होगा। यदि हालत बिगड़ेगी तो मैं यह सदस्यों को बताऊंगा कि यह बिगड़ गई है और तब हम इस को सुधारने के लिये अन्य कार्य करने की बात सोचेंगे। किन्तु आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस प्रतिबन्ध को लगाकर जुलाहों की हालत सुधारने में हमें यह न भूल जाना चाहिए कि जिन स्थानों में मिल में बनी धोतियां पहनी जाती हैं वहां धोतियों के दाम बढ़ जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९५३

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक पर खंडशः विचार करेगा।

[उपाध्यक्ष महोदय]

खंड २– (धारा २ का संशोधन)

श्री के० के० देसाई (हालर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति १२ में, --

"paid or" (दी गई अथवा) शब्द हटा दिये जायें।

पृष्ठ १, पंक्ति २४ में,—

"paid or" (दी गई अथवा) शब्द हटा दिए जायें।

श्री टी० वी० विट्ठल राव (खम्मम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"illegal" (अवैध) शब्द के पश्चात् "or lock-out, or closure or lay off" अथवा (ताला बन्दी, बन्द करना, अथवा ले आफ) शब्द निविष्ट किये जायें।

श्री के० के० देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २, पंक्ति १४ में, —

"similar" (उसी प्रकार) शब्द हटा दिया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं माननीय मंत्री से अपने संशोधनों के सम्बन्ध में बोलने के लिये कहूंगा। माननीय सदस्य इस खंड तथा इस खंड के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये समस्त संशोधनों पर बोल सकते हैं। मैं आगे फिर उन्हें बोलने का अवसर नहीं दूंगा चाहे वह उन्हीं का संशोधन क्यों न हो।

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरी) : मेरा संशोधन संख्या २७ स्वयं ही स्पष्ट है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ में—

पंक्तियां १८ से २४ तक के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाये :

" *Explanation*.-- Every workman whose name is borne on the muster rolls of the industrial establishment and who presents himself for work at the establishment at the time appointed for the purpose during normal working hours on any day and is not given employment by the employer within two hours of his so presenting himself shall be deemed to have been laid-off for that day within the meaning of this clause :

Provided that if the workman, instead of being given employment at the commencement of any shift for any day is asked to present himself for the purpose during the second half of the shift for the day and is given employment, then he shall be deemed to have been laid-off only for one half of that day :

Provided further that if he is not given any such employment even after so presenting himself, he shall not be deemed to have been laid-off for the second half of the shift for the day and shall be entitled to full basic wages and dearness allowance for that part of the day."

("स्पष्टीकरण. – प्रत्येक मजदूर, जिसका नाम औद्योगिक स्थापना के हाजिरी

रजिस्टर में मौजूद है तथा जो किसी भी दिन साधारण कार्य के घंटों में निर्धारित समय पर अपने आपको स्थापना में काम के लिये उपस्थित करता है तथा इस प्रकार उपस्थित होने के दो घंटों के अन्दर मालिक द्वारा उसे काम नहीं दिया जाता है तो यही समझा जायेगा कि इस खंड के अर्थों में वह उस दिन के लिये 'लेड-आफ' कर दिया गया था :

परन्तु यदि उस मजदूर से किसी दिन की पाली के आरम्भ में काम दिये जाने के बजाय उसी दिन के पाली को दूसरे भाग में इस कार्य के लिये उपस्थित होने के लिये कहा जाता है तो यही समझा जायेगा कि वह उस दिन के केवल आधे दिन के लिये 'लेड-आफ' किया गया है ;

परन्तु यह और भी कि यदि इस प्रकार काम के लिये अपने आप को उपस्थित करने पर भी उसे काम नहीं दिया जाता है तो यह नहीं समझा जायेगा कि उसे उस दिन की पाली के दूसरे भाग के लिये लेड-आफ कर दिया गया है तथा वह उस दिन के भाग के लिये पूरी आधारभूत मजदूरी और मंहगाई भत्ता पाने का हकदार होगा । ")

श्रीमान्, यह संशोधन इसलिये रखा जा रहा है जिससे मजदूर को पाली के दूसरे भाग के लिये पूरा काम मिल सके । मैं कोई भाषण नहीं देना चाहता क्योंकि यह तो बहुत ही स्पष्ट है ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ में,—

(१) पंक्ति ३५ में, अन्त में "or" (या) शब्द जोड़ दिया जाय ; तथा

(२) पंक्ति ३५ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाये—

" (c) termination of the service of a workman on the ground of continued ill health."

[(ग) लगातार अस्वस्थ रहने के कारण मजदूर की नौकरी की समाप्ति]

इस संशोधन के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

श्री के० क० देसाई : मैंने तीन संशोधन प्रस्तुत किये हैं ।

संशोधन संख्या २१ तथा २२ द्वारा मैं यह चाहता हूं कि 'paid or' (दिया या) शब्द निकाल दिये जायें । क्योंकि यदि ऐसा न किया गया तो हो सकता है कि कुछ अवधियों में उसे कम मजदूरी मिली हो । यह विधेयक तो भविष्य में आपात का सामना करने के लिये बनाया गया है ।

मैं अपने संशोधन संख्या ३ द्वारा यह चाहता हूं कि 'similar' (समान) शब्द निकाल दिया जाये क्योंकि यदि यह शब्द न निकाला गया तो मजदूरों को हानि पहुंचने की सम्भावना है । बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिनमें 'ले आफ' ऐसे कारणों से होता है जिस पर मजदूरों का कोई नियंत्रण नहीं होता । अतएव मेरा निवेदन है कि ये संशोधन स्वीकार कर लिये जायें ।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

श्री बंसल : माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या २७ के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यह चौदह सूत्री समझौते के अनुकल है ? मेरे विचार में त्रिदलीय समझौते में कोई

[श्री बंसल]

बड़ा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यदि माननीय मंत्री यह समझते हैं कि यह समझौते के अनुकूल है तथा यह केवल स्पष्टीकरण मात्र है तो मैं इसे स्वीकार करने के लिये तयार हूं।

मैं माननीय मंत्री का संशोधन संख्या २९ अपने संशोधन संख्या ७३ के साथ स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। मैंने अपना यह संशोधन इसलिये प्रस्तुत किया है क्योंकि बहुत से युवक काम सीखने के लिये आते हैं। हो सकता है कोई फर्म छोटी हो और कोई बड़ी हो। किसी का काम छः महीने में और किसी का दो साल में समाप्त हो जाता हो। अतः उन व्यक्तियों को निर्धारित अवधि के लिये नौकर रखा जाना चाहिए ऐसे मामले में मेरा निवेदन है कि अवधि समाप्त होने पर अलग किये गये व्यक्यिों के बारे में यह न समझा जाये कि उनकी छंटनी कर दी गई है।

मैं श्री खंडूभाई के पहले संशोधन का विरोध नहीं करता हूं क्योंकि उनके संशोधन से कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता है पर मैं उनके दूसरे संशोधन का विरोध करता हूं जिसमें उन्होंने 'similar' (समान) शब्दों को निकाल देने के लिये कहा है। ऐसा कर देने से यह खंड बहुत ही व्यापक हो जायेगा। मैं तो उनसे यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा करना चौदाह सूत्री समझौते के विरुद्ध न होगा ?

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि त्रिदलीय समझौते के सम्बन्ध में नवीनतम रिपोर्ट परिचालित क्यों नहीं की गई जब कि अन्य रिपोर्ट इसी सम्बन्ध में परिचालित की गई थीं ?

सभापति महोदय : उसे सदन पटल पर रख दिया गया था। यदि माननीय सदस्य ने यह बात उसी समय उठाई होती तो सम्भव था इसे भी परिचालित करा दिया गया होता परन्तु अब तो बहुत अधिक समय व्यतीत हो चुका है।

श्री एस० एस० मोर : इसके पहले कि मैं अपने संशोधन के सम्बन्धी में कुछ कहूं म माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या २७ के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री के संशोधन के अनुसार अब मजदूर को काम के लिये दो बार मालिक के पास जाना होगा। पाली के पहले भाग के आरम्भ में तथा काम न मिलने पर पाली के दूसरे भाग के आरम्भ में। मेरे विचार में यह मजदूर के साथ अन्याय करना होगा। यदि आप उसे कोई रियायत देना ही चाहते हैं तो पूरी तरह से दीजिये। पाबन्दियां लगाकर देने से क्या लाभ। इसका अर्थ तो यह होगा कि यदि मजदूर एक दिन भी अपने आप को काम के लिये उपस्थित नहीं करता है तो उसे उस दिन के लिये हर्जाना न मिलेगा। मैं पूछता हूं कि वह बार बार अपने आपको क्यों उपस्थित करे जब उसे मालिक से जवाब मिल चुका है कि अमुक अमुक अवधि तक उसके लिये मालिक के पास कोई काम न होगा ?

जहां तक मेरे संशोधन संख्या ६४ का सम्बन्ध है मैं इस बारे में विधेयक के प्रथम बाचन के समय ही काफी कह चुका हूं तथा सेवा काल के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के पत्र से पढ़ कर भी सुना चुका हूं। अतएव, इस सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री के० के० देसाई ने भी मेरे संशोधन संख्या ६६ की तरह का ही एक संशोधन प्रस्तुत किया है। यदि 'similar' (समान) शब्द को न निकाला गया तो शायद इस खंड का प्रभाव बहुत ही सीमित हो जायेगा। इसीलिये, मैंने इस को अपने संशोधन द्वारा दुबारा प्रस्तुत किया है।

जहां तक मेरे संशोधन संख्या ६७ का सम्बन्ध है मैंने 'and who has not been retrenched' (और वह जिसकी छंटनी नहीं की गई है) शब्दों के पश्चात् 'for valid and proper reasons' (मान्य तथा उचित कारणों से) शब्दों को जोड़ दिये जाने का निवेदन किया है। यदि छंटनी द्वेषपूर्ण है तथा इस विशेष खंड की पकड़ से बचने के लिये की गई है तो उस प्रकार की छंटनी से इस खंड का प्रभाव सीमित न हो जाना चाहिए।

अब मैं अपने संशोधन संख्या ७० को लेता हूं। मैंने कहा है कि इस खंड में 'prescribed' (निर्धारित) शब्द को 'age' (आयु) शब्द से पहले समाविष्ट कर दिया जाये अर्थात्, वार्धक्य की निर्धारित आयु पर पहुंचने पर मजदूर का अवकाश ग्रहण करना। यदि कोई आयु-सीमा निर्धारित न की गई तो हो सकता है मालिक मजदूर को ३० या ४० वर्ष का होने पर ही अवकाश-ग्रहण करने पर विवश कर दे। इस प्रकार मालिक हर प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। मेरे विचार में अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह इनके लिये भी ५५ वर्ष की आयु-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। श्रम कानूनों के सम्बन्ध में मेरा ज्ञान उतना नहीं है। जितना कि होना चाहिए फिर भी, मैं चाहता हूं कि कोई न कोई आयु-सीमा तो निर्धारित की ही जानी चाहिए

मैं स्वीकार करता हूं कि श्रम विधि के सम्बन्ध में मेरी जानकारी इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिये। बढ़ौती की कोई आयु सम्भवत: किसी अन्य विधि में निर्धारित की गई हो जिस पर पहुंचने पर मज़दूर को रिटायर होना पड़ता हो। यदि इसका उपबन्ध नहीं किया जायगा तो मालिक लोग तीस चालीस वर्ष की आयु प्राप्त होने पर ही मजदूरों को बुढ़ौती के योग्य समझ कर निकाल बाहर कर देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ घोषित कर देना चाहिये। सम्भवत: विभिन्न उद्योगों की बढ़ौती की आयु एक दूसरे से भिन्न हो। बहुत दिन तक बेकार रहने पर जो मजदूर काम की खोज में होगा वह संविदा के समय अपनी इच्छा पर ज़ोर नहीं दे पावेगा। इस लिये यदि कोई संविदा ऐसा हो भी जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित बढ़ौती की आयु के विरुद्ध कोई शर्त रक्खी गई हो तो ऐसे संविदा को लोक हित के विरुद्ध तथा अवैध समझा जाना चाहिये।

मेरा एक और संशोधन यह है कि पृष्ठ २ की पंक्ति ३५ में इतना और बढ़ा दिया जाय, "यदि यह देखा जाय कि मज़दूर शारीरिक रूप से, साधारण दक्षता से कार्य करने के योग्य नहीं है" यह हो सकता है कि यद्यपि वह मज़दूर बढ़ौती की आयु सीमा पार कर चुका हो, फिर भी वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो और उसमें अतिरिक्त शक्ति हो और वह अपना काम अच्छी तरह से कर सकता हो। मैं इतना और चाहता हूं कि किसी मज़दूर को इस विशेष खण्ड के लाभ से उसी दशा में वंचित रक्खा जाय जबकि यह विश्वास हो जाय कि एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर उसमें शारीरिक रूप से इतनी क्षमता नहीं बची है कि वह अपना कार्य साधारण दक्षता के साथ कर सके। मैं आशा करता हूं कि मेरे इन संशोधनों को माननीय

[श्री एस० एस० मोरे]

मंत्री स्वीकार करेंगे यदि नहीं तो सदन तो आवश्यक रूप से स्वीकार करेगा।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैंने जो संशोधन रखा है उसका सम्बन्ध उपखण्ड (२) (ङङङ) से है। मेरा कहना है कि शब्द, 'निरन्तर सेवा' के स्थान पर 'निरन्तर नौकरी' कर दिया जाय तथा खण्ड का शेष भाग निकाल दिया जाय। 'ले-आफ़' के लिये क्षतिपूर्ति देने का कारण यह है कि जब ले-आफ़ होता है तो मज़दूर तथा मालिक के बीच का संविदा समाप्त नहीं होता है। जब छंटनी की जाती है तो संविदा समाप्त हो जाता है इसलिये क्षतिपूर्ति करने का कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता है। परन्तु जब 'ले-आफ़' होता है तो संविदा समाप्त नहीं होता है और मज़दूर अपनी नौकरी छोड़ कर जा नहीं सकता है। वह चाहे अस्थायी मज़दूर हो, या सामयिक या किसी अन्य प्रकार का, जब आप चाहते हैं कि वह आपकी सेवा में उपस्थित रहे, अगले सोमवार को भी आवे तब कोई कारण नहीं है कि आप उसे पारिश्रमिक न अदा करें। आप को तो चाहिये कि आप पूरी क्षतिपूर्ति अदा करें। आपने तो यहां केवल आधी क्षतिपूर्ति देने का उपबन्ध किया है।

जब मैं नीलगिरी के बगीचों में गया तो मैंने देखा कि वर्षा न होने के कारण मज़दूरों को एक सप्ताह के लिये 'ले-आफ़' कर दिया गया था। एक सप्ताह तक भूखे मरने के बाद आगामी सोमवार को आशा की जाती है कि वही मज़दूर स्वस्थ होगा तथा अधिकतम कार्य करेगा जैसा कि उसने पिछले सोमवार को किया था। यह असम्भव है। 'ले-आफ़' के सम्बन्ध में उन्हीं सिद्धान्तों का उपयोग नहीं किया जा सकता है जिन पर अर्जित अवकाश (अर्ण्ड लीव) या भविष्य निधि (प्रावीडेण्ट फण्ड) के लाभ आधारित हैं। 'ले-आफ़' के हो जाने पर जब तक 'ले-आफ़' रहता है मजदूर को भूखों मरना पड़ता है परन्तु अर्जित अवकाश तथा भविष्य निधि के लाभ न मिलने से वह भूखों नहीं मरने लगेगा।

मैंने त्रिदलीय क़रार देखा है उसका सीमा क्षेत्र इस प्रलेख की तुलना में काफ़ी विस्तृत है क्योंकि क़रार में कहा गया था कि बदली वाले तथा सामयिक मज़दूरों को क्षति पूर्ति पाने का अधिकार न होगा। परन्तु निरन्तर सेवा की इस परिभाषा के द्वारा तो आप अन्य प्रकार के मज़दूरों को भी इस लाभ से वंचित कर रहे हैं। क़रार का खण्ड पांच कहता है :

"केवल उन मज़दूरों को क्षतिपूर्ति देने की ज़िम्मेदारी होगी जो स्थायी है तथा कारखाने के हाजरी रजिस्टर में जिनके नाम दर्ज हैं।"

इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगा कर, कि उसने २४० दिन पूरे कर लिये हों, अपने क़रार की भावना को उल्लंघन किया है तथा इस लाभ को इस प्रकार सीमित कर दिया है जैसा कि नहीं करना चाहिये था। इसीलिये मैंने संशोधन रक्खा है कि निरन्तर सेवा का अर्थ होगा निरन्तर नौकरी जिसको इसके पहले मालिक ने काम से अलग न किया हो। अन्य प्रकार के विभेद रखने से इस लाभ की सीमा और भी संकुचित हो जायेगी।

इस संशोधन को स्वीकार करके आप मालिक मज़दूर मैत्री को सुदृढ़ बनायेंगे। जबकि इसका प्रत्येक वाक्य मालिक मज़दूर वैमनस्यता उत्पन्न करने वाला है।

'ले-आफ़' के सम्बन्ध में जो भी विधान बनाया जाय वह बहुत ही सरल होना चाहिये और ऐसा होना चाहिये कि उसमें से भाग निकलने का कोई रास्ता न रहे। परन्तु यहां पर कठिनाई यह है कि जब मजदूर को 'ले-

आफ़' कर दिया जाता है तो उसके पास एक भी पैसा नहीं होता है और यदि उसे मज़दूरी न मिले और वह मध्यस्थ निर्णयन या निपटारे की राह देखता रहे तो इस उपबन्ध का लाभ ही क्या है ? क्योंकि यदि एक दो मास का 'ले-आफ' हो जावे और उसे तुरन्त ही क्षति-पूर्ति न मिले तो यह उपबन्ध उस मज़दूर के लिये निरर्थक है ।

उसी त्रिदलीय सम्मेलन में श्रम-सचिव श्री सुब्रह्मण्यम् ने प्रस्ताव रक्खा था कि जो मज़दूर एक वर्ष से अधिक कार्य कर चुका हो उसको बदली वाला न समझा जाय तथा भविष्य निधि योजना के नियमों के समान जो २४० दिन तक उपस्थिति रहा हो उसको इस प्रकार के लाभ पाने का अधिकारी समझा जाय । उनका यह भी विचार था कि कोई ऐसी युक्ति निकाली जाय कि जिसके द्वारा मज़दूर स्वत: इस लाभ के पाने का अधिकारी हो जाय । इस प्रकार स्वत: अधिकार दिलाने वाली युक्ति श्रम सचिव के मस्तिष्क में थी, प्रत्येक मज़दूर के मन में है तथा प्रत्येक विधि-निर्माता को भी इस को अपने ध्यान में रखना चाहिये । इसीलिये मैंने यह संशोधन रक्खा है ।

श्री के० के० देसाई के दो संशोधनों के समर्थन करने के कारण मैं बता चुका हूं ।

दूसरा संशोधन जो मैं रखना चाहता हूं उसके द्वारा मैं चाहता हूं कि व्याख्या खण्ड में शब्द "और" के पश्चात् बढ़ा दिया जाय, "काम देने से इंकार कर दिया जाता है, या" इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई मज़दूर आता है और तुरन्त ही उसे काम देने से इन्कार मिल जाता है तो उसी समय से 'ले-आफ़' आरम्भ हो जाता है । यदि उसे तुरन्त ही इनकार न मिले और उसे दो घण्टे तक प्रतीक्षा में रक्खा जाय तो दो घण्टे के पश्चात् यह समझ लिया जाय कि उसको 'ले-आफ़' कर दिया गया है ।

अब मैं श्री गिरी के प्रसिद्ध संशोधन पर आता हूं । इसके द्वारा दूसरी पाली में बुलाये जाने वाले मज़दूरों की स्थिति में थोड़ा सुधार हो गया है परन्तु इन परन्तुकों में तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम में विरोधाभास है । इस संशोधन के द्वारा आप उसे केवल दूसरी पाली की पूरी मज़दूरी देते हैं यद्यपि आपने उसे सारी पहली पाली भर प्रतीक्षा में बिठाये रक्खा है । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि क्या यह 'ले-आफ़' क्षतिपूर्ति का विधान केवल उन कारखानों पर ही लागू होगा जहां न्यूनतम वेतन दिया जाता है । यदि ऐसा है तो एक कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी ।

श्री बंसल के संशोधन के समान ही एक संशोधन माननीय मंत्री का भी है । बहुत से क़रार ऐसे होते हैं जिनमें इस बात की छूट दी जाती है कि उन का नवीकरण भी किया जा सकता है । यदि ऐसा हो तो स्पष्ट रूप से मज़दूर को क़रार के नवीकरण करने का अधिकार प्राप्त है इसलिये मैं श्री बंसल के संशोधन के खण्ड (घ) का समर्थन नहीं करता हूं ।

मेरा विचार है कि जब तक, इसका कोई उपबन्ध न किया जाय कि मज़दूर बीमार है इसका निर्णय कौन करेगा, यह परन्तुक सदा ही मज़दूर के विरुद्ध ही पड़ेगा । इसलिये हमें इस संशोधन को स्वीकार करने में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिये ।

मैं सदन से अपने संशोधनों को स्वीकार करने की सिफ़ारिश करता हूं तथा माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह पता लगा लें कि उन के संशोधन के सम्बन्ध में क्या वास्तव में वह विधिक अड़चन उपस्थित है जिसका पहले ज़िक्र किया गया था ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालंधर) : चेयरमैन साहब, मैं क्लाज़ ई० ई० ई० में कन्टीन्यूड सरविस की डेफीनीशन में अमेंडमेंट करना चाहता हूं । आम तौर पर मज़दूरों के मामले में यह शिकायत रहती है कि उनके कन्टीन्यूड सरविस के राइट को कई दफा कई तरीकों से रद्द कर दिया जाता है जिससे कि वह उन फायदों से महरूम हो जाते हैं जो कि उनको मुख्तलिफ कानूनों के अन्दर मिलने चाहिएं । इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जहां पर लफ्ज़ इल्लीगल है उसके बाद यह अलफाज़ बढ़ा दिये जायं "अगर ले-आफ़ लाक आउट आर क्लोज़र आर ड्यू टू अनएवाएडेबिल क्लाईमेटिक रीज़न्स" अगर आप इज़ाजत दें तो मैं अपने इस अमेंडमेंट में यह इज़ाफा करना चाहता हूं "रांगफुल ससपेन्शन आर रांगफुल डिसमिसल" आम तौर पर अगर किसी वजह से डिसमिसल या ससपेन्शन हो और बाद में कोई ट्राइबुनल या बोर्ड यह फैसला दे कि वह ससपेंशन या डिसमिसल रांगफुल था, गलत था, तो उस सूरत में मजदूर की सरविस कन्टीन्यूड सर्विस मानी जानी चाहिए । अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको अपने अमेंडमेंट में जोड़ दूं ।

दूसरे जो अमेंडमेंट श्री खंडूभाई देसाई ने पेश किया है कि वह 'ले-आफ़' की डेफीनीशन में से लफ्ज़ "सिमिलर" को उड़ा देना चाहते हैं उसके भी मैं "सपोर्ट" करता हूं । मेरे दोस्त श्री बंसल ने कहा था कि अगर यह लफ्ज़ हटा दिया जायगा तो इसका नतीजा यह होगा कि वह एक बहुत ही वसी मानों में ले लिया जायगा और अगर किसी भी तरह मज़दूर काम पर नहीं लगाया जा सकेगा तो उसको ले-आफ़ की डेफीनीशन में लाया जायगा । अगर हम इस कानून की स्पिरिट को लें तो तीन तरीके से किसी वरकर को कारखाने से बाहर किया जाता है। एक डिसमिसल, उसको हम "ले-आफ़" में नहीं लेते, दूसरे रिट्रेंचमेंट हो, उसके लिए हमने इस कानून में अलहदा प्रोवाइड किया है । रिट्रेंचमेंट और डिसमिसल के अलावा किसी भी वजह से एक वर्कर को कारखाने से बाहर किया जाय वह ले-आफ की डेफीनीशन में आना चाहिए । इसलिए मैं चाहता हूं कि लफ्ज 'सिमिलर' को निकाल दिया जाय । अगर बाद में सिमिलर की डेफीनीशन की जायगी तो उसमें बहुत गलतफहमी की गुंजाइश होगी । इसलिए मैं समझता हूं कि जबकि हमारा मकसद यह है कि डिसचार्ज या डिसमिसल और 'रिट्रेचमेंट' को छोड़ कर अगर किसी वर्कर को जिसका नाम 'मस्टर रोल' पर है उसको बाहर किया जाय तो उसको 'प्रोटेक्शन' दिया जाय, तो हमें 'सिमिलर' के लफ्ज़ को निकाल देना चाहिये और जो तजवीज़ श्री खंडूभाई देसाई ने की है उसको मान लेना चाहियें, वरना इस लफ्ज का बहुत गलत तरीके से इस्तैमाल किया जायगा । हमारा तजुर्बा है कि एम्पलायर्स किसी वरकर को बाहर कर देने के लिए कई रीजन्स इनवेंट कर लेते हैं और जो वरकर इस तरह बाहर किये जायेंगे उनके मामले में हमेशा इस बात पर बहस होगी कि आया जिस वजह से उनको बाहर किया गया है वह सिमिलर के दायरे के अन्दर आती है या नहीं । इसलिए मैं समर्थन करता हूं कि इस लफ्ज़ 'सिमिलर' को हटा दिया जाय । और डिसचार्ज और डिसमिसल के अलावा अगर किसी सूरत में मज़दूर को काम से महरूम किया जाय तो उसको ले-आफ की डेफीनीशन में आना चाहिए ।

दूसरा अमेंडमेंट जो कि श्रीमती सुभद्रा जोशी ने रखा था मगर वह मूव नहीं हुआ । अगर उसको रखा जाता तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होता । जो डेफीनीशन ले-

आफ की स्टेंडिंग आर्डर में दी हुई है यह उसको ही हूबहू उसमें मान लिया गया है।

दूसरा अमेंडमेंट जो मेरा है वह नम्बर ६८ पर है। श्री गिरी ने २७ नम्बर के अमेंडमेंट के एक्सप्लेनेशन के अन्दर यह पोजीशन रखी है कि अगर किसी मजदूर को किसी दिन काम न होने के कारण बाहर रखना है तो उसको ज्यादा से ज्यादा दो घंटे तक इन्तजार करना होगा। तजरबा हमको यह बतलाता है कि ऐसा नहीं होता कि जब मजदूर अपने को हाजिरी के लिए पेश करे उसी वक्त उसको बता दिया जाय कि उसके लिये उस दिन काम नहीं है। आम तौर पर उसको काफी देर तक इन्तजार करना पड़ता है और यह दो घंटे की शर्त इसलिए रखी गयी है कि अगर इतने वक्त तक इंतजार करने के बाद भी जवाब नहीं मिलता तो वह ले-आफ की डेफीनीशन में रखा जायगा। तजरबा बतलाता है कि दो घंटे तो उस आदमी को ठहरना ही होगा। अगर कोई मजदूर दो घंटे ठहरता है तो फिर वह किसी दूसरी जगह एम्पलायमेंट हासिल नहीं कर सकता और उसको कम तनख्वाह पर रहना पड़ेगा जितनी देर तक कि वह ले-आफ की परिभाषा के दायरे में रहेगा यह अपने आप में काफी हार्डशिप है। और अगर इस दो घंटे के बाद उसको कह दिया जाता है कि वह दूसरे शिफ्ट में आवे तो वह बीच का पीरियड उसका बेकार जाता है और वह उसमें न कोई काम कर सकता है और न वह किसी दूसरी जगह जा सकता है। जब वह दूसरे शिफ्ट में आता है तो उसको दो घंटे इंतजार करना होता है और तब उसको जवाब मिलता है। यानी चार घंटे तक तो वह एम्पलायर के डिसपोजल पर रहता है और बाकी का वक्त इधर उधर आने जाने में निकल जाता है। तो प्रेक्टिकली तमाम दिन वह एम्पलायर के डिसपोजल पर रहता है।

नतीजा यह है कि काम वह कुछ कर नहीं सकते है, न घर का काम कर सकते हैं, न कहीं और जगह जा कर आल्टरनेटिव एम्पलायमेंट कर के अपनी इनकम में इजाफ़ा कर सकते हैं। यह बहुत ज्यादा हार्डशिप है। इसलिये मैंने नम्बर ६८ की अमेंडमेंट पेश की है कि अगर दुबारा वह शिफ्ट के लिये आता है और इस तरह से दो घंटा सुबह और दो घंटा दूसरी शिफ्ट में मिला कर कुल चार घंटे इन्तजार करता है और फिर भी उस को काम नहीं मिलता तो उस को पूरे दिन का वेतन मिलना चाहिये, क्योंकि एक तरह से उसने चार घंटे कारखाने के दरवाज़ पर गुज़ारे हैं और कोई दूसरा काम उस से नहीं हो सकता है। मैं तो चाहता था कि जो आदमी ले-आफ किया जाय, उस को भी पूरी तनख्वाह दी जाय। लेकिन यह कहा गया कि एग्रीमेंट हुआ है और उस में यह मान लिया गया है, सभी पार्टी की तरफ़ से, और उसे ऐग्रीमेंट के जनरल प्रिंसिपल्स पर यह क़ानून बनाया गया है, उन प्रिंसिपल्स को इस में स्वीकार किया गया है, इसलिये मैं इसके ऊपर ज़ोर नहीं देता। लेकिन यह ज़रूर चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट श्री गिरि जी ने रखी है उसमें यह ज़रूर रखा जाय कि अगर दो दफ़ा मजदूर को आना पड़ता है और फिर भी काम नहीं मिलता तो उस सूरत में लाज़मी तौर पर उसको पूरे दिन की तनख्वाह दी जाए। यह ६८ नम्बर की जो अमेंडमेंट है उसको मैंने इसी मतलब से पेश की है।

तीसरे, रिट्रेंचमेंट की डेफीनीशन में नम्बर ७१ की अमेंडमेंट पेश की गयी है जो लोग फिजिकली अनफिट हों उन को रिटायर करना चाहिये। लेकिन देखना होगा कि वह सचमुच फिजिकली अनफिट हों। इस सिलसिले में मेरे दोस्त श्री मोरे साहब ने जो अमेंडमेंट पेश की है उस को मैं सपोर्ट करता हूं। लेकिन जो २६ नम्बर की गिरि साहब की अमेंडमेंट है उस में मैं एक अमेंडमेंट पेश करना चाहता हूं।

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

"termination of the service of a workman on the ground of continued ill-health" यह दिया गया है, लेकिन कंटीन्यूड इल-हैल्थ का फ़ैसला कौन करेगा । अगर मालिक, एम्पलायर, यह कहता है कि यह आदमी बहुत दिनों से बीमार रहता है और इस वजह से उसकी सरविस को टरमिनेट किया जाता है तो उस आदमी को किसी तरह का प्रोटैक्शन नहीं मिल सकता । मैं चाहता हूं कि उस की बीमारी का फ़ैसला, आया सचमुच वह लम्बे अरसे से बीमार है और सचमुच वह काम नहीं कर सकता, इसके लिये सिविल सर्जन का सर्टिफिकेट लेना चाहिये और तभी उस की सरविस टर्मिनेट होनी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि लम्बी बीमारी में छः महीने से कम की बीमारी को शामिल नहीं करना चाहिये । जो मज़दूर छः महीने से ज्यादा बीमार रहता है तो उस सूरत में जो सरविस टर्मिनेट हो उसके बारे में श्री गिरि साहब का संशोधन ठीक है इससे कम बीमारी हो तो सरविस के टर्मिनेशन के लिये एम्पलायर को एग्जम्पशन नहीं मिलना चाहिये ।

चेयरमेन साहब, यह कुछ अमैंडमैंट्स मैं पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि श्री गिरि साहब इन अमैंडमेंट्स को स्वीकार करेंगे ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : मैंने संशोधन संख्या २ तथा ४ रखे हैं । संशोधन संख्या २ में मैं 'ताला लगा देने अथवा बन्द कर देने' को भी सम्मिलित कर लेता हूं जिससे यह स्पष्ट हो सके नहीं तो निरन्तर सेवा के दिन गिनना कठिन हो जायगा । संशोधन संख्या ४ में से मैं 'और जिसकी छटनी नहीं की गई है' निकाल देना चाहता हूं । मैं 'और जिसकी छटनी नहीं की गई है' जोड़ने के अतिरिक्त 'बन्द कर देने' की व्याख्या कर देना चाहता हूं ।

साधारणतः यदि एक मज़दूर को दूसरी शिफ्ट में भी ड्यूटी देनी पड़ती है और चाहे उसके पास काम हो या न हो तो भी उसे सारे दिन की मजदूरी मिलती है । किन्तु माननीय मंत्री के संशोधन के अनुसार उस मजदूर को पहली शिफ्ट की आधी मजदूरी तथा दूसरी शिफ्ट की पूरी मजदूरी मिलेगी । यदि माननीय मंत्री का यह संशोधन ज्यों का त्यों स्वीकृत हो जाता है तो मालिक अतिरिक्त मजदूरों को या तो हटा देंगे या उनकी छंटनी कर देंगे और पहले हटाये गए, मजदूरों को काम में लगा देंगे ।

इसके पश्चात् संशोधन में 'निरन्तर अस्वस्थता' का प्रश्न आता है जिसकी परिभाषा नहीं की गई है । कोलार की खानों में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है और मजदूरों को डाक्टरी दृष्टि से अयोग्य घोषित कर बिना मुआवज़ा दिये काम से अलग कर दिया जाता है । यह भी देखा गया है कि वहां से इस प्रकार अयोग्य घोषित किये गए मजदूरों को हैदराबाद की इती सोने की खानों में रख लिया गया है । अतः यदि यह संशोधन इसी प्रकार स्वीकार कर लिया गया तो तमाम मज़दूरों की इसी प्रकार छंटनी कर दी जायगी ।

निरन्तर सेवा की परिभाषा में माननीय मंत्री ने 'अवैध हड़ताल' का उल्लेख किया है । मान लीजिये हड़ताल की सूचना देने के पश्चात् मज़दूर हड़ताल कर देते हैं क्योंकि उनकी सभी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया था । तो ऐसी हड़ताल को उन्होंने अवैध हड़ताल बताया है । क्या समझौते में 'निरन्तर सेवा' की परिभाषा में 'अवैध हड़ताल का भी उल्लेख है यदि है तो मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह शब्द केवल

हड़ताल' होना चाहिए, यदि वह वैध हो अथवा अवैध, क्योंकि अधिनियम के उपबन्धों ने कई मामलों में मज़दूरों के विरुद्ध काम किया है।

तत्पश्चात् श्री के० के० देसाई ने पृष्ठ २, पंक्ति १४ में अपना संशोधन 'इसी प्रकार का' (similar) को निकाल देने के लिये रखा है। यदि यह संशोधन स्वीकार न किया गया तो मज़दूरों को हटाये जाने अथवा छंटनी किये जाने के लिये मुआवज़ा नहीं मिलेगा। मैं माननीय मंत्री का ध्यान कपास तथा जूट उद्योग के मज़दूरों के निम्न स्तर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा क्योंकि श्रम मंत्रालय का कोयले की खानों के मज़दूरों की ओर से पूर्व द्वेष है।

श्री वी० वी० गिरि : बिल्कुल नहीं।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : श्रीमान्, मेरा १८ महीनों का यही अनुभव है कि विद्यमान श्रम मंत्रालय के कोयले की खानों के मज़दूरों की ओर से पूर्व द्वेषपूर्ण विचार हैं। मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि ऐसे देश जिनमें बेकारी बीमा अथवा बेकारी सहायता की व्यवस्था नहीं है, मज़दूर वर्ग तथा काम में लगे मज़दूरों का स्तर और नहीं गिरना चाहिये।

श्री वी० वी० गिरि : मैंने (डंडंडं) के सम्बन्ध में संशोधन स्वीकृत किये हैं (टटट) के सम्बन्ध में नहीं। मुझे खेद है कि ग़लत धारणा के कारण मुझ से कुछ गलती हो गई है। मैंने श्री विट्ठल राव का सुझाव स्वीकृत किया है।

सभापति महोदय : जब माननीय सदस्य ने उसकी व्याख्या कर दी है कि वह बात उनके मस्तिष्क में नहीं थी, तो आपको उसे स्वीकार करनी चाहिये।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : श्रीमान्, मैं अभी उसे पढ़े देता हूं।

सभापति महोदय : वह यह नहीं कहते हैं कि उन्होंने वैसा नहीं कहा। वह केवल यह कह रहे हैं कि जब उन्होंने यह बात कही तो वह उनके मस्तिष्क में नहीं थी।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : कुछ भी हो, श्रीमान्। मैं मंत्री की उस समय की स्वीकृति के लिये प्रसन्न था। अब मुझे उनके प्रति संहार के लिये खेद है।

श्री वी० वी० गिरि : मैंने प्रतिसंहरण नहीं किया है, भले ही वह भ्रान्त धारणा के कारण हो गया हो।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : चूंकि उन्होंने गलत समझा है इस कारण मेरी धारणा यह है कि ताला लगा देना उसमें सम्मिलित नहीं है। हटा देने के लिये तो कोई भी उचित कारण जैसे माल की कमी आदि हो सकता है। नैतिक रूप से कम से कम मालिक इसे उचित ठहरा सकता है किन्तु उसे इसके लिये कुछ देना पड़ेगा परन्तु जब वह अकारण ही ताला लगा देता है तो उसे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यही आश्चर्यजनक विधेयक सदन के सम्मुख है। यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि बिना किसी न्यायोचित कारण के ताला लगा देने के इस विधान से कोई लाभ नहीं पहुंचता, तो मैं इस बात को उनके तथा सदन के निर्णय पर छोड़ता हूं।

दूसरा संशोधन संख्या ५ है जो कर्मचारियों की वृद्धावस्था में स्वेच्छा से रिटायर होने के सम्बन्ध में है। यह वास्तव में माननीय मंत्री के संशोधन संख्या ५६ से संघर्ष करता है। यदि मज़दूर निरन्तर अस्वस्थता के कारण अनुपस्थित रहता है, तो किसी हद तक मान्य हो सकता है किन्तु उस पर भी आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि विधेयक के दो पहलू हैं—

[श्री एन० श्रीकान्तन नायर]

एक तो मजदूर को हटाने पर मुआवजा देना तथा दूसरा उसको सेवा से हटाना और मुआवजा देना । वास्तव में ऐसे बहुत कम कारखाने हैं जो सेवा से हटाने पर मजदूरों को उनकी सेवाओं के लिये कुछ धन राशि उपहार स्वरूप देते हैं । यदि उसको काम से हटा दिया जाता है, और यह कहा जाता है कि यह वृद्धावस्था में किया जा सकता है, तो प्रत्येक मालिक यही कहेगा 'तुम वृद्ध हो चुके हो, रिटायर किये जाते हो और तुमको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा'। यह भी हो सकता है कि मालिक यह कह कर मजदूरों को हटा दें कि तुम काम नहीं करते हो, अतः तुम्हें अलग किया जाता है । माननीय मंत्री का कथन है कि यदि किसी व्यक्ति को हटाये जाने या रिटायर होने पर १००० रु० या १२०० रु० मिल जाते हैं तो वह कोई भी छोटा सा स्वतन्त्र व्यापार कर सकता है । वृद्धावस्था से पूर्व यह राशि उसे मिल ही नहीं सकती । इसके अतिरिक्त उद्योगों के ९९.९ प्रतिशत लोगों को इतनी राशि मिलती भी नहीं है । आम तौर से यह स्वीकृत किया जा चुका है कि प्रत्येक मजदूर को रिटायर होने पर उसकी सेवा के लिये उसे कुछ धन राशि उपहार स्वरूप मिलनी चाहिये । न्यायाधिकरणों द्वारा उनके लिये अधिक मजदूरी निश्चित की गई है । किन्तु उनको एक वर्ष की सेवा में कम से कम १५ दिनों की मजदूरी मिलनी चाहिये । यदि ऐसा उपबन्ध नहीं होगा तो वृद्धावस्था में बेचारे मजदूरों को गली गली मारे-मारे घूमना पड़ेगा । वृद्धावस्था में अकुशलता अथवा बीमारी के कारण से उसको हटाया भी नहीं जाना चाहिये । यदि कोई व्यक्ति बीमारी के कारण ६ माह तक अनुपस्थित रहता है, तो उसको हटा देने का नोटिस नहीं दिया जाना चाहिये । तथा यदि वह ४० वर्षों से कार्य कर रहा है तो उसे कुछ राशि मिलनी चाहिये जिससे वह बीमारी आदि से अपनी कुछ वर्ष तक रक्षा कर सके । इसके लिये उसे अधिकार प्राप्त होना चाहिये । मानवीय दृष्टि से ऐसा होना परमावश्यक है ।

मैं संशोधन संख्या १ तथा ३ का पूर्णतया समर्थन करता हूं ।

श्री भगवत झा : सभापति जी, मेरा संशोधन यह है कि :

'पेज न० २ में पंक्ति १८ से २४ तक हटा दिया जाये ।'

इसके पीछे मेरी एक ही भावना है कि इन पंक्तियों के द्वारा सरकार यह चाहती है कि जिन मजदूरों को 'ले आफ' कर दिया गया है वह हर रोज अपनी हाजिरी गेट पर जरूर बजाये । इसी पर एक संशोधन माननीय मंत्री महोदय का है । इस से समस्या का समाधान तो होता है परन्तु पूर्णतया नहीं । मेरा ख्याल यह है कि जब बिना किसी दोष के मजदूर को 'ले आफ' कर दिया जाता है तो उसको यह अधिकार होना चाहिए कि उसे हर रोज हाजिरी देने के लिये गेट पर न आना पड़े । उसको यह सूचना मिलनी चाहिए कि अमुक से अमुक समय तक हमारे यहां इन इन कारणों से काम नहीं होगा और अमुक दिन तुम हाजिरी दो तो तुम को काम मिल जायेगा । यह कहना कि हर रोज तुम दो घंटे हाजिरी बजाओ और उसके बाद अगर काम नहीं मिलता है तो इसका परिणाम यह होगा कि उसको उस दिन कहीं काम नहीं मिल सकेगा । मैं समझता हूं कि अगर हम यह नियम पास कर देते हैं और इसके जरिये उसे आधी पे मिल जाय तो कोई मेहरबानी हम उसके उपर नहीं करते हैं । मैं आपके सामने एक दृष्टांत पेश करता हूं । एक मजदूर के परिवार में दस आदमी हैं और उस मजदूर को २०० रु०

महीना मिलता है । अगर आप उसका 'ले आफ' करते हैं और वह रोज आपके गेट पर हाज़िरी बजाता है तो आप उसको १०० रु० देंगे । लेकिन उस मज़दूर के परिवार में दस आदमी हैं । उसका काम कैसे चलेगा ? इसलिये उसको यह अधिकार होना चाहिए कि उसको यह सूचना मिले कि इस समय तक हमारे कारखाने में काम नहीं हो सकेगा इसलिये तुम न आओ ताकि उसे यह अवसर मिले कि वह अन्य किसी जगह में काम कर सके और उसको जो २०० रु० मिलता है, जिसके बिना उसके परिवार को कठिनाई होगी, वह उसकी पूर्ति कर सके। बिना इसके यह होगा कि उसको और किसी जगह काम करने का अवसर नहीं मिलेगा । इसका परिणाम यह होगा कि आप के यहां भी दो घंटे ठहरने के बाद अगर उसको काम नहीं मिलता है तो उसे सिर्फ १०० रु० पर ही संतोष करना होगा । माननीय मंत्री महोदय ने अपने संशोधन न० २७ में कहा है कि अगर उस को पहली शिफ्ट में काम न मिले तो वह दूसरी शिफ्ट में आये और अगर दूसरी शिफ्ट में भी काम न मिले तो समझा जायेगा कि उस शिफ्ट में उसका 'ले आफ' नहीं हुआ और उसको बेसिक पे मिलेगी । मैं कहूंगा कि आप उसको पहले दो घंटे इन्तजार कराते हैं, उस के बाद आप कहते हैं कि काम नहीं है। तो चूंकि समय निकल जाता है, उसको कहीं काम नहीं मिल सकता है । दूसरी शिफ्ट में आप उसको पुनः दो घंटे के लिये बुलाते हैं और उसके बाद फिर उसको काम नहीं मिलता है और उसका सारा दिन बेकार जाता है। उसके बदले में आप उसको सिर्फ एक शिफ्ट की बेसिक पे देते हैं और पहले की आधी। मेरा कहना यह है कि जो एमेन्डमेंट विद्यालंकार जी ने मूव किया है ६८ नम्बर का उसको मंजूर करने से यह होगा कि अगर मज़दूर दोनों शिफ्ट में आता है और उसके बाद भी उसको काम नहीं मिलता है तो यह समझा जाय कि वह सम्पूर्ण दिन अपने काम पर था और उसे पूरे दिन के काम की मज़दूरी मिलनी चाहिए । दूसरा एक संशोधन बंसल साहब ने पेश किया है जिसका न० ७३ है जो कि वास्तव में सरकार का संशोधन न० २९ हैं। उसके अनुसार यह कहा गया है कि अगर कोई मज़दूर बराबर बीमार रहे तो उसे कन्टिन्यूड इल हैल्थ के ग्राउन्ड पर हटा दिया जायेगा। मैंने जब बंसल साहब से कहा तो उन्होंने कहा कि "बी श्योर आफ फैक्ट्स । देअर इज स्टैन्डिग आर्डर फार डिफाइनिंग इल हैल्थ"। यह बात है सच कि यह सदन बराबर कानून पास किया करता है, अगर उसको कानून माना जाय और यह स्टैंन्डिग आर्डर है तो हाय हाय क्यों ? आपने देखा कि इस सदन ने एक 'धोतीज़ बिल' पास किया है । कानून बनाया गया लेकिन मिल वालों ने उसे तोड़ दिया और सदन को फिर हाय हाय करना पड़ा। इसीलिये जो स्टैन्डिग आर्डर "डिफाइनिंग इल हैल्थ" का है उससे काम नहीं चलेगा। आप कन्टिन्यूड इल हैल्थ की बात करते हैं । यह तो आप एक लम्बी रस्सी दे रहे हैं उन लोगों के हाथ में जो मज़दूरों से स्वयं यह कह कर कि आप इल हैल्थ के हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसको डिस्चार्ज करा सकते हैं । इसलिये जो बंसल साहब का ऐमेन्डमेन्ट न० ७३ है और सरकार का न० २९ है वह मंजूर नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके ज़रिये हम मज़दूरों के मार्ग में एक नया रोड़ा अटका रहे हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं न० २६ के ऐमेन्डमेन्ट का समर्थन करता हूं ।

श्री बी० मिश्र : सभापति जी, मैंने जो संशोधन रखा है उसका न० ९८ है। उसमें मैं यह चाहता हूं कि एक शब्द हटा दिया जाय और वह है "प्राविडेन्ट फंड" का। उसको मैं इसलिये हटाना चाहता हूं कि

[श्री बी० मिश्र]

वह शब्द वहां पर रखा गया है जहां पर कम्पेन्सेशन न मिलने के कारणों की लिस्ट है कि किन किन वजहों से कम्पेन्सेशन नहीं मिलेगा। मुझ को ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय ने समझा है कि वह कोई दान है मजदूरों के लिये या उनको कोई इनाम प्राविडेन्ट फंड से मिलता है। मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल है कि वह उनकी तनख्वाह का एक हिस्सा है। इसलिये कि जहां प्राविडेन्ट फंड दिया जाता है उसमें मजदूरों के हिस्से का भी पैसा काटा जाता है। मजदूर अपनी तनख्वाह में से दो पैसा, चार पैसा देता है और उसकी जगह पर मिल मालिक भी उतना ही पैसा देता है। इसलिये उसको तन्ख्वाह का पैसा मानना चाहिए और उसका भी हर्जाना उस मजदूर को मिलना चाहिए।

मुझको इतना ही कहना है इस से ज्यादा कुछ नहीं कहना है और आखिर में मेरी यह अपील है कि मंत्री महोदय मेरे संशोधन को कबूल कर लें तो इस से मजदूरों का लाभ हो जायेगा। मैं उनसे इसलिये यह सिफारिश कर रहा हूं कि वह मजदूरों के नेता रहे हैं, और मजदूरों की तकलीफ आराम का उनको ख्याल होना चाहिए।

श्री सिंहासन सिंह (ज़िला गोरखपुर-दक्षिण) : श्री मिश्र द्वारा पंक्ति १८ से २४ तक का संशोधन सदन को मान्य न हो किन्तु मैं उसमें कुछ और उपखण्ड मिलाकर रखना चाहता हूं। श्री भगवत झा ने भी अपने विचार इस पर रखे हैं किन्तु मैं देखता हूं कि इन दोनों स्थानों में से एक में भी उसकी परिभाषा नहीं दी गई है। 'निरन्तर अवस्था' क्या है यह मजदूर के निर्णय पर निर्भर करेगी। मान लीजिये कि किसी को पीलिया रोग हो जाता है तो वह निरन्तर अस्वस्थ्य की सीमा में आयेगा अथवा नहीं। यह निश्चय करना कठिन है। हो सकता है कि वह इस रोग के कारण हटा भी दिया जाये किन्तु मैं नहीं समझता कि खण्ड का तात्पर्य यह हो सकता है। यह औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत चर्चा का विषय हो सकता है। अतः यह बात मूल विधेयक में न थी, क्योंकि यदि इस पर विचार किया जाता है तो उसका कभी भी दुरुपयोग किया जा सकता है जो कर्मचारियों के लिये हानिकारक हो सकता है

निरन्तर सेवा की परिभाषा में बीमारी नहीं सम्मिलित है। अतः यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसके विषय में यह नहीं समझा जायेगा कि उसने नौकरी छोड़ दी है। अतः खण्ड (ग) को जोड़ देने से हम वह लाभ उससे लिये ले रहे हैं जो उसको खंण्ड (डंडंडं) के द्वारा देना सोचा गया था। अतः माननीय मंत्री को इस पर उचित विचार कर के ही स्वीकार करना चाहिए।

श्री वी० वी० गिरि : मैं माननीय सदस्यों द्वारा रखे गये अनेक आवश्यक ठोस सुझावों के उत्तर देने में सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता। मैंने अपने घनिष्ठ मित्र श्री के० के० देसाई के सुझावों तथा अन्य माननीय सदस्यों के एक ही प्रकार (similar) का शब्द निकाल देने के विचारों को ध्यान से सुना है। अपने अनेक मित्रों से विमर्श कर तथा सदन में इस पर रखे गये महत्वपूर्ण सुझावों की दृष्टि से, मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि वह हटा दिया जा सकता है।

जहां तक 'भुगतान किया गया अथवा' (paid or) का सम्बन्ध है, मैंने अपने

घनिष्ठ मित्र श्री के० के० देसाई द्वारा प्रस्तावित संशोधन स्वीकृत कर लिया है ।

विभिन्न माननीय सदस्यों ने भी अन्य मामले रखे हैं । मेरे मित्र श्री त्रिपाठी सेवा के स्थान पर "काम" employment चाहते थे । श्रीमान्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि "काम" (employment) का अर्थ यह हो सकता है कि उसका काम उपस्थित रजिस्टर पर तो हो किन्तु वह काम पर न हो। सम्भवत: प्रस्तावक निरन्तर सेवा में अनधिकृत अनुपस्थिति भी सम्मिलित करना चाहते हैं ।

मैं निरन्तर सेवा क्या है इसे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं और निम्न निवेदन करना चाहता हूं :

"निरन्तर सेवा" की परिभाषा दो रूपों से की गई है। एक रूप खण्ड (ङंङंङं) में दिया हुआ है । दूसरा धारा २५ ख में दिया हुआ है । खण्ड (ङंङंङं) के अन्तर्गत निरन्तर सेवा के लिये यह आवश्यक है कि मज़दूर ने ३०५ दिन तक कार्य किया हो । ३६५ दिन ऋण ५२ रविवार धन आठ सवेतन छुटियां । इन ३०५ दिनों में पृथक् करण की एक व्यापक सूची की अनुमति प्राप्त है, यथा बीमारी, अनधिकृत छुट्टी दुर्घटना के कारण अनुपस्थिति, वैध हड़ताल तथा श्री विट्ठल राव के सुझाव पर मैंने भी 'ताला बन्द कर देना' शब्द का प्रयोग किया है, यद्यपि मेरे विचार से ताला लगा देना तथा बन्द कर देना तथा ये सभी शब्द कार्य को रोक देने के अन्तर्गत आते हैं ।

धारा २५ (ख) में, एक काफी निम्न स्तर, यथा एक वर्ष की निरन्तर सेवा मानने के लिये २४० दिन तो लिये गये हैं । चूंकि निम्न स्तर मान लिया गया है अत: पृथक्करण की सूची उतनी व्यापक न होगी जैसी कि (ङ.ङ.ङ.) में भी; केवल कुछ सीमित पृथक्करण, यथा हटा देना, सवेतन छुट्टी जो पिछले वर्ष में अर्जित की गई हो तथा स्त्री मज़दूरों के लिये प्रसूति छुट्टी यह निर्णय निर्माणशाला (संशोधन) अधिनियम तथा भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम के सम्बन्ध में मज़दूरों के संघों के परामर्श से किया गया था ।

इस विधेयक को बनाने से पूर्व, विशेषतया बेकारी के विषय में, मैं कहूंगा कि एक त्रिदलीय सम्मेलन हुआ था, और यह प्रसन्नता की बात थी कि मज़दूरों के नेता तथा नियोजक लोग कुछ समझौता कर सके थे । उन्होंने यह भी कहा था कि सरकारी क्षेत्र को बीच में आना चाहिए, और समझौते के प्रत्येक पहलू के सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए। मैं इसे अत्युत्तम बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं और मैं समझौते के समय दिये गये सुझावों को भी ले रहा हूं जो समझौते की भावना के विरुद्ध नहीं हैं ।

अब मैं श्री बंसल के सुझावों और संशोधन के विषय में कुछ कहूंगा । उनका संशोधन (ग) शासकीय संशोधन २९ के अन्तर्गत आ जाता है । उनका संशोधन (घ) स्वीकार्य नहीं है । इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि उन लोगों को छंटनी लाभ दिया जाय, जिन की सेवायें कुछ वर्षों के ठेके के अंतर्गत छूट गई हैं, क्योंकि दूसरा धंधा मिलने से पूर्व जितनी देर वह बेकार रहता है, उसके लिये मुआवज़ा मिलना चाहिए, चाहे वह विशेष समय के लिये ही नौकर रखा गया हो । उसे पिछली नौकरी छूटने और नवीन नौकरी प्राप्त करने के बीच के समय में गुज़ारा करने के लिये उसकी सहायता अवश्य की जानी चाहिए ।

जहां तक इस विधान का सम्बन्ध है, यह एक दृष्टि से निवारक विधान है । यह नियोजक के लिये चेतावनी है कि वह

[श्री वी० वी० गिरि]

बिना कारण छंटनी नहीं करता। यह मज़दूरों को भी अपने कार्य में दक्ष रहने के लिये चेतावनी देता है, अन्यथा जनमत उनके पक्ष में नहीं रहेगा। मेरी ऐसी धारणा है कि यदि दोनों ओर से मज़दूर और नियोजक अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करें, तो अनावश्यक अन्याय और असमानता नहीं रह सकती, और दोनों दल एक सामान्य स्थान पर बैठ कर इन मामलों में समझौता कर सकते हैं। यह बात मज़दूर संघो की दलीलों की शक्ति पर निर्भर है, जो मज़दूर रखते हैं।

उदाहरणार्थ बुरे स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्न पर बहुत से विचार प्रकट किये गये हैं। मैं इस बारे में यह सोचता हूं कि मज़दूर संघ को इन मामलों में उनके जीवन रक्षा निमित्त जितनी संभव सहायता हो सके, करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि मैं देखता हूं कि नियोजक ने वास्तविक भावना को नहीं अपनाया तो मुझे सारे मामलों पर पुनः विचार करना होगा।

(ड.) के सम्बन्ध में मैं श्री विट्ठल राव के सुझाव से सहमत हूं कि हड़ताल के पश्चात् ही ताला बन्दी को स्थान मिलना चाहिए। मैं समझता था कि इसका भी वर्णन होना चाहिए।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : या तालाबन्दी या बन्द करना या बेकारी।

श्री के० के० देसाई : यह होगा "या एक घटना, या तालाबन्दी या हड़ताल"।

श्री के० पी० त्रिपाठी : "अवैध" तालाबन्दी नहीं।

श्री वी० वी० गिरि : विट्ठल राव के इस सुझाव "और वह जो निकाला नहीं गया" मुझे स्वीकार्य नहीं। बेकारी के उपबंध का प्रभाव छंटनी को रोकने का नहीं हो सकता।

श्री भगवत झा ने मस्टर रोल के प्रश्न का निर्देश किया। इस मामले पर त्रिदलीय सम्मेलन में व्यापक विचार किया गया था, और सब दल सर्व सम्मति से एक निर्णय पर पहुंचे थे, और हमें उस करार का मान करना चाहिए, क्यों कि हमें सार-भूत मामलों पर इन करारों को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो सेवा की शर्तों, तथा कर्म-चारियों एवं नियोजको के बीच झगड़े से सम्बन्धित हो। अतः मैं श्री भगवत झा के सुझाव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री बंसल : तालाबन्दी के विषय में मैं जानना चाहता हूं कि यदि सम्पूर्णतया वैध तालाबन्दी हो, तो क्या स्थिति होगी ?

श्री वी० वी० गिरि : तालाबन्दी जो अवैध नहीं है। यदि आप कहना चाहते हो, तो आप वही बात कह सकते हैं जो आपने हड़ताल के सम्बन्ध में कही। यह वास्तव में आवश्यक नहीं है।

श्री के० के० देसाई : अन्यथा वे उसी बात को पुनः कहेंगे जो, अन्त में कही गई है ; कार्य का विराम, जो मज़दूरों का अपराध नहीं है। तालाबन्दी के ऊपर मजदूरों का कोई नियंत्रण नहीं है। उसे तो काम से जवाब दे दिया जाता है। "अवैध" शब्द रखने से यह संशोधित हो जायेगा। चाहे वैध अथवा अवैध तालाबन्दी अवश्य होती है।

श्री वी० वी० गिरि : मैं अपने मित्र से सहमत हूं।

श्री गाडगिल : क्या इसकी परिभाषा नहीं दी गई ?

श्री बंसल : तालाबन्दी मज़दूरों के अपराध के फलस्वरूप भी हो सकती है। मान लो एक विशेष कारखाने में मज़दूर

धीरे काम करते हों, जैसे भारतीय लौह कारखाने में हाल ही में तो कारखाने को ताला लगाना पड़ता है, तो क्या अवस्था होती है ? मैं श्री के० के० देसाई के सुझाव को मान सकता हूं क्योंकि शब्द है कार्य का विराम जो मज़दूरों का अपराध नहीं है, तब मज़दूरों को इस समय का प्रतिकर मिलना ही चाहिए । परन्तु यदि यह तालाबन्दी मज़दूरों की कार्यवाई के कारण है, तो मैं समझता हूं कि इस बेकारी के दिनों में उसे प्रतिकर का अधिकार नहीं होना चाहिए मैं माननीय मंत्री जी की बात को स्वीकार करता हूं ।

श्री वी० वी० गिरि : मैं 'तालाबन्दी' बढ़ा देने की बात मान सकता हूं । मैं समझता था कि काम के विराम में 'तालाबन्दी' और काम का बन्द होना आदि सम्मिलित हैं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : संशोधन २७ के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ कहा था अर्थात न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम के बारे में, मुझे उसका उत्तर नहीं मिला ।

श्री वी० वी० गिरि : मैं कुछ नहीं कहना चाहता ।

सभापति महोदय : क्या मैं यह समझ सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को श्री विट्ठल राव का संशोधन स्वीकार्य है ?

श्री वी० वी० गिरि : जी हां ।

श्री बंसल : तब क्या निर्णय किया गया है ?

सभापति महोदय : वे संशोधन न० २ को स्वीकार करते हैं ।

"अवैध" के पश्चात् रखिये "या तालाबन्दी या बन्द करना या बेकारी" ।

श्री वी० वी० गिरि: केवल तालाबन्दी स्वीकार्य है ।

श्री बंसल : 'तालाबन्दी' शब्द कहां जोड़ा जायेगा ?

श्री वी० वी० गिरि : 'हड़ताल' के पश्चात्

सभापति महोदय : इसे "अवैध" के पश्चात् रखा जा सकता है, जब मैं मतदान के लिये संशोधन सदन के सन्मुख प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती (बशीरहाट) मैं पूछना चाहती कि शब्द 'तालाबन्दी' कहां आता है ?

सभापति महोदय : यह 'अवैध' शब्द के पश्चात् आयेगा ।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती : वे कहते हैं कि 'हड़ताल' के पश्चात और आप कहते हैं 'अवैध' के पश्चात् ।

श्री वी० वी० गिरि : जी हां ।

श्री बंसल : आप इसकी परिभाषा नहीं करना चाहते कि क्या यह वैध है अथवा अवैध ।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि तालाबन्दी शब्द "अवैध" के पश्चात् आयेगा, क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि "अवैध' भी तालाबन्दी की परिभाषा दे ।

प्रश्न यह है कि,---

पृष्ठ २,

पंक्ति १८-२४ के स्थान पर आदिष्ट किया जाये ।

"*Explanation.*--Every workman whose name is borne on the muster rolls of the industrial establishment and who presents himself for work at the establishment at the time appointed for the pur-

[सभापति महोदय]

pose during normal working hours on any day and is not given employment by the employer within two hours of his so presenting himself shall be deemed to have been laid-off for that day within the meaning of this clause:

Provided that if the workman, instead of being given employment at the commencement of any shift for any day is asked to present himself for the purpose during the second half of the shift for the day and is given employment, then he shall be deemed to have been laid-off only for one half of that day :

Provided further that if he is not given any such employment even after so presenting himself, he shall not be deemed to have been laid-off for the second half of the shift for the day and shall be entitled to full basic wages and dearness allowance for that part of the day".

("स्पष्टीकरण—प्रत्येक मजदूर, जिस का नाम औद्योगिक स्थापना के हाजिरी रजिस्टर में मौजूद है तथा जो किसी भी दिन साधारण कार्य के घंटों में निर्धारित समय पर अपने आपको स्थापना में काम के लिये उपस्थित करता है तथा इस प्रकार उपस्थित होने के दो घंटों के अन्दर मालिक द्वारा उससे काम नहीं दिया जाता है तो यही समझा जायेगा कि इस खण्ड के अर्थों में वह उस दिन के लिये 'लेड आफ' कर दिया गया था।

परन्तु यदि उस मजदूर से किसी दिन की पाली के प्रारम्भ में काम दिये जाने की बजाय उसी दिन की पाली के दूसरे भाग में इस कार्य के लिये उपस्थित होने के लिये कहा जाता है तो यही समझा जायेगा कि वह उस दिन के केवल आधे दिन के लिये 'लेड आफ' किया गया है ;

परन्तु यह और भी कि यदि इस प्रकार काम के लिये अपने आप को उपस्थित करने पर उसे काम नहीं दिया जाता है तो यह नहीं समझा जायेगा कि उसे उस दिन की पाली के दूसरे भाग के लिये 'लेड आफ' कर दिया गया है तथा वह उस दिन के भाग के लिये पूरी आधारभूत मजदूरी और महगांई भत्ता पाने का हकदार होगा।")

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि पृष्ठ २ में,

(१) पंक्ति ३५ में, अन्त में "or" "यह" शब्द जोड़ दिया जाय ; तथा

(२) पंक्ति ३५ के पश्चात् यह जोड़ दिया जाय—

"(c) termination of the service of a workman on the ground of continued ill-health".

((ग) लगातार अस्वस्थ रहने के कारण मजदूर की नौकरी की समाप्ति)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि पृष्ठ २ पंक्ति १४ में, "similar"

"समान" शब्द को हटा दिया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन न० २ को लूंगा । "अवैध" "illegal" शब्द के पश्चात् "तालाबन्दी" A Lock out शब्द होने चाहिएं, क्योंकि खण्ड में है "an accident or a strike"

"एक घटना अथवा हड़ताल" ।

प्रश्न यह है कि पृष्ठ २ पंक्ति ६ में, "illegal"

"अवैध" के पश्चात् रखा जाय "or a lock out" "अथवा तालाबन्दी" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि पृष्ठ १, पंक्ति १२ में

"दिया गया था" को हटा दिया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि पृष्ठ १, पंक्ति २४ में

"दिया गया था" शब्द हटा दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् श्री के० पी० त्रिपाठी, श्री ए० एन० विद्यालंकार, श्री एस० एस० मोरे, श्री डी० सी० शर्मा, श्री एन० श्रीकान्तन नायर, श्री टी० बी० विट्ठल राव, तथा श्री बी० मिस्सिर के संशोधन प्रस्तुत किये गये जो अस्वीकृत हुए । तदनन्तर श्री भगवत झा, श्री के० पी० त्रिपाठी, तथा श्री बंसल और श्री ए० एन० विद्यालंकार ने सदन की अनुमति से अपने संशोधन वापस लिये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया ।

सभापति महोदय : अब सदन की बैठक स्थगित होगी । और पुनः कल डेढ़ बजे होगी ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार २७ नवम्बर १९५३ के डेढ़ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।